फरवरी, 2014

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 31 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(च)] – बलात्संग – विभिन्न धाराओं के अधीन दंडादेश – सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया जाना – चूंकि अभियुक्त को बलात्संग के अपराध के लिए चौदह वर्ष का दंडादेश दिया गया है और विधिक स्थिति के अनुसार कारावास का दंडादेश चौदह वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं हो सकता है, इसलिए अन्य धाराओं के अधीन दिए गए दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया जाना उचित है ।

विक्रम कुमार बनाम **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र राज्य** 237

संसद् के अधिनियम

सती (निवारण) अधिनियम, 1987 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) — (11)

पृष्ठ संख्या 143 – 285 **(2014) 1 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – फरवरी, 2014 (पृष्ठ संख्या 143 – 285)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2014

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनवर **उर्फ** अध्धा और एक अन्य **बनाम** राज्य	258
अशोक कुमार **बनाम** राज्य	276
आश मोहम्मद **उर्फ** आशु **बनाम** उत्तराखंड राज्य	143
इंसार **बनाम** उत्तराखंड राज्य	153
गुजरात राज्य **बनाम** कालुभाई जीवाभाई डुंगरिया और अन्य	181
जसवन्त सिंह और अन्य **बनाम** उत्तराखंड राज्य	171
देबरा **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	200
मंजूर अहमद और एक अन्य **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य	209
विक्रम कुमार **बनाम** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र राज्य	237
शेरु **बनाम** उत्तराखंड राज्य	161

संसद् के अधिनियम

सती (निवारण) अधिनियम, 1987 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (11)

संपादक-मंडल

श्री पी. के. मल्होत्रा,
सचिव, विधायी विभाग

श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि, अधिवक्ता,
(पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

प्रो. डा. वैभव गोयल, संकायाध्यक्ष
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड)

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ
विश्वविद्यालय

डा. आर. पी. सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री के. जी. अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, एम. पी. सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 12

वार्षिक : ₹ 135

© 2014 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की
सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटोरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 31 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(च)] – बलात्संग – विभिन्न धाराओं के अधीन दंडादेश – सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया जाना – चूंकि अभियुक्त को बलात्संग के अपराध के लिए चौदह वर्ष का दंडादेश दिया गया है और विधिक स्थिति के अनुसार कारावास का दंडादेश चौदह वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं हो सकता है, इसलिए अन्य धाराओं के अधीन दिए गए दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया जाना उचित है ।

विक्रम कुमार बनाम **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र राज्य** 237

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 और 34 – हत्या – सामान्य आशय – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों तथा घटना में क्षतिग्रस्त हुए साक्षी के परिसाक्ष्य और उसके द्वारा शनाख्त परेड में की गई अभियुक्तों की शनाख्त के आधार पर यह साबित होने पर कि दोनों अभियुक्त अपराध कारित करने में अंतर्वलित थे और उन्होंने सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक की हत्या का अपराध कारित किया, अतः विचारण न्यायालय द्वारा की गई उनकी दोषसिद्धि और दिया गया दंडादेश उचित है ।

अनवर उर्फ **अध्धा और एक अन्य** बनाम **राज्य** 258

– धारा 304-ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख] – दहेज-मृत्यु – अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में असफल रहने पर कि मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व विवाह के संबंध

पृष्ठ संख्या

में दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता की गई थी या उसको तंग किया गया था, यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि मृतका की मृत्यु दहेज-मृत्यु थी, अतः अभियुक्तों को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

जसवन्त सिंह और अन्य बनाम **उत्तराखंड राज्य** 171

– धारा 306 और 107 – आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण – अभियोजन पक्ष द्वारा मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता करने या तंग करने की बात के साथ-साथ यह बात भी कि अभियुक्तों ने दहेज की मांग करके मृतका के साथ आपराधिक मनःस्थिति सहित ऐसी क्रूरता की थी या उसे तंग किया था जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी, युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहने पर अभियुक्तों को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

जसवन्त सिंह और अन्य बनाम **उत्तराखंड राज्य** 171

– धारा 366-क और 376 – अप्राप्तवय लड़की का उपापन और बलात्संग – अभियुक्त द्वारा लड़की (अभियोक्त्री) को कोई मादक पदार्थ खिलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और उसके साथ बलात्संग करने की बात स्वयं अभियोक्त्री के साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों से सिद्ध होने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है और अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम होने के कारण उसकी सहमति की बात महत्वहीन है ।

आश मोहम्मद उर्फ **आशु** बनाम **उत्तराखंड राज्य** 143

– धारा 376 – बलात्संग – अभियोक्त्री का कथन कि वह और अभियुक्त लगभग आधा घंटा आलिंगनबद्ध रहे और अभियुक्त ने जबरदस्ती मैथुन किया – अभियोक्त्री

पृष्ठ संख्या

की कमर पर कोई क्षति नहीं पाया जाना – मामले के तथ्यों, अभियोक्त्री के कथन और अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्यों से यह स्पष्ट होने पर कि अभियोक्त्री मैथुन के लिए सहमत पक्षकार थी, अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है ।

देबरा बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 200

– धारा 376(2)(च) – बलात्संग – लगभग चार वर्षीय तीन अभियोक्त्रियों के गुप्तांगों पर गंभीर क्षतियां पाया जाना – अभियोक्त्रियों द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध बलात् मैथुन के संबंध में दिए गए सही परिसाक्ष्य तथा उन्हें पहुंचीं क्षतियों की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्यों से होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होने पर उसकी दोषसिद्धि उचित और न्यायसंगत है ।

विक्रम कुमार बनाम **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र राज्य** 237

– धारा 376(2)(च) – बलात्संग – शुक्रीय स्खलन न पाया जाना – बलात्संग का अपराध गठित करने के लिए पुरुष लिंग का योनि में केवल प्रवेशन पर्याप्त है और चिकित्सीय परीक्षण में शुक्रीय स्खलन न पाए जाने से बलात्संग के अपराध को नकारा नहीं जा सकता है ।

विक्रम कुमार बनाम **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र राज्य** 237

– धारा 498-क/304-ख – विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता और दहेज-मृत्यु – दहेज की मांग और तंग करने का साक्ष्य अभियोजन साक्षियों तथा मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए गए मृतका के मृत्युकालिक कथन से सिद्ध होने और कथन तर्कपूर्ण और विश्वसनीय पाए जाने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है और उसमें

पृष्ठ संख्या

हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

अशोक कुमार बनाम **राज्य** 276

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 3 – नातेदार साक्षी – यह सुस्थिर विधि है कि ऐसे साक्षी, जो मृतक के नातेदार हैं, का साक्ष्य विश्वसनीय और तर्कसंगत पाया जाता है तो केवल इस आधार पर कि वे मृतक के नातेदार हैं, उनके साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता है ।

अनवर उर्फ **अध्धा और एक अन्य** बनाम **राज्य** 258

– धारा 9 – शनाख्त परेड – जहां घटना में क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी ने शनाख्त परेड में अभियुक्तों की शनाख्त अन्य दस व्यक्तियों के बीच में से की हो, वहां शनाख्त परेड की सत्यता और विश्वसनीयता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

अनवर उर्फ **अध्धा और एक अन्य** बनाम **राज्य** 258

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 8, 15 और 50 – विनिषिद्ध पदार्थ पोस्त तृण का परिवहन – तलाशी – चूंकि विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी यान (कार) से हुई, इसलिए इसे व्यक्तिगत तलाशी नहीं कहा जा सकता और धारा 50 के उपबंध लागू नहीं होते तथा साक्षियों के साक्ष्य तथा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि उचित है और उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

इंसार बनाम **उत्तराखंड राज्य** 153

– धारा 8, 20 और 42 – विनिषिद्ध पदार्थ कब्जे में रखना – पुलिस को अभियुक्त के पास विनिषिद्ध पदार्थ

पृष्ठ संख्या

(चरस) होने से संबंधित गुप्त सूचना प्राप्त होना – पुलिस द्वारा चरस की बरामदगी और गुप्त सूचना संबंधी जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं देने, इसे लेखबद्ध नहीं करने और चरस को तोलने के लिए जिस व्यक्ति से तराजू ली गई, उसके घटनास्थल पर मौजूद होने के बावजूद तलाशी, बरामदगी और अभिग्रहण ज्ञापन पर उसके हस्ताक्षर और उसकी परीक्षा नहीं कराने से अभियुक्त की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होने पर उसे दोषमुक्त करना उचित होगा ।

शेरु बनाम **उत्तराखंड राज्य** 161

– धारा 8(ग), 35 और 54 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354] – स्वापक ओषधि का सबोध कब्जा – अभियुक्तों द्वारा चलाए जा रहे ट्रकों की केबिन से 96 कि. ग्रा. चरस की बरामदगी – ट्रक केबिन ड्राइवर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त-ड्राइवरों को केबिन में रखी चरस की जानकारी नहीं थी और चरस की बरामदगी उनके सबोध कब्जे से बरामद नहीं हुई, अतः विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य है ।

मंजूर अहमद और एक अन्य बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 209

– धारा 15 – विनिषिद्ध पदार्थ 'गांजे' की बरामदगी – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विनिषिद्ध पदार्थ रखे हुए बैग और थैले की बरामदगी के स्थान के बारे में विरोधाभास होने और यह साबित नहीं होने पर कि विनिषिद्ध पदार्थ रखा हुआ बैग और थैला अभियुक्तों के सबोध कब्जे से बरामद हुए थे, अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित है ।

गुजरात राज्य बनाम **कालुभाई जीवाभाई डुंगरिया और अन्य** 181

पृष्ठ संख्या

– धारा 20 – दंडादेश की मात्रा – अभियुक्तों की आयु, कुटुम्ब के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति जैसी परिस्थितियों पर विचार किया गया, किंतु अभियुक्तों के पास 96 कि. ग्रा. चरस की भारी मात्रा की बरामदगी को ध्यान में रखते हुए उनके दंडादेशों को कम करना न्यायसंगत नहीं है ।

मंजूर अहमद और एक अन्य बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 209

– धारा 42 और 43 – इत्तिला को अभिलिखित करना और वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना – पुलिस अधिकारी को दो ट्रकों में चरस परिवहन करने की बाबत विश्वस्त इत्तिला प्राप्त होना – तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना और संयुक्त नाका लगाकर ट्रकों की तलाशी लिया जाना – विनिषिद्ध पदार्थ चरस की बरामदगी के पश्चात् तुरंत अन्य औपचारिकताएं पूरी करना – यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त धाराओं के उपबंधों का अननुपालन हुआ है, अतः उनकी दोषसिद्धि उचित है ।

मंजूर अहमद और एक अन्य बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 209

– धारा 50 – व्यक्ति की तलाशी – जहां स्वापक ओषधि के संबंध में तलाशी व्यक्ति के बजाय विनिषिद्ध पदार्थ ले जा रहे किसी यान की हो, वहां धारा 50 के उपबंध लागू नहीं होते ।

मंजूर अहमद और एक अन्य बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 209

– धारा 50 – तलाशी और अभिग्रहण – किसी राजपत्रित या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी देने का अभियुक्त का अधिकार – जहां पुलिस निरीक्षक द्वारा अभियुक्तों

पृष्ठ संख्या

को केवल यह सूचित किया गया हो कि वह एक राजपत्रित अधिकारी है और क्या वे अपनी तलाशी किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में देना चाहेंगे तथा राजपत्रित अधिकारी के साथ-साथ मजिस्ट्रेट का कोई उल्लेख न किया गया हो, वहां धारा 50 का अतिक्रमण करते हुए अभियुक्तों को उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित किए जाने पर उनकी दोषमुक्ति उचित है ।

गुजरात राज्य बनाम **कालुभाई जीवाभाई डुंगरिया और अन्य** 181

———

आश मोहम्मद उर्फ **आशु**

बनाम

उत्तराखंड राज्य

तारीख 14 जून, 2013

न्यायमूर्ति यू. सी. ध्यानी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366-क और 376 – अप्राप्तवय लड़की का उपापन और बलात्संग – अभियुक्त द्वारा लड़की (अभियोक्त्री) को कोई मादक पदार्थ खिलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और उसके साथ बलात्संग करने की बात स्वयं अभियोक्त्री के साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों से सिद्ध होने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है और अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम होने के कारण उसकी सहमति की बात महत्वहीन है ।

इत्तिलाकर्ता वेद पाल ने तारीख 13 मार्च, 2009 को थाना अधिकारी, पुलिस थाना गंगनहर, हरिद्वार को एक शिकायत यह उल्लेख करते हुए लिखी कि उसकी पुत्री मनीषा, आयु 13 वर्ष, जो प्राथमिक विद्यालय, इब्राहमपुर देहा में पढ़ती है, तारीख 12 मार्च, 2009 से गुम है । मनीषा तारीख 12 मार्च, 2009 को विद्यालय गई थी किंतु सायंकाल तक वापस नहीं आई । जोर-शोर से उसकी तलाश की गई किंतु वह नहीं मिली । सह-ग्रामवासी नीतू और राजेश कुमार ने वेद पाल को सूचित किया कि उन्होंने विपदग्रस्त को अभियुक्त इंतज़ार के साथ देखा था । तारीख 13 मार्च, 2009 को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366-क के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्त इंतज़ार और आश मोहम्मद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366-क, 376 और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, रुड़की ने अभिलेख के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया । अभियुक्त आश मोहम्मद को भी

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया । अभियुक्त इंतज़ार और आश मोहम्मद को भारतीय दंड संहिता की धारा 366-क और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया । अभियुक्त इंतज़ार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन भी दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । दोनों अभियुक्तों ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त आश मोहम्मद की अपील मंजूर करते हुए तथा अभियुक्त इंतज़ार की अपील को भागतः मंजूर करके तद्नुसार आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोक्त्री के साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार ने अभियोक्त्री को कोई शामक औषधि खिलाकर उसका व्यपहरण किया और जब तक वे रुड़की रेलवे स्टेशन पर पकड़े नहीं गए, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया । जबकि, अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार के विरुद्ध केवल मनीषा के मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध होता है, किंतु आश मोहम्मद और इंतज़ार के मध्य अंतर्ग्रस्तता/षड्यंत्र के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि जब इंतज़ार मनीषा को आश मोहम्मद के मकान पर ले गया था तब आश मोहम्मद स्वयं अपने मकान पर मौजूद नहीं था । आश मोहम्मद को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इंतज़ार द्वारा विपदग्रस्त को उसके मकान पर लाया गया है । जब आश मोहम्मद अपने मकान पर आया तो उसे पहली बार उक्त तथ्य के बारे में पता चला । शायद उसे हैरानी हुई । वह अपने मकान पर एक-डेढ़ घंटे रुका और उसके पश्चात् लौटकर नहीं आया, जैसा कि मनीषा के साक्ष्य से स्पष्ट है । इस प्रकार, षड्यंत्र का आरोप न तो अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार और न ही आश मोहम्मद के विरुद्ध सिद्ध होता है । इसलिए अभियुक्त-अपीलार्थी आश मोहम्मद उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख का संबंध है, अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार को भी दोषमुक्त किया जाता है । किंतु वास्तविकता यह है कि मनीषा के विश्वसनीय मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366-क और 376 के अधीन दंडनीय अपराध सिद्ध होते हैं । विपदग्रस्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने कथन में आश मोहम्मद के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है । वेद पाल इत्तिलाकर्ता और विपदग्रस्त का पिता है, जिसने अपनी मुख्य-परीक्षा में अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन किया और यह भी कहा कि उसकी पुत्री राजकीय विद्यालय में पढ़ती थी । जब उसकी पुत्री विद्यालय से नहीं लौटी, तो उसने उसकी जोर-शोर से तलाश

की किंतु उसका पता नहीं चला । सह-ग्रामवासी राजेश और नीतू ने वेद पाल को सूचित किया कि उन्होंने विपदग्रस्त को इंतज़ार के साथ देखा था । वेद पाल (अभि. सा. 1) ने शिकायत को साबित किया और यह भी कहा कि जब घटना घटी थी तब विपदग्रस्त की आयु 13 वर्ष थी । विपदग्रस्त चौथी कक्षा में पढ़ रही थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि वह आश मोहम्मद को नहीं जानता है । किसी भी साक्षी ने आश मोहम्मद की अंतर्ग्रस्तता के बारे में कुछ नहीं कहा है । इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसने (अपना अभिसाक्ष्य देने की तारीख से) आठ मास पहले अपनी पुत्री मनीषा का विवाह किया था । इस प्रकार वेद पाल के साक्ष्य के आधार पर भी आश मोहम्मद के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है । चूंकि विपदग्रस्त की जन्म की तारीख 7 मई, 1999 है और घटना तारीख 12 मार्च, 2009 को घटी थी, इस तुल्यरूपता के द्वारा विपदग्रस्त की आयु घटना की तारीख को लगभग 10 वर्ष थी । इस प्रकार, जहां तक विपदग्रस्त की अप्राप्तवयता का संबंध है, विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र तथा मनीषा और वेद पाल के कथनों में कोई विरोध नहीं है । वेद पाल ने यह कहा कि जब घटना घटी थी, उसकी पुत्री की आयु 13 वर्ष थी । अभि. सा. 5 डा. योगेश कुमार, विकिरण-चिकित्सा विज्ञानी ने विपदग्रस्त की आयु 16 वर्ष से कम होने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया है । इन परिस्थितियों में, विपदग्रस्त की सम्मति, यदि कोई थी, अतात्विक थी, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के प्रयोजन के लिए गणना में लेने की आयु 16 वर्ष है, जैसा कि उक्त धारा की स्कीम से स्पष्ट है । दूसरे शब्दों में, जब घटना घटी थी, तब यदि विपदग्रस्त की आयु 16 वर्ष से कम थी और यदि दलील के लिए यह मान लिया जाए कि विपदग्रस्त ने अभियुक्त के साथ जाने की सम्मति दी थी, तो भी ऐसी सम्मति अतात्विक है । विधि के रचयिता यह अभिनिर्धारित करते समय इस बात से अभिज्ञ थे कि कोई लड़की, जो 16 या 18 वर्ष से कम आयु की है, जब अभियुक्त द्वारा उस पर लैंगिक हमला किया जाता है या व्यपहरण किया जाता है, उसकी सम्मति कोई मायने नहीं रखती है । मामले के इन पहलुओं पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त इंतज़ार को भारतीय दंड संहिता की धारा 366-क और 376 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । इस सीमा तक निचले न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है । (पैरा 8, 9, 12 और 14)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 58.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री रविन्दर सिंह बिष्ट, न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री पी. एस. सौन, अपर सरकारी अधिवक्ता, (सुश्री) शिवाली जोशी और ब्रीफ धारक

न्यायमूर्ति यू. सी. ध्यानी – इत्तिलाकर्ता वेद पाल ने तारीख 13 मार्च, 2009 को थाना अधिकारी, पुलिस थाना गंगनहर, हरिद्वार को एक शिकायत इसमें इन तथ्यों का उल्लेख करते हुए लिखी कि उसकी पुत्री मनीषा, आयु 13 वर्ष, जो प्राथमिक विद्यालय , इब्राहमपुर देहा में पढ़ती है, तारीख 12 मार्च, 2009 से गुम है । मनीषा तारीख 12 मार्च, 2009 को विद्यालय गई थी किंतु सायंकाल तक वापस नहीं आई । जोर-शोर से उसकी तलाश की गई किंतु वह नहीं मिली । सह-ग्रामवासी नीतू और राजेश कुमार ने वेद पाल को सूचित किया कि उन्होंने विपदग्रस्त को अभियुक्त इंतज़ार के साथ देखा था । तारीख 13 मार्च, 2009 को अपराह्न में 10.30 बजे 2009 के अपराध मामला सं. 50 के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366-क के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-7) दर्ज की गई ।

2. अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्त इंतज़ार और आश मोहम्मद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366-क, 376 और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया । मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया । जब विचारण प्रारंभ हुआ और अभियोजन ने अपना पक्षकथन प्रस्तुत किया, तब दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366-क, 376 और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए, अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

3. अभि. सा. 1 वेद पाल, अभि. सा. 2 मनीषा, अभि. सा. 3 राजेश कुमार, अभि. सा. 4 डा. कमल, अभि. सा. 5 डा. योगेश कुमार, अभि. सा. 6 संजय राय गोस्वामी, अभि. सा. 7 उप निरीक्षक गोविंद कुमार और अभि. सा. 8 पूनम अग्रवाल की अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा कराई गई । अभियुक्तों के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपराध में आलिप्त करने वाला साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने यह कहा कि उन्हें मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अभियुक्त (इंतज़ार) ने यह कहा कि उसकी विपदग्रस्त के साथ जान-पहचान है, किंतु अभियोजन का वृत्तांत मिथ्या है । प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया ।

4. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, रुड़की ने अभिलेख के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् दो अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया । अभियुक्त आश मोहम्मद को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया । अभियुक्त इंतज़ार और आश मोहम्मद को भारतीय दंड संहिता की धारा 366-क और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया । दोनों दोषसिद्ध व्यक्तियों को समुचित रूप से दंडादेश दिया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर, दोषसिद्ध व्यक्तियों ने अलग-अलग वर्तमान दांडिक अपीलें फाइल की हैं ।

5. अभियोजन पक्ष ने विपदग्रस्त अभि. सा. 2 के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया । इस साक्षी ने अपनी मुख्य-परीक्षा में यह कहा कि वह गांव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही थी । दुर्भाग्यशाली दिन जब वह विद्यालय से अपने घर लौट रही थी, अभियुक्त इंतज़ार ने उसे कोई शामक औषधि या नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गई । जब अभि. सा. 2 को होश आया तो उसने अपने आप को मंगलौर में आश मोहम्मद के घर में पाया । आश मोहम्मद और इंतज़ार आपस में यह बात कर रहे थे कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है और इसलिए उन्होंने अभि. सा. 2 को कहीं और ले जाने की योजना बनाई । उसके बाद अभि. सा. 2 को एक अन्य स्थान पर ले जाया गया, किंतु इससे पूर्व इंतज़ार ने उसके साथ बलात्संग किया । इंतज़ार उसे मेरठ लाया और वहां पर उसे अपने किसी जान-पहचान वाले के मकान पर रखा । इंतज़ार ने अभि. सा. 2 पर अपने साथ विवाह करने के लिए जोर दिया, जिसके लिए अभि. सा. 2 ने मना कर दिया । इंतज़ार ने मेरठ में भी उसके साथ बलात्संग किया । उसके पश्चात् इंतज़ार अभि. सा. 2 को रुड़की लाया, जहां पर वे पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए । विपदग्रस्त और अभियुक्त इंतज़ार को पुलिस थाने लाया गया । अभि. सा. 2 का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । पुलिस ने उसके पहने हुए कपड़े अपने कब्जे में लिए और उनका एक ज्ञापन (प्रदर्श क-2) तैयार किया, जिस पर अभि. सा. 2 द्वारा हस्ताक्षर किए गए ।

6. अभि. सा. 2 ने यह भी कहा कि अगले दिन एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया । अभि. सा. 2 ने इस बात की पुष्टि की कि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन (प्रदर्श क-2) किया था । अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि वह विद्यालय में विद्यालय की वर्दी पहनकर गई

थी । सह-ग्रामवासियों के बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ते हैं । जब उसका व्यपहरण किया गया था, तब उसके साथ कोई अन्य बच्चा नहीं था । उस दिन विद्यालय में दोपहर का भोजन (मिड-डे मील) नहीं दिया गया था । अभि. सा. 2 से प्रतिपरीक्षा में विद्यालय के अवस्थान और घटनास्थल के बारे में भी पूछा गया । अभि. सा. 2 ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया । अभि. सा. 2 ने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त इंतज़ार द्वारा उसे दुर्भाग्यशाली दिन कुछ खाने की चीज दी गई थी । अभि. सा. 2 शामक औषधि या नशीला पदार्थ देने पर बेहोश हुई थी । उसे मंगलौर में सायंकाल में होश आया था । उसे मंगलौर में दो रात रखा गया था । अभि. सा. 2 ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल के आस-पास में आबादी थी । अभि. सा. 2 ने यह भी कहा कि उसे कमरे के अंदर रखा गया था और उसे बाहर जाने की अनुज्ञा नहीं थी । अभि. सा. 2 इस घटना से पहले कभी भी मंगलौर नहीं गई थी । उसे मेरठ में भी एक मकान में रखा गया था । जब अभि. सा. 2 मेरठ से रुड़की लौट रही थी, तब उसने अभियुक्त इंतज़ार के साथ एक बस में यात्रा की थी । अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में यह स्वीकार किया है कि उसका (अभिसाक्ष्य देने की तारीख से) 7-8 मास पहले किसी और से विवाह हुआ था । अभि. सा. 2 जानती है कि "बलात्संग" का क्या अर्थ है । इंतज़ार अभि. सा. 2 की दुकान पर चाय पीने आता रहता था । जब घटना घटी तब अभि. सा. 2 चौथी कक्षा में पढ़ रही थी । अभि. सा. 2 ने बस अड्डे पर किसी पुलिस वाले को नहीं देखा था । पुलिस ने उसके पहने हुए कपड़े अपने कब्जे में लिए थे ।

7. अभि. सा. 2 ने यह भी कहा कि उसकी चाय की दुकान रुड़की-भगवानपुर रोड पर स्थित है । उसने इस घटना से पहले आश मोहम्मद को देखा था । अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि जब इंतज़ार उसे आश मोहम्मद के मकान पर ले गया था, तब आश मोहम्मद अपने मकान पर मौजूद नहीं था । वह बाद में अपने मकान पर आया था । जब आश मोहम्मद आया तो वह एक-डेढ़ घंटा वहां रुका । उसके पश्चात् वह अपने मकान पर वापस नहीं आया । अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा में बहुत सारे अन्य प्रश्न भी पूछे गए थे, जो उल्लेखनीय नहीं हैं ।

8. अभि. सा. 2 के साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार ने अभियोक्त्री को कोई शामक औषधि खिलाकर उसका व्यपहरण किया और जब तक वे रुड़की रेलवे स्टेशन पर पकड़े नहीं गए, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया । जबकि,

अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार के विरुद्ध केवल अभि. सा. 2 के मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध होता है, किंतु आश मोहम्मद और इंतज़ार के मध्य अंतर्ग्रस्तता/षड्यंत्र के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि जब इंतज़ार अभि. सा. 2 को आश मोहम्मद के मकान पर ले गया था तब आश मोहम्मद स्वयं अपने मकान पर मौजूद नहीं था । आश मोहम्मद को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इंतज़ार द्वारा विपदग्रस्त को उसके मकान पर लाया गया है । जब आश मोहम्मद अपने मकान पर आया तो उसे पहली बार उक्त तथ्य के बारे में पता चला । शायद उसे हैरानी हुई । वह अपने मकान पर एक-डेढ़ घंटे रुका और उसके पश्चात् लौटकर नहीं आया, जैसा कि अभि. सा. 2 के साक्ष्य से स्पष्ट है । इस प्रकार, षड्यंत्र का आरोप न तो अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार और न ही आश मोहम्मद के विरुद्ध सिद्ध होता है । इसलिए अभियुक्त-अपीलार्थी आश मोहम्मद उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख का संबंध है, अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार को भी दोषमुक्त किया जाता है । किंतु वास्तविकता यह है कि अभि. सा. 2 के विश्वसनीय मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366-क और 376 के अधीन दंडनीय अपराध सिद्ध होते हैं । विपदग्रस्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने कथन में आश मोहम्मद के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है ।

9. अभि. सा. 1 वेद पाल इत्तिलाकर्ता और विपदग्रस्त का पिता है, जिसने अपनी मुख्य-परीक्षा में अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन किया और यह भी कहा कि उसकी पुत्री राजकीय विद्यालय में पढ़ती थी । जब उसकी पुत्री विद्यालय से नहीं लौटी, तो उसने उसकी जोर-शोर से तलाश की किंतु उसका पता नहीं चला । सह-ग्रामवासी राजेश और नीतू ने अभि. सा. 1 को सूचित किया कि उन्होंने विपदग्रस्त को इंतज़ार के साथ देखा था । अभि. सा. 1 ने शिकायत (प्रदर्श क-1) को साबित किया और यह भी कहा कि जब घटना घटी थी तब विपदग्रस्त की आयु 13 वर्ष थी । विपदग्रस्त चौथी कक्षा में पढ़ रही थी । अभि. सा. 1 प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि वह आश मोहम्मद को नहीं जानता है । किसी भी साक्षी ने आश मोहम्मद की अंतर्ग्रस्तता के बारे में कुछ नहीं कहा है । अभि. सा. 1 ने यह भी कहा कि उसने (अपना अभिसाक्ष्य देने की तारीख से) आठ मास पहले अपनी पुत्री मनीषा का विवाह किया था । इस प्रकार अभि. सा. 1 के साक्ष्य के आधार पर भी आश मोहम्मद के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता

है ।

10. अभि. सा. 3 राजेश कुमार वह व्यक्ति है जिसने अभि. सा. 1 को यह सूचित किया था कि विपदग्रस्त को अभियुक्त इंतज़ार के साथ देखा गया था । अभि. सा. 6 संजय राय एक औपचारिक साक्षी है, जिसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-7) और रोजनामचे में इसकी प्रविष्टि (प्रदर्श क-8) को साबित किया है । अभि. सा. 7 उप निरीक्षक गोविंद कुमार मामले का अन्वेषक अधिकारी था ।

11. अभि. सा. 4 डा. कमल, चिकित्सा अधिकारी ने तारीख 16 मार्च, 2009 को अपराह्न में 2.30 बजे विपदग्रस्त का परीक्षण किया था । अभि. सा. 4 की यह निश्चित राय नहीं थी कि विपदग्रस्त के साथ बलात्संग किया गया था या नहीं । अभि. सा. 4 ने रिपोर्ट (प्रदर्श क-4) और अनुपूरक रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) को साबित किया है । चिकित्सा अधिकारी ने विपदग्रस्त के गुप्तांगों पर कोई क्षति नहीं पाई थी । योनि में आसानी से एक अंगुली जा रही थी । योनिच्छद फटा हुआ था । योनि में कोई रक्त मौजूद नहीं था । योनिक स्राव का फाया लिया गया था और हाइस्ट्रोपेथालाजिकल परीक्षण के लिए भेजा गया था । विपदग्रस्त को उसकी आयु का अवधारण करने के लिए विकिरण-चिकित्सा विज्ञानी के पास भी रेफर किया गया था । अभि. सा. 5 डा. योगेश कुमार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभि. सा. 4 ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुपूरक रिपोर्ट दी कि मनीषा की आयु 16 वर्ष से अधिक और 17 वर्ष से कम है । कोई शुक्राणु, जीवित या मृत, नहीं दिखाई दिया । अभि. सा. 5 डा. योगेश कुमार, विकिरण-चिकित्सा विज्ञानी ने प्रगण्डिका अस्थि के निचले सिरे तथा बहिःप्रकोष्ठिका और अंतःप्रकोष्ठिका अस्थि के ऊपरि सिरे पर पूर्ण अस्थिशिर संयोजन पाया । जंघास्थि के निचले सिरे और अंतर्जंघिका अस्थि के ऊपरि सिरे पर आंशिक अस्थिशिर संयोजन देखा गया । बहिःप्रकोष्ठिका और अंतःप्रकोष्ठिका अस्थि के निचले सिरे पर अस्थिशिर संयोजन नहीं देखा गया । अभि. सा. 5 ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श क-6) को साबित किया । अभि. सा. 5 ने अपने कथन में इस संभावना से इनकार नहीं किया कि विपदग्रस्त की आयु 16 वर्ष से कम हो सकती है ।

12. विपदग्रस्त की आयु संबंधी विवाद को अभि. सा. 8 श्रीमती पूनम अग्रवाल, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इब्राहमपुर देहा, रुड़की की भारसाधक प्रधानाचार्य है, द्वारा समाप्त किया गया । अभि. सा. 8 ने यह कहा कि मनीषा की जन्म की तारीख 7 मई, 1999 है । मनीषा तीसरी

कक्षा की विद्यार्थी थी । अभि. सा. 8 ने विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र (प्रदर्श क-12) को साबित किया । वह विचारण न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने के लिए मूल दस्तावेज लेकर आई । चूंकि विपदग्रस्त की जन्म की तारीख 7 मई, 1999 है और घटना तारीख 12 मार्च, 2009 को घटी थी, इस तुल्यरूपता के द्वारा विपदग्रस्त की आयु घटना की तारीख को लगभग 10 वर्ष थी । इस प्रकार, जहां तक विपदग्रस्त की अप्राप्तवयता का संबंध है, विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र और अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के कथनों में कोई विरोध नहीं है । अभि. सा. 1 ने यह कहा कि जब घटना घटी थी, उसकी पुत्री की आयु 13 वर्ष थी । अभि. सा. 5 डा. योगेश कुमार, विकिरण-चिकित्सा विज्ञानी ने विपदग्रस्त की आयु 16 वर्ष से कम होने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया है । इन परिस्थितियों में, विपदग्रस्त की सम्मति, यदि कोई थी, अतात्विक थी, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के प्रयोजन के लिए गणना में लेने की आयु 16 वर्ष है, जैसा कि उक्त धारा की स्कीम से स्पष्ट है ।

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्संग को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जो पुरुष एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छह भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है, वह पुरुष बलात्संग करता है, यह कहा जाता है :–

"....

....

छठा – उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है ।

....

...."

14. दूसरे शब्दों में, जब घटना घटी थी, तब यदि विपदग्रस्त की आयु 16 वर्ष से कम थी और यदि दलील के लिए यह मान लिया जाए कि विपदग्रस्त ने अभियुक्त के साथ जाने की सम्मति दी थी, तो भी ऐसी सम्मति अतात्विक है । विधि के रचयिता यह अभिनिर्धारित करते समय इस बात से अभिज्ञ थे कि कोई लड़की, जो 16 या 18 वर्ष से कम आयु की है, जब अभियुक्त द्वारा उस पर लैंगिक हमला किया जाता है या व्यपहरण किया जाता है, उसकी सम्मति कोई मायने नहीं रखती है । मामले के इन

पहलुओं पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त इंतज़ार को भारतीय दंड संहिता की धारा 366-क और 376 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । इस सीमा तक निचले न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है ।

15. विद्वान् न्याय-मित्र ने यह अनुरोध किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार चार वर्ष से अधिक समय से कारागार में है । विद्वान् न्याय-मित्र ने यह कहा कि इंतज़ार के परिवार में कमाने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है । न्याय-मित्र ने यह भी कहा कि जब अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपराध कारित किया गया था, वह एक नवयुवक था । अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार पर्याप्त रूप से लंबी अवधि से कारागार में है और उसका कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिवृत्त नहीं है । इसलिए यह न्यायालय अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार को निचले न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को कम करने के लिए राजी है ।

16. अतः अभियुक्त-अपीलार्थी आश मोहम्मद द्वारा फाइल की गई दांडिक अपील मंजूर की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 366-क और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को तद्द्वारा अपास्त किया जाता है । अभियुक्त-अपीलार्थी आश मोहम्मद जमानत पर है । उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है । उसे अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है । अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार द्वारा फाइल की गई दांडिक कारागार अपील भागतः मंजूर की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराध की बाबत अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को तद्द्वारा अपास्त किया जाता है । उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । निचले न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 366-क और 376 के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत अधिनिर्णीत की गई उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है/कायम रखी जाती है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा दोनों धाराओं के अधीन अभिलिखित किए गए दंडादेशों को उपांतरित किया जाता है । अभियुक्त-अपीलार्थी

भारतीय दंड संहिता की धारा 366-क के अधीन सात वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगेगा और दस हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करेगा तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर वह एक वर्ष की अवधि का और कारावास भोगेगा । वह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन सात वर्ष का कठोर कारावास भोगेगा और दस हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करेगा तथा जुर्माने की रकम के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का और कारावास भोगेगा । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार कारागार में है । विचारण न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार इस न्यायालय द्वारा यथा उपांतरित दंडादेश भुगते ।

17. इस निर्णय की एक प्रति संबंधित कारागार अधीक्षक, जहां अभियुक्त-अपीलार्थी इंतज़ार फिलहाल अपना दंडादेश भुगत रहा है, को भेजी जाए ।

18. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निचले न्यायालय को भी उसके अभिलेख सहित भेजी जाए ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

जस.

इंसार

बनाम

उत्तराखंड राज्य

तारीख 18 जून, 2013

न्यायमूर्ति आलोक सिंह

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 8, 15 और 50 – विनिषिद्ध पदार्थ पोस्त तृण का परिवहन – तलाशी – चूंकि विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी यान (कार) से हुई, इसलिए इसे व्यक्तिगत तलाशी नहीं कहा जा सकता और धारा 50 के उपबंध लागू

नहीं होते तथा साक्षियों के साक्ष्य तथा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि उचित है और उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार पुलिस दल तारीख 4 जून, 2010 को विधि और व्यवस्था बनाए रखने के प्रयोजन के लिए यानों की जांच-पड़ताल कर रहा था । इसी बीच पुलिस दल को डाकपठार की तरफ से आ रही एक मारुति कार दिखाई पड़ी । पुलिस दल को देखकर कार के ड्राइवर ने लगभग 50 मीटर पहले ही कार रोकी और यू-टर्न लेने की कोशिश की । कार को यू-टर्न लेते हुए देखकर पुलिस को संदेह हुआ और दौड़कर कार को पकड़ लिया गया । पूछने पर कार के ड्राइवर (अभियुक्त-अपीलार्थी) ने पुलिस दल को बताया कि वह लगभग 80 कि. ग्रा. पोस्ट तृण ले जा रहा था और मुजफ्फरनगर की ओर जा रहा था और पुलिस दल को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था । पुलिस दल द्वारा कार की तलाशी लेने से पूर्व अभियुक्त को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में उसकी तलाशी लेने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित किया गया किंतु अभियुक्त ने इससे इनकार कर दिया । स्वतंत्र लोक साक्षी उपलब्ध कराने की कोशिश की गई किंतु कोई लोक साक्षी उपलब्ध नहीं हो सका । कार की तलाशी लेने पर उसकी पिछली सीट और डिक्की से चार थैले बरामद हुए जिनमें विनिषिद्ध पदार्थ पोस्त तृण भरा हुआ था । घटनास्थल पर नमूने लिए गए और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की गईं । अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने पर न्यायालय में चालान फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य तथा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को दृष्टिगत करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा चलाई जा रही कार की पिछली सीट और डिक्की से 78 कि. ग्रा. पोस्त तृण बरामद किया गया था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के उपबंध किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होगा और इसका विस्तार यान, आधान, थैले या परिसर की तलाशी तक नहीं है, इसलिए सुश्री प्रभा नैथानी की यह दलील कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम

की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया है, स्वीकार नहीं की जा सकती है । अभि. सा. 3 कांस्टेबल अजय रौतेला ने शपथ पर यह कथन किया कि विशेष न्यायाधीश (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम) की मौजूदगी में चार अलग-अलग थैलों से लिए गए नमूने और अभि. सा. 1 द्वारा घटनास्थल पर लिए गए नमूनों को उसे न्यायालय की मुद्रा और हस्ताक्षर वाले एक अनुरोध पत्र के साथ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, देहरादून में परिदत्त किए जाने के लिए सौंपे गए थे और उसने उन नमूनों को अविकल दशा में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में सौंपा था । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि कांस्टेबल अजय रौतेला द्वारा तारीख 9 जून, 2010 को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में पांच पैकेट नमूना मुद्रा सहित सौंपे गए थे और जांच तथा तुलना करने पर मुद्राएं अविकल पाई गई थीं और नमूना पार्सल के साथ मिलान किया गया था । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, नमूने पोस्त तृण के पाए गए थे । न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी (प्रति सा. 1) के शपथ पर तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन का परिशीलन किया है । यद्यपि अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन में यह कहा है कि जब वह सड़क पर खड़ा था तब पुलिस आई और उसका नाम और पता पूछा और जैसे ही उसने बताया कि वह मुजफ्फरनगर का निवासी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे मिथ्या रूप से फंसा दिया, तथापि, अपीलार्थी (प्रति सा. 1) ने यह कथन किया है कि उसकी पुलिस थाना, विकास नगर, जिला देहरादून की पुलिस के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और उसने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उसे क्यों और किसकी प्रेरणा पर मिथ्या रूप से फंसाया गया है । इसलिए अपीलार्थी को मिथ्या फंसाए जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती है । इस कथन को दृष्टिगत करते हुए कि उसकी पुलिस के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, अभियोजन के वृत्तांत पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है । यह सही है कि मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, किंतु अभि. सा. 1 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि तारीख 4 जून, 2010 को तपती धूप और गर्मी के कारण कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र लोक साक्षी बनने के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए अभि. सा. 1 द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण समाधानप्रद प्रतीत होता है । इसमें ऊपर की गई चर्चा को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए यह अपील असफल है और खारिज की जाती है । (पैरा 8, 10, 13, 14 और 15)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 3 एस. सी. सी. 746 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 582 (सप्ली.) : **अजमेर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** । 8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 207.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री प्रभा नैथानी

राज्य की ओर से सर्वश्री रमन कुमार साह, अपर सरकारी अधिवक्ता और एस. एस. अधिकारी

न्यायमूर्ति आलोक सिंह – वर्तमान अपील 2010 के विशेष सेशन विचारण सं. 43 में विशेष न्यायाधीश (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम), देहरादून द्वारा तारीख 30 जुलाई, 2007 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/15 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और दस वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा एक लाख रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने की रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर एक मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है ।

2. अभियोजन के वृत्तांत के अनुसार, अभि. सा. 1 उप निरीक्षक मदन सिंह, अभि. सा. 2 देवेन्द्र सिंह पंवार, अभि. सा. 3 कांस्टेबल अजय रौतेला और कांस्टेबल प्रदीप नेगी तारीख 4 जून, 2010 को अपराह्न में 12.30 बजे रिपोर्ट सं. 30 द्वारा विधि और व्यवस्था बनाए रखने तथा यानों की जांच करने के लिए पुलिस थाने से गए । पुलिस दल यानों की जांच करने के लिए शक्ति नहर के पुल सं. 2 पर मौजूद था, इसी बीच पुलिस दल द्वारा डाकपठार की तरफ से आ रही एक सफेद मारुति कार देखी गई । पुलिस दल को देखकर कार के ड्राइवर ने लगभग 50 मीटर पहले ही कार रोकी और यू-टर्न लेने की कोशिश की । कार को यू-टर्न लेते हुए देखकर पुलिस दल के मस्तिष्क में संदेह पैदा हुआ, इसलिए पुलिस दल कार की ओर दौड़ा और कार के ड्राइवर को पकड़ लिया । पूछने पर अपीलार्थी ने

अपना परिचय दिया और पुलिस दल को बताया कि वह लगभग 80 कि. ग्रा. पोस्त तृण ले जा रहा था और इसका व्ययन करने के लिए मुजफ्फरनगर की ओर जा रहा था, इसलिए पुलिस दल को देखकर वह घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहा था । इस पर अपीलार्थी को किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लेने के उसके विधिक अधिकार के बारे में जानकारी दी गई, तथापि, अपीलार्थी ने पुलिस दल को कहा कि पुलिस दल द्वारा ही उसकी तलाशी ली जा सकती है और वह किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लिए जाने का इच्छुक नहीं है । अपीलार्थी की सम्मति अभिप्राप्त की गई । पुलिस दल ने स्वतंत्र लोक साक्षी उपलब्ध कराने की कोशिश की, तथापि, तेज धूप होने के कारण कोई व्यक्ति नहीं पाया । अभि. सा. 1 ने मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की कोशिश की, किंतु संपर्क नहीं हो सका, परिणामस्वरूप पुलिस दल ने एक-दूसरे की तलाशी लेने के पश्चात् कार का निरीक्षण किया और कार संख्यांक एच आर 11-9184 के पिछले भाग और डिक्की से चार थैले बरामद किए । थैलों पर लगे टांकों को खोला गया और पुलिस दल का यह समाधान होने पर कि सभी चारों थैलों में पोस्त तृण है, अपीलार्थी को 78 कि. ग्रा. पोस्त तृण ले जाने के लिए अपनी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दिखाने के लिए कहा । अपीलार्थी कोई अनुज्ञप्ति नहीं दिखा सका और क्षमा-याचना करने लगा । अपीलार्थी को उसके द्वारा कारित किए गए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/15 के अधीन दंडनीय अपराध के बारे में सूचित किया गया और उसे अपराह्न में 2.20 बजे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया । अपीलार्थी द्वारा चलाई जा रही कार से बरामद थैलों से नमूने के रूप में 500 ग्राम पोस्त तृण निकाला गया और शेष विनिषिद्ध पदार्थ को अभि. सा. 1 की मुद्रा से मुद्रांकित और हस्ताक्षर करके रखा गया । घटनास्थल पर नमूना मुद्रा तैयार की गई । इसके पश्चात् अपीलार्थी को चालन-अनुज्ञप्ति और कार के कागजात दिखाने के लिए कहा गया, किंतु वह इन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा । अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए श्रुतलेख के आधार पर अभि. सा. 2 ने घटनास्थल पर गिरफ्तारी ज्ञापन और अभिग्रहण ज्ञापन तैयार किया और उसके पश्चात् अपीलार्थी, मारुति कार संख्यांक एच आर 11-9184, बरामद किया गया विनिषिद्ध पदार्थ, लिया गया नमूना और तैयार की गई मुद्रा को पुलिस थाने लाया गया और थाना अधिकारी को सौंपा गया ।

3. अन्वेषण का कार्य अभि. सा. 4 को सौंपा गया । अन्वेषक अधिकारी ने अपीलार्थी को बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ और घटनास्थल पर लिए गए नमूने तथा घटनास्थल पर तैयार की गई नमूना मुद्रा सहित तारीख 5 जून, 2010 को विशेष न्यायाधीश (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम) के समक्ष पेश किया । विशेष न्यायाधीश (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम) के समक्ष एक आवेदन यह अनुरोध करते हुए दिया गया कि थैलों से नमूने लेने के लिए अनुज्ञा दी जाए और न्यायालय की मौजूदगी में नमूने लिए गए । अभि. सा. 1 द्वारा लिए गए नमूने अजय रौतेला (अभि. सा. 3) के माध्यम से न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, देहरादून भेजे गए । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि नमूने पोस्त तृण के पाए गए हैं तथा अन्वेषण पूर्ण होने पर अभि. सा. 4 ने अपीलार्थी के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/15 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने आरोप से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन वृत्तांत को साबित करने के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी अभि. सा. 1, पुलिस दल के सदस्य अभि. सा. 2 और अभिग्रहण ज्ञापन और गिरफ्तारी ज्ञापन के लेखक उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह पवार, अभि. सा. 3 कांस्टेबल अजय रौतेला, अभि. सा. 4 अन्वेषक अधिकारी अनुरोध व्यास और अभि. सा. 5 मलखान, मोहर्रिर कांस्टेबल सोहन वीर सिंह की परीक्षा कराई गई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का भी कथन अभिलिखित किया गया और उसके पश्चात् स्वयं अभियुक्त-अपीलार्थी की प्रति. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई ।

5. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् अपीलाधीन आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया ।

6. मैंने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल सुश्री प्रभा नैथानी और राज्य की ओर से ब्रीफ धारी श्री रमन कुमार साह, अपर सरकारी अधिवक्ता, जिनकी श्री एस. एस. अधिकारी द्वारा सहायता की गई, को सुना और सावधानीपूर्वक अभिलेख का परिशीलन किया ।

7. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह

दलील दी कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का कोई अनुपालन नहीं किया गया है और इस आशय के इस ढुलमुल कथन कि अभि. सा. 1 ने दूरभाष पर मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की कोशिश की थी का अभियोजन के लिए कोई उपयोग नहीं है ।

8. वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा चलाई जा रही कार की पिछली सीट और डिक्की से 78 कि. ग्रा. पोस्त तृण बरामद किया गया था । **अजमेर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के उपबंध किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होगा और इसका विस्तार यान, आधान, थैले या परिसर की तलाशी तक नहीं है, इसलिए सुश्री प्रभा नैथानी की यह दलील कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया है, स्वीकार नहीं की जा सकती है ।

9. अभि. सा. 1 उप निरीक्षक मदन सिंह, अभि. सा. 2 उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह पंवार ने साक्षी कठघरे में उपसंजात होकर अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया है । उनकी विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी किंतु प्रतिपरीक्षा के दौरान उनके कथनों में कोई भी प्रतिकूल बात नहीं निकाली जा सकी ।

10. अभि. सा. 3 कांस्टेबल अजय रौतेला ने शपथ पर यह कथन किया कि विशेष न्यायाधीश (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम) की मौजूदगी में चार अलग-अलग थैलों से लिए गए नमूने और अभि. सा. 1 द्वारा घटनास्थल पर लिए गए नमूनों को उसे न्यायालय की मुद्रा और हस्ताक्षर वाले एक अनुरोध पत्र के साथ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, देहरादून में परिदत्त किए जाने के लिए सौंपे गए थे और उसने उन नमूनों को अविकल दशा में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में सौंपा था । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श क-14) से यह प्रकट होता है कि कांस्टेबल अजय रौतेला द्वारा तारीख 9 जून, 2010 को न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला में पांच पैकेट नमूना मुद्रा सहित सौंपे गए थे और जांच तथा तुलना करने पर मुद्राएं अविकल पाई गई थीं और नमूना पार्सल के साथ मिलान किया गया था । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, नमूने पोस्त तृण के पाए गए थे ।

---

[1] (2010) 3 एस. सी. सी. 746 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 582 (सप्ली.).

11. अभि. सा. 5 हैड कांस्टेबल सोहन वीर सिंह ने न्यायालय के समक्ष मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की और यह कथन किया कि मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के अनुसार चार थैलों में बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ, नमूना मद्रा और अभि. सा. 1 द्वारा लिए गए नमूने को मालखाने में अविकल स्थिति में रखा गया था ।

12. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल सुश्री प्रभा नैथानी ने यह दलील दी कि अपीलार्थी आम के बगीचे में माली का काम करता था और वह सड़क पर खड़ा था, इसी बीच पुलिस आई और उसका नाम और पता पूछा और उसने जैसे ही यह कहा कि वह मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे वर्तमान मामले में फंसा दिया तथा अपीलार्थी के कब्जे से किसी पोस्त तृण की बरामदगी नहीं हुई थी और अपीलार्थी साइकिल तथा कार चलाना नहीं जानता है । इसलिए संपूर्ण अभियोजन वृत्तांत मनगढ़ंत और गलत है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि वास्तविक अपराधी को बचाने के लिए अपीलार्थी को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

13. मैंने अभियुक्त-अपीलार्थी के शपथ पर तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन का परिशीलन किया है । यद्यपि अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन में यह कहा है कि जब वह सड़क पर खड़ा था तब पुलिस आई और उसका नाम और पता पूछा और जैसे ही उसने बताया कि वह मुजफ्फरनगर का निवासी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे मिथ्या रूप से फंसा दिया, तथापि, अपीलार्थी (प्रति. सा. 1) ने यह कथन किया है कि उसकी पुलिस थाना, विकास नगर, जिला देहरादून की पुलिस के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और उसने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उसे क्यों और किसकी प्रेरणा पर मिथ्या रूप से फंसाया गया । इसलिए अपीलार्थी को मिथ्या फंसाए जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती है ।

14. इस कथन को दृष्टिगत करते हुए कि उसकी पुलिस के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, अभियोजन के वृत्तांत पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है । यह सही है कि मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, किंतु अभि. सा. 1 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि तारीख 4 जून, 2010 को तपती धूप और गर्मी के कारण कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र लोक साक्षी बनने के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए अभि. सा. 1 द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण समाधानप्रद प्रतीत होता है ।

15. इसमें ऊपर की गई चर्चा को दृष्टिगत करते हुए मेरा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए यह अपील असफल है और खारिज की जाती है । अपीलार्थी कारागार में है । वह विचारण न्यायालय द्वारा यथा अधिनिर्णीत शेष दंडादेश को भोगेगा ।

16. इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित निचले न्यायालय को सूचनार्थ भेजी जाए ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

(2014) 1 दा. नि. प. 161 **उत्तराखंड**

शेरु

बनाम

उत्तराखंड राज्य

तारीख 2 जुलाई, 2013

न्यायमूर्ति आलोक सिंह

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 8, 20 और 42 – विनिषिद्ध पदार्थ कब्जे में रखना – पुलिस को अभियुक्त के पास विनिषिद्ध पदार्थ (चरस) होने से संबंधित गुप्त सूचना प्राप्त होना – पुलिस द्वारा चरस की बरामदगी और गुप्त सूचना संबंधी जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं देने, इसे लेखबद्ध नहीं करने और चरस को तोलने के लिए जिस व्यक्ति से तराजू ली गई, उसके घटनास्थल पर मौजूद होने के बावजूद तलाशी, बरामदगी और अभिग्रहण ज्ञापन पर उसके हस्ताक्षर और उसकी परीक्षा नहीं कराने से अभियुक्त की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होने पर उसे दोषमुक्त करना उचित होगा ।

मामले के तथ्यों के अनुसार, पुलिस दल जो क्षेत्र में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त पर था, को एक पुलिस भेदिए के माध्यम से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बिलकेश्वर मंदिर रोड पर हनुमान मंदिर

के निकट खड़े एक व्यक्ति के पास चरस है । पुलिस भेदिए द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास करके पुलिस दल ने एक-दूसरे की तलाशी ली और यह समाधान होने पर कि उनमें से किसी के पास कोई अवैध वस्तु/विनिषिद्ध पदार्थ नहीं है, भेदिए के साथ बिलकेश्वर मंदिर रोड की ओर गया । भेदिए ने हनुमान मंदिर के निकट खड़े एक व्यक्ति की ओर संकेत किया और उस स्थान से चला गया, उसके पश्चात् पुलिस दल ने स्वतंत्र लोक साक्षी बनाने की कोशिश की, तथापि, कोई भी स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए राजी नहीं हुआ । उसके पश्चात् पुलिस दल हनुमान मंदिर के निकट खड़े व्यक्ति की ओर चली । पुलिस दल को देख कर उस व्यक्ति ने बचने की कोशिश की किंतु पुलिस दल द्वारा उसे पकड़ लिया गया और पूछने पर उसने अपनी पहचान प्रकट की । उसे उसके इस विधिक अधिकार के बारे में बताया गया कि वह किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी देने का हकदार है, तथापि, अपीलार्थी ने पुलिस दल को कहा कि चूंकि पुलिस दल ने उसे पकड़ लिया है, इसलिए पुलिस दल ही उसकी तलाशी ले सकता है । ऐसी सहमति प्राप्त होने पर पुलिस दल द्वारा उसकी तलाशी ली गई और तलाशी लेने पर यह पाया गया कि वह एक नीले रंग का पोलीथिन का थैला लिए हुए था जिसमें चरस थी और उसके कब्जे से बरामद हुई चरस को तोलने के लिए एक फल विक्रेता, जो अपनी रेहड़ी के साथ वहां से गुजर रहा था, से तराजू ली गई । तोलने पर चरस एक किलोग्राम पाई गई । एक किलोग्राम चरस में से 100 ग्राम चरस नमून के तौर पर निकाली गई । लिए गए नमूने और बरामद हुए विनिषिद्ध पदार्थ को मुद्रांकित लिफाफे में रखा गया और उसके पश्चात् विनिषिद्ध पदार्थ, नमूने और नमूना-मुद्रा तथा अभियुक्त-अपीलार्थी को पुलिस थाने लाया गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् उसके विरुद्ध स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । मामला सुपुर्द होने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने उसके विरुद्ध स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए । उसने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – कांस्टेबल शशिकांत ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया कि घटना के बारे में न तो उसके द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था और न ही दरोगा जी ने गुप्त सूचना के बारे में उच्च अधिकारियों को बताया था और यह साक्षी यह नहीं कह सकता कि सूचना उच्च अधिकारियों को भेजी भी गई थी या नहीं । कांस्टेबल शशिकांत और ज्येष्ठ उप-निरीक्षक, दिनेश कुमार के कथनों तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार तराजू पप्पू पुत्र रामपाल से ली गई थी जो अपनी रेहड़ी (चलता-फिरता ठेला) के साथ उस सड़क से गुजर रहा था और उसके पश्चात् बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ को उसकी तराजू से तोला गया था, तथापि, पप्पू की परीक्षा नहीं कराई गई है और यदि पप्पू घटनास्थल पर मौजूद था तो तलाशी, बरामदगी और अभिग्रहण ज्ञापन पर उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं लिए गए, अभियोजन पक्ष द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । न्यायालय की सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से संधार्य नहीं है । (पैरा 13 और 14)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 2 एस. सी. सी. 502 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 357 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 723 :
किशन चंद बनाम **हरियाणा राज्य** ; 10

[2009] (2009) 8 एस. सी. सी. 539 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. डब्ल्यू. 5265 = 2009 क्रिमिनल ला जर्नल 4299 :
करनैल सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 11

[2002] (2002) 2 एस. सी. सी. 513 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 21 = 2000 क्रिमिनल ला जर्नल 1384 :
अब्दुल रशीद इब्राहीम मंसूरी बनाम **गुजरात राज्य** । 11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक कारागार अपील सं. 23.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री तपन सिंह, न्याय-मित्र

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री एस. के. चौधरी, अपर सरकारी अधिवक्ता और आसिफ अली, ब्रीफ धारक

न्यायमूर्ति आलोक सिंह – वर्तमान अपील 2010 के विशेष सेशन विचारण सं. 15 में विशेष न्यायाधीश (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम)/षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा तारीख 4 अप्रैल, 2011 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और दस वर्ष का कठोर कारावास भोगने और एक लाख रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है ।

2. वर्तमान मामले के तथ्य, अन्य बातों के साथ-साथ, ये हैं कि अभि. सा. 2 ज्येष्ठ उप-निरीक्षक दिनेश कुमार तारीख 27 दिसम्बर, 2009 को अपराह्न में 5.00 बजे कांस्टेबल राजवर्धन, कांस्टेबल उत्तम रमोला, कांस्टेबल शशि कांत (अभि. सा. 1) और कांस्टेबल सुशील कुमार के साथ क्षेत्र में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिपोर्ट सं. 45 द्वारा पुलिस थाने से रवाना हुए । जब पुलिस दल लालतारव पुल के निकट पहुंचा तो पुलिस भेदिए ने पुलिस दल को गुप्त सूचना दी कि बिलकेश्वर मंदिर रोड पर हनुमान मंदिर के निकट खड़े एक व्यक्ति के पास चरस है । पुलिस भेदिए द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास करके पुलिस दल ने परस्पर तलाशी ली और यह समाधान होने पर कि उनमें से किसी के पास कोई अवैध वस्तु/विनिषिद्ध पदार्थ नहीं है, पुलिस दल भेदिए के साथ बिलकेश्वर मंदिर रोड की ओर गया । भेदिए ने हनुमान मंदिर के निकट खड़े एक व्यक्ति की ओर संकेत किया और उस स्थान से चला गया, उसके पश्चात् पुलिस दल ने स्वतंत्र लोक साक्षी बनाने की कोशिश की, तथापि, कोई भी स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए राजी नहीं हुआ । उसके पश्चात् पुलिस दल हनुमान मंदिर के निकट खड़े व्यक्ति की ओर चली । पुलिस दल को देख कर उस

व्यक्ति ने बचने की कोशिश की किंतु पुलिस दल द्वारा उसे पकड़ लिया गया और पूछने पर उसने अपीलार्थी के रूप में अपनी पहचान प्रकट की । अपीलार्थी को उसके इस विधिक अधिकार के बारे में बताया गया कि वह किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दे सकता है, तथापि, अपीलार्थी ने पुलिस दल को कहा कि चूंकि पुलिस दल ने उसे पकड़ लिया है, इसलिए पुलिस दल उसकी तलाशी ले सकता है । ऐसी सहमति प्राप्त होने पर पुलिस दल द्वारा उसकी तलाशी ली गई और तलाशी लेने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी एक नीले रंग का पोलीथिन का थैला लिए हुए था जिसमें चरस थी और अपीलार्थी के कब्जे से बरामद हुई चरस को तोलने के लिए एक फल विक्रेता अर्थात् पप्पू पुत्र रामपाल, निवासी बंगाली बस्ती, ब्रह्मपुरी, जिला हरिद्वार, जो अपनी रेहड़ी (चलता-फिरता ठेला) के साथ वहां से गुजर रहा था, से तराजू ली गई । तोलने पर चरस एक किलोग्राम पाई गई । एक किलोग्राम चरस में से 100 ग्राम चरस नमूने के तौर पर निकाली गई । लिए गए नमूने और बरामद हुए विनिषिद्ध पदार्थ को अभि. सा. 2 की मुद्रा और हस्ताक्षर वाले एक मुद्रांकित लिफाफे में रखा गया और उसके पश्चात् विनिषिद्ध पदार्थ, नमूने और नमूना मुद्रा तथा अपीलार्थी को पुलिस थाने लाया गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई ।

3. अन्वेषण का कार्य अभि. सा. 4 राजेन्द्र सिंह असवाल को सौंपा गया और उसने मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया । मामला सुपुर्द होने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए । अपीलार्थी ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन के वृत्तांत को साबित करने के लिए अभि. सा. 1 कांस्टेबल शशि कांत, अभि. सा. 2 ज्येष्ठ उप-निरीक्षक दिनेश कुमार, अभि. सा. 3 कांस्टेबल उमेश सिंह, अभि. सा. 4 अन्वेषक अधिकारी राजेन्द्र सिंह असवाल, अभि. सा. 5 हैड कांस्टेबल शंकर सिंह की परीक्षा कराई गई और उसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का भी कथन अभिलिखित किया गया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रति. सा. 1 महीपाल शर्मा की परीक्षा कराई गई ।

5. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् अपीलाधीन निर्णय और आदेश पारित किया ।

6. मैंने अपीलार्थी की ओर से तपन सिंह, न्याय-मित्र और राज्य की ओर से श्री एस. के. चौधरी, अपर सरकारी अधिवक्ता और उनके साथ श्री आसिफ अली, ब्रीफ धारक को सुना और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

7. अन्वेषक अधिकारी उप-निरीक्षक राजेन्द्र सिंह असवाल (अभि. सा. 4) के कथन के अनुसार नमूना रासायनिक परीक्षण के लिए तारीख 16 जनवरी, 2010 को महिला कांस्टेबल अनीता थापा के माध्यम से भेजा गया था । निचले न्यायालय की फाइल पर कागजात सं. 12-क के अनुसार, कांस्टेबल अनीता थापा को नमूना तारीख 16 जनवरी, 2010 को पुलिस अधीक्षक (शहर), हरिद्वार के हस्ताक्षराधीन सौंपा गया था, तथापि, नमूना न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, देहरादून को तारीख 19 जनवरी, 2010 को सौंपा गया था । कांस्टेबल अनीता थापा की परीक्षा नहीं कराई गई, जो यह बताने के लिए सर्वोत्तम साक्षी हो सकती थी कि उसने तारीख 16 जनवरी, 2010 को नमूना अविकल मुद्राबंद स्थिति में प्राप्त हुआ था और उसने नमूने को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में अविकल मुद्राबंद स्थिति में सौंपा था और इस दौरान विनिषिद्ध पदार्थ के नमूने के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं हुई थी । वह यह भी स्पष्ट कर सकती थी जब उसे नमूना तारीख 16 जनवरी, 2010 को प्राप्त हुआ था तो उसने नमूने को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, देहरादून में उसी दिन क्यों नहीं सौंपा जो कि हरिद्वार से मात्र 50 कि. मी. दूर है और किन परिस्थितियों में नमूना न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, देहरादून में तारीख 19 जनवरी, 2010 को परिदत्त किया गया था ।

8. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं और अभि. सा. 1 तथा अभि. सा. 2 के कथनों के अनुसार, पुलिस दल को पुलिस भेदिए से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति चरस लिए हुए बिलकेश्वर मंदिर रोड पर हनुमान मंदिर के निकट खड़ा है और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस दल ने परस्पर तलाशी ली और यह समाधान होने पर कि उनमें से किसी के पास भी विनिषिद्ध वस्तु नहीं है, घटनास्थल पर तलाशी ज्ञापन तैयार

किया गया और उसके पश्चात् पुलिस दल बिलकेश्वर मंदिर रोड की ओर रवाना हुआ और इसी दौरान पुलिस दल ने स्वतंत्र लोक साक्षी बनाने की कोशिश की, तथापि, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र लोक साक्षी बनने के लिए सहमत नहीं हुआ और उसके पश्चात् वे अपीलार्थी की ओर गए ।

9. अपीलार्थी की ओर से श्री तपन सिंह, न्याय-मित्र ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि बिलकेश्वर मंदिर रोड की ओर रवाना होने से पूर्व पुलिस दल को परस्पर तलाशी लेने और तलाशी ज्ञापन तैयार करने में कम-से कम 20-25 मिनट लगे होंगे और स्वतंत्र लोक साक्षी बनने के लिए आम जनता से पूछने में अवश्य ही 10-15 मिनट लगे होंगे, तथापि, जो गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, उसे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) के अधीन अपेक्षित अनुसार न तो लेखबद्ध किया गया और न ही उसे उच्च अधिकारियों के पास भेजा गया ।

10. **किशन चंद** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार के तथ्यों और परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) में निर्दिष्ट प्रकृति की गुप्त सूचना पुलिस दल को प्राप्त हुई थी, ऐसी सूचना को लेखबद्ध किया जाना चाहिए था और इसे धारा 42(1) के अधीन अपेक्षित अनुसार उच्च अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए था ।

11. **किशन चंद** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अब्दुल रशीद इब्राहीम मंसूरी** बनाम **गुजरात राज्य**[2] और **करनैल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[3] वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **करनैल सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "35. निष्कर्षतः, उल्लेखनीय बात यह है कि अब्दुल रशीद ने धारा 42(1) और 42(2) की अपेक्षाओं की शब्दशः अनुपालन करने

---

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 502 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 357 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 723.

[2] (2002) 2 एस. सी. सी. 513 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 21 = 2000 क्रिमिनल ला जर्नल 1384.

[3] (2009) 8 एस. सी. सी. 539 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. डब्ल्यू. 5265 = 2009 क्रिमिनल ला जर्नल 4299.

की अपेक्षा नहीं की और न ही साजन अब्राहम ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 42(1) और 42(2) की अपेक्षाओं को पूरा करने की कतई आवश्यकता नहीं है । दोनों विनिश्चयों का प्रभाव इस प्रकार है –

(क) अधिकारी किसी व्यक्ति से इत्तिला (धारा 42 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की) प्राप्त होने पर इसे संबंधित रजिस्टर में लिखित में लेखबद्ध करेगा और धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को तुरंत एक प्रति भेजेगा ।

(ख) किंतु, यदि इत्तिला या तो मोबाइल फोन या अन्य साधन से तब प्राप्त होती है जब अधिकारी पुलिस थाने में नहीं हो, अपितु उस समय वह या तो गश्त पर या अन्य कार्य से गया हो और इत्तिला के आधार पर तुरंत कार्यवाही की जानी आवश्यक है तथा किसी प्रकार के विलंब से वस्तुएं या साक्ष्य हटाया या नष्ट किया जा सकता हो, तब उसे दी गई इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध करना साध्य या व्यवहार्य नहीं होगा और ऐसी स्थिति में वह धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के अनुसार कार्रवाई कर सकता है और उसके पश्चात् यथा साध्य शीघ्र इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध करेगा और इसके बारे में तुरंत पदीय वरिष्ठ को सूचित करेगा ।

(ग) दूसरे शब्दों में, अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई इत्तिला को लिखने और उसकी एक प्रति पदीय वरिष्ठ को भेजने की बाबत धारा 42(1) और 42(2) की अपेक्षाओं का अनुपालन सामान्यतः प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करने से पूर्व होना चाहिए, किंतु आपात्तिक स्थिति अंतर्वलित होने पर विशेष परिस्थितियों में इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध करने और उसकी प्रति पदीय वरिष्ठ को भेजा जाना एक युक्तियुक्त अवधि अर्थात् तलाशी, प्रवेश और अभिग्रहण के पश्चात् तक मुल्तवी किया जा सकता है । प्रश्न अत्यावश्यकता और समीचीनता से संबंधित है ।

(घ) जबकि धारा 42 की उपधारा (1) और (2) की

अपेक्षाओं का पूर्णतः अननुपालन अननुज्ञेय है, किंतु विलंब के बारे में समाधानप्रद स्पष्टीकरण के साथ विलंबित अनुपालन धारा 42 का स्वीकार्य अनुपालन होगा । उदाहरण के लिए, कोई विलंब करने के कारण यदि अभियुक्त बचकर निकल सकता है अथवा वस्तुओं या साक्ष्य को नष्ट या हटाया जा सकता है, तो कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व प्राप्त हुई इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध न करना या ऐसी इत्तिला की प्रति तुरंत पदीय वरिष्ठ को न भेजा जाना धारा 42 का अतिक्रमण नहीं समझा जा सकेगा । किंतु, यदि इत्तिला तब प्राप्त हुई हो जब पुलिस अधिकारी पुलिस थाने में था और कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त समय था और यदि पुलिस अधिकारी प्राप्त हुई इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध करने में असफल रहता है, या उसकी प्रति पदीय वरिष्ठ को भेजने में असफल रहा है, तब धारा 42 का स्पष्ट अतिक्रमण होने के कारण यह एक संदेहास्पद परिस्थिति होगी । इसी प्रकार, जहां पुलिस अधिकारी इत्तिला को लेखबद्ध नहीं करता है और पदीय वरिष्ठ को सूचित नहीं करता है, तब भी यह अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट अतिक्रमण होगा । धारा 42 का पर्याप्त या सारभूत अनुपालन हुआ है या नहीं, प्रत्येक मामले में विनिश्चित किया जाने वाला एक तथ्य का प्रश्न है । उपरोक्त स्थिति 2001 के अधिनियम सं. 9 द्वारा धारा 42 में किए गए संशोधन से मजबूत हो जाती है ।'

12. माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 का अननुपालन सदैव अभियोजन पक्ष के लिए घातक है, तथापि, निश्चित और विश्वसनीय आधार द्वारा पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ विलंबित अनुपालन स्वीकार किया जा सकता है ।

13. वर्तमान मामले में, अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया कि घटना के बारे में न तो उसके द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था और न ही दरोगा जी ने गुप्त सूचना के बारे में उच्च अधिकारियों को बताया था और यह साक्षी यह नहीं कह सकता कि सूचना उच्च अधिकारियों को भेजी भी गई थी या नहीं । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के कथनों तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के

अनुसार तराजू पप्पू पुत्र रामपाल से ली गई थी जो अपनी रेहड़ी (चलता-फिरता ठेला) के साथ उस सड़क से गुजर रहा था और उसके पश्चात् बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ को उसकी तराजू से तोला गया था, तथापि, पप्पू की परीक्षा नहीं कराई गई है और यदि पप्पू घटनास्थल पर मौजूद था तो तलाशी, बरामदगी और अभिग्रहण ज्ञापन पर उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं लिए गए, अभियोजन पक्ष द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

14. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, मेरी सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से संधार्य नहीं है और परिणामतः यह अपील मंजूर की जाती है । विशेष न्यायाधीश (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम)/षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा 2010 के विशेष सेशन विचारण सं. 15 में तारीख 4 अप्रैल, 2011 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी कारागार में है । यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए ।

15. इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए निचले न्यायालय को उसके अभिलेख सहित भेजी जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

जसवन्त सिंह और अन्य

बनाम

उत्तराखंड राज्य

तारीख 10 जुलाई, 2013

न्यायमूर्ति आलोक सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304-ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख] – दहेज-मृत्यु – अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में असफल रहने पर कि मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व विवाह के संबंध में दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता की गई थी या उसको तंग किया गया था, यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि मृतका की मृत्यु दहेज-मृत्यु थी, अतः अभियुक्तों को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306 और 107 – आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण – अभियोजन पक्ष द्वारा मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता करने या तंग करने की बात के साथ-साथ यह बात भी कि अभियुक्तों ने दहेज की मांग करके मृतका के साथ आपराधिक मनःस्थिति सहित ऐसी क्रूरता की थी या उसे तंग किया था जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी, युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहने पर अभियुक्तों को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

मामले के तथ्यों के अनुसार जगदीश सिंह (अभि. सा. 1) नामक व्यक्ति ने तारीख 10 अक्तूबर, 2008 को पुलिस थाना, खटिमा, जिला उधम सिंह नगर में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट यह उल्लेख करते हुए दर्ज कराई कि उसकी पुत्री मंजीत कौर का विवाह सात माह पूर्व जसवन्त सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह, निवासी अशोक फार्म, पुलिस थाना, खटिमा के साथ हुआ था और उसने अपनी वित्तीय हैसियत के अनुसार उसके विवाह के समय दहेज में उपहार और अन्य वस्तुएं दी थीं । उसकी पुत्री के विवाह के दो-तीन माह पश्चात् जसवन्त सिंह (पति), उसके पिता, उसके भाई और माता ने उसकी पुत्री को यह कहते हुए ताने देने आरंभ कर दिए कि उसके पिता ने विवाह के समय हमें कुछ नहीं दिया था, इसलिए वह अपने माता-

पिता से मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी लेकर आए । उसकी पुत्री ने अपने मायके आकर उन्हें यह तथ्य बताया । इस बात पर वे मंजीत कौर की ससुराल गए और उसके सास-ससुर को यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की कि वे गरीब लोग हैं, इसलिए वे कुछ नहीं दे पाएंगे । इस पर उसके सास-ससुर सहमत हो गए किंतु कुछ समय पश्चात् उन्होंने पुनः उसकी पुत्री को अपने माता-पिता से पूर्वोक्त वस्तुएं लाने के लिए यातना देनी आरंभ कर दीं, तथापि, उसकी पुत्री ने अपनी ससुराल नहीं छोड़ी । तारीख 10 अक्तूबर, 2008 को सभी चारों अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी पुत्री को विष खिलाकर उसकी हत्या कर दी । उसे अपराह्न में लगभग 4.00 बजे अपनी पुत्री की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त हुई और उसके पश्चात् वह कुछ ग्रामीणों के साथ अशोक फार्म गया और पुलिस की सहायता से अपनी पुत्री के शव को राजकीय अस्पताल लेकर गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया । मरणोत्तर परीक्षा की गई । विसरा रिपोर्ट के अनुसार उदर, आंत, यकृत, गुर्दे और प्लीहा में एल्यूमिनियम फास्फाइड पाया गया । मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और 316 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । मामला सुपुर्द होने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और 316 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए । अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थियों को अपीलाधीन निर्णय और आदेश द्वारा दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पक्षकारों की सामाजिक और वित्तीय हैसियत तथा इस तथ्य पर, कि अपीलार्थियों के मकान में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था, विचार करते हुए इस बात पर विश्वास करना सचमुच ही कठिन है कि अपीलार्थियों ने रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल की मांग की होगी, इसलिए मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी की अभिकथित मांग अत्यधिक संदेहास्पद प्रतीत होती है । चूंकि न तो विवाह से पूर्व और न ही विवाह के समय मोटरसाइकिल या रंगीन टीवी लाने की कतई कोई मांग या करार नहीं था, इसलिए, न्यायालय की सुविचारित राय में, विवाह के चार माह पश्चात्

मोटरसाइकिल या रंगीन टीवी की अभिकथित मांग को दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता है । यह एक अनैतिक या अविधिक मांग हो सकती है किंतु यह निश्चित रूप से विवाह के संबंध में मांग नहीं होगी । न्यायालय के सुविचारित मत में, चूंकि दहेज की मांग युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होती है, इसलिए सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि मृतका के साथ दहेज की मांग के लिए उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व कोई क्रूरता नहीं की गई थी या उसको तंग नहीं किया गया था । परिणामतः, वर्तमान मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख का सबसे महत्वपूर्ण संघटक गायब है । (पैरा 18, 20 और 21)

अब प्रश्न यह आता है कि भले ही अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन दंडनीय अपराध साबित नहीं होता है, क्या उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है । उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, चूंकि दहेज की मांग युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होती है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि दहेज की मांग के लिए मृतका के साथ आपराधिक मनःस्थिति से उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के लिए क्रूरता की गई थी या उसको तंग किया गया था, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के संघटक भी गायब हैं, इसलिए अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध भी नहीं बनता है । उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । (पैरा 27, 28 और 29)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 4 एस. सी. सी. 131 : **बक्शीश राम** बनाम **पंजाब राज्य** ;	11
[2013]	तारीख 1 जुलाई, 2013 को विनिश्चित 2010 की अपील सं. 159 : **अनीस** बनाम **उत्तराखंड राज्य** ;	19
[2013]	(2013) 4 एस. सी. सी. 551 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1504 : **मोदीसाब कासिमसाब कंचगर** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	19

[2007] (2007) 9 एस. सी. सी. 721 = ए. आई. आर.
2007 एस. सी. 763 :
अप्पासाहेब बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 64 और 20.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री एस. के. मंडल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. के. चौधरी, अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति आलोक सिंह – वर्तमान अपील 2008 के सेशन विचारण सं. 301 में सेशन न्यायाधीश, उधम सिंह नगर द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2012 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन दस वर्ष का कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दस वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश इस अनुबन्ध के साथ दिया गया है कि दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

2. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य, अन्य बातों के साथ-साथ, ये हैं कि अभि. सा. 1 जगदीश सिंह ने तारीख 10 अक्तूबर, 2008 को पुलिस थाना, खटिमा, जिला उधम सिंह नगर में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसमें यह उल्लेख करते हुए दर्ज कराई कि उसकी पुत्री मंजीत कौर का विवाह सात माह पूर्व जसवन्त सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह, निवासी अशोक फार्म, पुलिस थाना, खटिमा के साथ हुआ था और उसने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उसके विवाह के समय दहेज में उपहार और अन्य वस्तुएं दी थीं । उसकी पुत्री के विवाह के दो-तीन माह पश्चात् जसवन्त सिंह (पति), उसके पिता बलविन्दर सिंह, उसके भाई सुरजीत सिंह **उर्फ** संतु और माता जागीर कौर ने उसकी पुत्री को यह कहते हुए ताने देने आरंभ कर दिए कि उसके पिता ने विवाह के समय हमें कुछ नहीं दिया था, इसलिए वह अपने माता-पिता से मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी लेकर आए । उसकी पुत्री ने अपने मायके आकर यह तथ्य उन्हें बताया । इस बात पर वे मंजीत कौर की ससुराल गए और उसके सास-ससुर को यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की कि वे गरीब लोग हैं, इसलिए वे कुछ नहीं दे पाएंगे । इस पर

उसके सास-ससुर सहमत हो गए किंतु कुछ समय पश्चात् उन्होंने पुनः उसकी पुत्री को अपने माता-पिता से पूर्वोक्त वस्तुएं लाने के लिए यातना देनी आरंभ कर दीं, तथापि, उसकी पुत्री ने अपनी ससुराल नहीं छोड़ी । तारीख 10 अक्तूबर, 2008 को सभी चारों अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी पुत्री को विष खिलाकर उसकी हत्या कर दी । उसे अपराह्न में लगभग 4.00 बजे अपनी पुत्री की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त हुई और उसके पश्चात् वह कुछ ग्रामीणों के साथ अशोक फार्म गया और पुलिस की सहायता से अपनी पुत्री के शव को राजकीय अस्पताल लेकर गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया ।

3. अगले दिन अर्थात् तारीख 11 अक्तूबर, 2008 को अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 लाल सिंह, दर्शन सिंह, अमर सिंह, अभि. सा. 6 शेर सिंह ईरेडा, तहसीलदार, खटिमा की मौजूदगी में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई । मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, वह बाएं हाथ में कांच की 14 चूडियां और एक कड़ा तथा दाएं हाथ में कांच की 16 चूडियां पहने हुई थी । मृत्य समीक्षा रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि शव पर कोई क्षति चिन्ह, उसकी बाईं कोहनी पर एक पुरानी क्षति के चिह्न के सिवाय, नहीं है ।

4. मरणोत्तर परीक्षा तारीख 11 अक्तूबर, 2008 को अपराह्न में लगभग 1.30 बजे की गई । मरणोत्तर परीक्षा के दौरान ऊपरी और निचले होंठ तथा दाईं कोहनी पर छोटी-छोटी खरोंचें पाई गईं और मृत्यु का कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सका, तथापि, विसरा परिरक्षित किया गया । विसरा रिपोर्ट (प्रदर्श क-8) के अनुसार उदर, आंत, यकृत, गुर्दे और प्लीहा में एल्यूमिनियम फास्फाइड पाया गया ।

5. मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 8 अमित श्रीवास्तव, पुलिस उप-अधीक्षक ने अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और 316 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

6. मामला सुपुर्द होने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और 316 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए । अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

7. अभियोजन के वृत्तांत को साबित करने के लिए अभि. सा. 1

जगदीश सिंह (मृतका का पिता), अभि. सा. 2 मलकीत सिंह (मृतका का मामा), अभि. सा. 3 कुलदीप सिंह (मृतका का भाई), अभि. सा. 4 चरणजीत सिंह (ग्राम प्रधान), अभि. सा. 5 डा. आई. ए. खान, अभि. सा. 6 शेर सिंह ईरेडा, तहसीलदार खटिमा, अभि. सा. 7 हैड कांस्टेबल गोविन्द सिंह नेगी, अभि. सा. 8 अमित श्रीवास्तव, पुलिस उप-अधीक्षक, अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 9 उप निरीक्षक शेर सिंह की परीक्षा कराई गई और उसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थियों के कथन भी अभिलिखित किए गए । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कुलवंत सिंह (प्रति. सा. 1) की परीक्षा कराई गई ।

8. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् अपीलार्थियों को अपीलाधीन निर्णय और आदेश द्वारा दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

9. मैंने अपीलार्थियों की ओर से श्री एस. के. मंडल, अधिवक्ता और राज्य की ओर से श्री एस. के. चौधरी, अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

10. यह बात विवादग्रस्त नहीं है कि मंजीत कौर की मृत्यु उसके विवाह के आठ माह के भीतर हुई थी और उसको लगभग 27 सप्ताह का गर्भाधान था तथा उसकी मृत्यु विष देने के कारण हुई थी और वह अपनी ससुराल में मृत पाई गई थी ।

11. **बक्शीश राम** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अभियोजन पक्ष को यह दर्शित करना चाहिए कि विवाहित स्त्री के साथ उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के संबंध में क्रूरता की गई थी या तंग किया गया था ।

12. अब मुझे यह परीक्षा करनी है कि क्या मृतका मंजीत कौर के साथ दहेज की मांग के लिए उसकी मृत्यु के ठीक पहले क्रूरता की गई थी या तंग किया गया था ।

13. अभि. सा. 1 जगदीश सिंह ने अपनी मुख्य-परीक्षा के दौरान यह कथन किया कि मंजीत कौर को अपने माता-पिता से मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी लाने के लिए तंग किया गया था । इसी तरह से अभि. सा. 2

---

[1] (2013) 4 एस. सी. सी. 131.

और अभि. सा. 3 ने भी यह कथन किया कि मृतका को अपने माता-पिता से रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल लाने के लिए अपीलार्थियों द्वारा तंग किया गया था । तथापि, अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया कि अपीलार्थियों की ओर से न तो मृतका के विवाह के पूर्व न ही विवाह के समय और न ही विवाह के ठीक पश्चात् कतई कोई मांग नहीं की गई थी ।

14. अभि. सा. 2 मलकीत सिंह (मृतका का मामा) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया कि मृतका और जसवन्त सिंह की सगाई विवाह से लगभग एक वर्ष पूर्व हुई थी और न तो सगाई के समय और न ही सगाई के पश्चात् विवाह सम्पन्न होने तक कोई मांग नहीं की गई थी ।

15. अभि. सा. 3 कुलदीप सिंह (मृतका का भाई) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया कि विवाह के समय दहेज की मांग के संबंध में कतई कोई बात नहीं हुई थी और उसकी बहिन को विवाह के पश्चात् अपीलार्थियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक भेजा गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि वह भी अपनी बहिन के साथ उसकी ससुराल गया था और उसके साथ उसकी ससुराल में ठहरा था । उसने आगे यह भी कथन किया कि कुल समय के पश्चात् उसका पिता (अभि. सा. 1) भी मृतका मंजीत कौर के घर गया था और उसकी ससुराल से वापस आने के पश्चात् उसके पिता ने बताया था कि परिवार के सभी सदस्य और सब कुछ ठीक है ।

16. इस प्रकार, अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के कथन से यह स्पष्ट है कि न तो सगाई के समय, न ही विवाह के समय और न ही उसके ठीक पश्चात् दहेज की मांग की गई थी । पहली बार मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी लाने की मांग विवाह के लगभग चार माह पश्चात् की गई थी ।

17. अभि. सा. 2 मलकीत सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया कि अपीलार्थियों के मकान में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने भी यह कथन किया कि अपीलार्थी कृषक मजदूर हैं । यह भी कथन किया गया है कि मृतका के पिता अभि. सा. 1 के पास केवल एक एकड़ कृषि भूमि है और संपूर्ण परिवार का जीवन-निर्वाह कृषि से है ।

18. पक्षकारों की सामाजिक और वित्तीय हैसियत तथा इस तथ्य पर कि अपीलार्थियों के मकान में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था, विचार करते हुए इस बात पर विश्वास करना सचमुच ही कठिन है कि अपीलार्थियों ने रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल की मांग की होगी, इसलिए मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी की अभिकथित मांग अत्यधिक संदेहास्पद प्रतीत होती है ।

19. इस न्यायालय ने **अनीस** बनाम **उत्तराखंड राज्य**[1] वाले मामले में **अप्पासाहेब** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] और **मोदीसाब कासिमसाब कंचगर** बनाम **कर्नाटक राज्य**[3] वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में विवाह के समय या विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात् किसी समय पर या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दिया जाना या दिए जाने के लिए सहमत होना दहेज कहा जा सकता है ।

20. चूंकि न तो विवाह से पूर्व और न ही विवाह के समय मोटरसाइकिल या रंगीन टीवी लाने की कतई कोई मांग या करार नहीं था, इसलिए, मेरी सुविचारित राय में, विवाह के चार माह पश्चात् मोटरसाइकिल या रंगीन टीवी की अभिकथित मांग को दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता है । यह एक अनैतिक या अविधिक मांग हो सकती है किंतु यह निश्चित रूप से विवाह के संबंध में मांग नहीं होगी ।

21. मेरे सुविचारित मत में, चूंकि दहेज की मांग युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होती है, इसलिए सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि मृतका के साथ दहेज की मांग के लिए उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व कोई क्रूरता नहीं की गई थी या उसको तंग नहीं किया गया था । परिणामतः, वर्तमान मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख का सबसे महत्वपूर्ण संघटक गायब है ।

22. राज्य की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता श्री एस. के. चौधरी ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख में यथा उपबंधित कानूनी उपधारणा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान

---

[1] तारीख 1 जुलाई, 2013 को विनिश्चित 2010 की अपील सं. 159.

[2] (2007) 9 एस. सी. सी. 721 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 763.

[3] (2013) 4 एस. सी. सी. 551 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1504.

मामला साबित होता है ।

23. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख निम्नलिखित है :–

> "**113-ख दहेज-मृत्यु के बारे में उपधारणा** – जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज-मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज-मृत्यु कारित की थी ।
>
> **स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजन के लिए "दहेज-मृत्यु" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख में है ।"

24. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि जब प्रश्न यह है कि किसी ने किसी स्त्री की दहेज-मृत्यु की है या नहीं और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज-मृत्यु कारित की थी । इसका अर्थ यह है कि धारा 113-ख का अवलंब लेने के लिए अभियोजन पक्ष को यह दर्शित करना चाहिए कि विवाहित स्त्री के साथ दहेज की मांग के संबंध में उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व क्रूरता की गई थी और उसको तंग किया गया था । यदि दहेज की मांग को सफलतापूर्वक साबित नहीं किया जाता है तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख को लागू नहीं किया जा सकता है ।

25. अभि. सा. 2 द्वारा यह कथन किया गया है कि मृतका का पति, जसवन्त सिंह एक कुबड़ा-सा व्यक्ति है जबकि मृतका सुन्दर और स्वस्थ महिला थी ।

26. इन परिस्थितियों में, अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. मंडल द्वारा दी गई इस दलील से पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता है कि चूंकि मृतका एक सुन्दर महिला थी और शायद वह इस विवाह से प्रसन्न नहीं थी, इसलिए उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली ।

27. अब प्रश्न यह आता है कि भले ही अपीलार्थियों के विरुद्ध

भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन दंडनीय अपराध साबित नहीं होता है, क्या उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

28. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, चूंकि दहेज की मांग युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होती है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि दहेज की मांग के लिए मृतका के साथ आपराधिक मनःस्थिति से उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के लिए क्रूरता की गई थी या उसको तंग किया गया था, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के संघटक भी गायब हैं, इसलिए अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध भी नहीं बनता है ।

29. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । परिणामतः, दोनों अपील मंजूर की जाती हैं । सेशन न्यायाधीश, उधम सिंह नगर द्वारा 2008 के सेशन विचारण सं. 301 में तारीख 18 जनवरी, 2012 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को तद्द्वारा अपास्त किया जाता है । अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी जसवन्त सिंह कारागार में है । उसे, यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत रिहा किया जाए । अन्य अपीलार्थी जमानत पर हैं । उन्हें वर्तमान मामले के संबंध में निचले न्यायालय में अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है । उनके स्वीय बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है ।

30. इस निर्णय की प्रति संबद्ध मामले में भी रखी जाए । रजिस्ट्री को निदेशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्रति अनुपालन के लिए निचले न्यायालय को उसके अभिलेख के साथ भेजी जाए ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

गुजरात राज्य

बनाम

कालुभाई जीवाभाई डुंगरिया और अन्य

तारीख 21 जून, 2013

न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 50 – तलाशी और अभिग्रहण – किसी राजपत्रित या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी देने का अभियुक्त का अधिकार – जहां पुलिस निरीक्षक द्वारा अभियुक्तों को केवल यह सूचित किया गया हो कि वह एक राजपत्रित अधिकारी है और क्या वे अपनी तलाशी किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में देना चाहेंगे तथा राजपत्रित अधिकारी के साथ-साथ मजिस्ट्रेट का कोई उल्लेख न किया गया हो, वहां धारा 50 का अतिक्रमण करते हुए अभियुक्तों को उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित किए जाने पर उनकी दोषमुक्ति उचित है ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 15 – विनिषिद्ध पदार्थ 'गांजे' की बरामदगी – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विनिषिद्ध पदार्थ रखे हुए बैग और थैले की बरामदगी के स्थान के बारे में विरोधाभास होने और यह साबित नहीं होने पर कि विनिषिद्ध पदार्थ रखा हुआ बैग और थैला अभियुक्तों के सबोध कब्जे से बरामद हुए थे, अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार, पुलिस को तारीख 20 सितम्बर, 1994 को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गांव पिपलाज में लालशाह की दरगाह के निकट सड़क पर चार व्यक्ति बेंचों पर बैठे हुए हैं और उनके पास एक बैग और एक "थैला" है और उनमें उनके पास कोई संदिग्ध वस्तु है । पुलिस अधिकारी और छापामार दल के सदस्य भेदिए द्वारा बताए गए स्थल पर गए और एक बेंच पर तीन व्यक्तियों को बैठे हुए पाया तथा एक व्यक्ति एक अन्य बेंच पर बैठा हुआ था । उनके नाम और पते पूछने पर इन व्यक्तियों ने पुलिस कार्मिकों को अपेक्षित जानकारी दी । छापामार अधिकारी द्वारा यह पूछने पर कि बैग और "थैले" में क्या है, अभियुक्तों ने कथित रूप से यह उत्तर दिया कि यह गांजा है । छापामार अधिकारी ने अभियुक्तों को सूचित

किया कि वह पुलिस निरीक्षक रैंक धारी है और क्या वे चाहेंगे कि उनकी तलाशी उसके रैंक से वरिष्ठ रैंक के अधिकारी की मौजूदगी में ली जाए । कथित रूप से अभियुक्तों ने इस प्रस्ताव से इनकार किया और छापामार अधिकारी द्वारा ही तलाशी लिए जाने के लिए सहमत हुए । इसके पश्चात् छापामार अधिकारी ने बैग, जो तीनों अभियुक्तों के निकट पड़ा हुआ था, की तलाशी ली । बैग का मुंह सिला हुआ था । टांके खोलने पर यह पाया गया कि इसमें सूखी मिर्चे हैं । मिर्चों के नीचे डोरी से बंधा हुआ प्लास्टिक का एक थैला था । इस थैले को मिर्चों से अलग किया गया और खोला गया । इसमें गांजा पाया गया । एक अन्य बेंच पर बैठे अभियुक्त के निकट काली रेक्सीन का एक "थैला" पाया गया । "थैले" के अन्दर किसी पदार्थ सहित प्लास्टिक का एक थैला पाया गया और यह पदार्थ गांजा पाया गया । अभियुक्त गांजा कब्जे में रखने के लिए प्राधिकृत करने वाला कोई पास या अनुज्ञा-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके । हैड कांस्टेबल अब्बासमिया नवरंगभाई और छापामार दल के एक सदस्य को तराजू और बाट उपाप्त करने के लिए भेजा गया । बड़े थैले में रखे विनिषिद्ध पदार्थ को तोला गया और यह 15 किलोग्राम और 500 ग्राम पाया गया । "थैले" में रखा विनिषिद्ध पदार्थ तोलने पर 4 किलोग्राम और 200 ग्राम पाया गया । बैग और "थैले" से 100 ग्राम विनिषिद्ध पदार्थ नमूने के रूप में निकाला गया और मुहरबंद किया गया । पंच साक्षियों के हस्ताक्षरों वाली एक पर्ची इसके साथ संलग्न की गई । घटनास्थल पर पंचनामा तैयार किया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और अन्वेषक अभिकरण द्वारा कार्यवाही आरंभ की गई । साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किए गए और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् आरोप विरचित किए गए । सभी अभियुक्तों ने उनके विरुद्ध अभिकथनों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने मौखिक और अभिलेख पर के दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन और विवेचन करने के पश्चात् सभी अभियुक्तों के पक्ष में दोषमुक्ति का निष्कर्ष अभिलिखित किया । विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जहां तक स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन का संबंध है, पुलिस साक्षियों के परिसाक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि यद्यपि अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्तों को यह सूचित किया था कि वह एक राजपत्रित अधिकारी है

और उनसे पूछा कि क्या वे अपनी तलाशी किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को देना चाहेंगे, इस बात का उसके या अन्य अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य में कोई उल्लेख नहीं है कि अभियुक्तों को यह प्रस्थापना की गई थी कि वे अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते हैं । इस संबंध में विधि की स्थिर विधिक स्थिति यह है कि अभियुक्त को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करने में असफल रहने से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इस आधार पर स्वतः विचारण दूषित न भी हो, तथापि, धारा 50 के उपबंधों का निष्ठा से पालन करने में असफल रहने से अवैध वस्तु की बरामदगी संदेहास्पद हो जाएगी और अभियुक्त की दोषसिद्धि और दंडादेश दूषित हो जाएंगे । ऐसे किसी मामले में जहां दोषसिद्धि केवल अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर अभिलिखित की गई है, वहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अतिक्रमण करते हुए ली गई तलाशी के दौरान अभियुक्त के शरीर से अभिगृहीत विनिषिद्ध पदार्थ को विनिषिद्ध पदार्थ के विधिविरुद्ध कब्जे के सबूत के साक्ष्य के रूप में अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है । वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों को लागू करते हुए, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि धारा 50 के उपबंधों का निष्ठा से अनुपालन नहीं किया गया है । आंशिक अनुपालन अननुपालन की कोटि में आएगा, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि विधि के आज्ञापक उपबंधों का भाषा और भाव की दृष्टि से अनुपालन किया गया है । यह संभव हो सकता है कि अभियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी देना चाहते हों । यदि यह विकल्प उन्हें दिया ही नहीं जाता है, तो इससे वे कानून में प्रतिष्ठापित अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित हो जाएंगे । इससे निश्चित रूप से अभियुक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस न्यायालय के मत में, विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियुक्त इस आधार पर दोषमुक्ति के हकदार हैं कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अतिक्रमण किया गया है, न्यायसंगत और उचित है । (पैरा 26, 29 और 30)

जहां तक विनिषिद्ध पदार्थ रखे हुए बैग और "थैले" के कब्जे का संबंध है, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 10 के साक्ष्य में यह बात आई है कि बैग और "थैला" भूमि पर पड़े हुए थे । इसके प्रतिकूल, अन्य अभियोजन साक्षियों ने यह कथन किया है कि बैग और "थैला" उन बेंचों पर पड़े हुए

थे जिन पर अभियुक्त बैठे थे । अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 12 द्वारा यह कथन किया गया है कि विनिषिद्ध पदार्थ रखा हुआ बैग और "थैला" सार्वजनिक स्थान से बरामद किए गए थे । बैग और "थैले" पर ऐसा कोई चिह्न या उपदर्शन नहीं है जो इन्हें किसी अभियुक्त से सम्बद्ध करता हो । वर्तमान मामले में साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर यह दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ रखे हुए बैग और "थैले" के सबोध कब्जे की बात तो दूर, उनको कब्जे में रखने, की बात को साबित करने में सफल नहीं रहा है । शिकायत में किया गया परिवर्णन कि बैग और "थैले" की अंतर्वस्तुओं के बारे में पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि उनमें गांजा है, अभिलेख के साक्ष्य से साबित नहीं होता है । अभि. सा. 4, जो छापामार दल का मुखिया था, ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि यह पूछने पर कि बैग और "थैले" में क्या है, अभियुक्तों ने कोई समाधानप्रद उत्तर नहीं दिया । साक्ष्य में यह बात आई है कि बैग और "थैला" एक सार्वजनिक स्थान से बरामद किए गए थे । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि बैग और "थैला" भूमि पर पड़े हुए थे, हालांकि कुछ साक्षियों ने यह कथन किया है कि बैग और "थैला" बेंचों पर पड़े हुए थे । अभियुक्तों तथा बैग और "थैले" के बीच ऐसा कोई संबंध सिद्ध नहीं हुआ है जिससे यह उपदर्शित होता हो कि उक्त वस्तुएं अभियुक्तों की थीं । ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि विनिषिद्ध पदार्थ रखा हुआ बैग और "थैला" अभियुक्तों के सबोध कब्जे में थे । हालांकि पंचनामें की अंतर्वस्तुओं में यह कहा गया है कि अभियुक्त के बैग और "थैले" में गांजा है, तथापि, क्योंकि दोनों पंच साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, इसलिए पंचनामा साबित नहीं किया गया है । वर्तमान मामले में केवल पंच साक्षी ही स्वतंत्र साक्षी हैं, किंतु उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । हालांकि अन्य अभियोजन साक्षियों, जो पुलिस साक्षी हैं, के साक्ष्य को केवल इस कारण अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि वे पुलिस बल और छापामार दल के सदस्य हैं, तथापि, तात्विक विशिष्टियों में इसकी संपुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य से होनी चाहिए । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में परस्पर अंतर्निहित विरोधाभास हैं, जो विश्वासोत्पादक नहीं हैं और उनके परिसाक्ष्यों की विश्वसनीयता कम हो जाती है । यह कहा गया है कि अधिकांश अभियोजन साक्षियों ने छापे को देखा था, किंतु यहां यह भ्रम की स्थिति है कि क्या बैग और "थैला" भूमि पर पड़े हुए थे या क्या वे उन बेंचों पर पाए गए थे जिन पर अभियुक्त बैठे हुए थे । क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा विनिषिद्ध

पदार्थ रखे हुए बैग और "थैले" का सबोध कब्जा साबित नहीं किया गया है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत निकाला गया निष्कर्ष स्वीकार करने योग्य है । दांडिक विचारण में अपराध कारित करने की बात को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है । किसी मामले में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत और उसकी निर्दोषिता के असंगत हो, केवल तभी न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध दोषिता का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है । जहां अभियोजन पक्ष मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा हो, वहां अभियुक्त को संदेह का फायदा दिया जाए । इसके अतिरिक्त, अब यह स्थिर विधि है कि जहां दो मत संभव हों, वहां जो मत अभियुक्त के पक्ष में है उसे अपनाया जाना चाहिए । विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत कि अभियुक्तों के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है, वर्तमान मामले में के साक्ष्य को देखते हुए केवल यही संभव और अधिसंभाव्य मत है । (पैरा 31, 32, 33 और 34)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[1999] (1999) 6 एस. सी. सी. 172 = 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 3672 : **पंजाब राज्य** बनाम **बलदेव सिंह** । 27

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1995 की दांडिक अपील सं. 1122.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री हिमांशु के. पटेल, अपर लोक अभियोजक

प्रत्यर्थियों की ओर से सुश्री फाल्गुनी डी. त्रिवेदी

न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी – वर्तमान अपील 1995 के विशेष मामला सं. 06 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, नाडियाड द्वारा तारीख 19 अगस्त, 1995 को दिए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा मूल अभियुक्तों, प्रत्यर्थी सं. 1 से 4, को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 20(ख) और 29 तथा मुम्बई प्रतिषेध अधिनियम की धारा 67(क) और 81 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया गया है ।

2. अभि. सा. 3 पुलिस उपनिरीक्षक, भरतकुमार दयारामदास वैष्णव द्वारा की गई शिकायत पर आधारित अभियोजन का पक्षकथन, संक्षेप में, यह है कि पुलिस को तारीख 20 सितम्बर, 1994 को लगभग 10.00 बजे यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गांव पिपलाज में लालशाह की दरगाह के निकट सड़क पर चार व्यक्ति बेंचों पर बैठे हुए हैं । उनके पास एक बैग और एक "थैला" (कपड़े का झोला) है और उनमें उनके पास कोई संदिग्ध वस्तु है । पुलिस अधिकारी और छापामार दल के सदस्य भेदिए द्वारा बताए गए स्थल पर गए और एक बेंच पर तीन व्यक्तियों को बैठे हुए पाया तथा एक व्यक्ति एक अन्य बेंच पर बैठा हुआ था । उनके नाम और पते पूछने पर इन व्यक्तियों ने पुलिस कार्मिकों को अपेक्षित जानकारी दी । इन चारों व्यक्तियों, जो वर्तमान अभियुक्त हैं, ने यह प्रकट किया कि वे राजस्थान राज्य के हैं किंतु गुजराती भाषा समझ और बोल सकते हैं । छापामार अधिकारी द्वारा यह पूछने पर कि बैग और "थैले" में क्या है, अभियुक्तों ने कथित रूप से यह उत्तर दिया कि यह गांजा है । छापामार अधिकारी श्री एन. जे. जादव ने अभियुक्तों को सूचित किया कि वह पुलिस निरीक्षक रैंक धारी है और क्या वे चाहेंगे कि उनकी तलाशी उसके रैंक से वरिष्ठ रैंक के अधिकारी की मौजूदगी में ली जाए । कथित रूप से अभियुक्तों ने इस प्रस्ताव से इनकार किया और श्री जादव द्वारा तलाशी लिए जाने के लिए सहमत हुए । इसके पश्चात् छापामार अधिकारी ने बैग, जिस पर 'नर्मदा यूरिया' लिखा हुआ था और जो तीनों अभियुक्तों के निकट पड़ा हुआ था, की तलाशी ली । बैग का मुंह सिला हुआ था । टांके खोलने पर यह पाया गया कि इसमें सूखी मिर्चे हैं । मिर्चों के नीचे डोरी से बंधा हुआ प्लास्टिक का एक थैला था । इस थैले को मिर्चों से अलग किया गया और खोला गया । इसमें गांजा पाया गया । एक अन्य बेंच पर बैठे अभियुक्त के निकट काली रेक्सीन का एक "थैला" पाया गया । उक्त "थैले" पर अंग्रेजी में "इंटरनेशनल" लिखा हुआ था । "थैले" के अन्दर किसी पदार्थ सहित प्लास्टिक का एक थैला पाया गया और यह पदार्थ गांजा पाया गया । अभियुक्त उन्हें गांजा कब्जे में रखने के लिए प्राधिकृत करने वाला कोई पास या अनुज्ञा-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके । अभि. सा. 10, हैड कांस्टेबल अब्बासमिया नवरंगभाई और छापामार दल के एक सदस्य को तराजू और बाट उपाप्त करने के लिए भेजा गया । बड़े थैले में रखे विनिषिद्ध पदार्थ को तोला गया और यह 15 किलोग्राम और 500 ग्राम पाया गया । "थैले" में रखा विनिषिद्ध पदार्थ तोलने पर 4 किलोग्राम और 200 ग्राम पाया गया । बैग और "थैले" से 100 ग्राम विनिषिद्ध पदार्थ नमूने के रूप में निकाला

गया और मुहरबंद किया गया । पंच साक्षियों के हस्ताक्षरों वाली एक पर्ची इसके साथ संलग्न की गई । घटनास्थल पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पंचनामा तैयार किया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और अन्वेषक अभिकरण द्वारा कार्यवाही आरंभ की गई । साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किए गए और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् आरोप विरचित किए गए । आरोप अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए गए और स्पष्ट किए गए । सभी अभियुक्तों ने उनके विरुद्ध अभिकथनों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । तद्नुसार, मामला विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया ।

3. विनिषिद्ध पदार्थ का नमूना मुहरबंद दशा में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से प्रकट होता है कि परीक्षण के लिए भेजा गया पदार्थ गांजा होने के कारण स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनुसार एक स्वापक पदार्थ है ।

4. अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध में आलिप्त करने वाला पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नाडियाड के न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया । क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम के अधीन अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, इसलिए विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप, जो प्रदर्श 5 पर हैं, विरचित किए गए और उन्होंने अपनी दोषिता से इनकार किया । अभियोजन पक्ष ने कुल 12 साक्षियों की परीक्षा कराई और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया । अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपने कथनों में दोहराया कि वे निर्दोष हैं ।

5. विचारण न्यायालय ने मौखिक और अभिलेख पर के दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन और विवेचन करने के पश्चात् आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा सभी अभियुक्तों के पक्ष में दोषमुक्ति का निष्कर्ष अभिलिखित किया, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई ।

6. अपीलार्थी गुजरात राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों के अतिक्रमण के संबंध में गलत निष्कर्ष निकाला है । यह दलील दी गई है कि अभियोजन साक्षियों के

परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि विधि के इस उपबंध का पर्याप्त पालन किया गया है । पंचनामा के साथ-साथ अभि. सा. 4 सहित छापामार दल के सदस्यों के परिसाक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि अभियुक्तों को अपनी तलाशी किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लेने के लिए प्रस्थापना की गई थी, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया । यह भी दलील दी गई है कि विनिषिद्ध पदार्थ अभियुक्तों के कब्जे में के बैग और "थैले" से बरामद किया गया था, इसलिए अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है । यह दलील दी गई है कि आक्षेपित निर्णय तथ्यों और विधि के प्रतिकूल है, इसलिए इसे अभिखंडित और अपास्त किया जाए और अपील मंजूर की जाए ।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता सुश्री फाल्गुनी त्रिवेदी ने यह दलील दी कि आक्षेपित निर्णय न्यायसंगत और उचित है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । यह दलील दी गई है कि बैग और "थैला" अभियुक्तों से संबद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है । बैग और "थैला" खुले स्थान पर पड़े हुए थे और अभिलेख पर अभियुक्तों द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ कब्जे में रखने, सबोध कब्जे की बात तो दूर, को उपदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य, जिसमें उनका नाम हो, नहीं लाया गया है ।

7.1 आगे यह दलील दी गई है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया, क्योंकि अभियुक्तों को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी देने के लिए कोई प्रस्थापना नहीं की गई थी । अभियुक्तों को केवल यह कहना कि क्या वे चाहते हैं कि उनकी तलाशी छापामार अधिकारी के रैंक से वरिष्ठ रैंक के अधिकारी द्वारा ली जाए, उपबंधों का पर्याप्त पालन नहीं है ।

7.2 अन्त में, यह दलील दी गई है कि वर्तमान अपील दोषमुक्ति के विरुद्ध है, इसलिए जब दो मत संभव हों, तब जो मत अभियुक्त के पक्ष में हो, उसे स्वीकार किया जाए । यह दलील दी गई है कि उपरोक्त आधार पर यह अपील खारिज की जाए ।

8. संबंधित पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने और अभिलेख तथा कार्यवाहियों की संवीक्षा करने के पश्चात् इस प्रक्रम पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की मुख्य बातों की चर्चा, इसका पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विवेचन करने के लिए, करना उचित होगा ।

9. अभि. सा. 1 जाकिरहुसैन हंसुमिया मलिक, जिसका अभिसाक्ष्य प्रदर्श 11 पर है, प्रदर्श 16 पर के पंचनामा साक्षियों में से एक साक्षी है । इस साक्षी ने अभियोजन के पक्षकथन का कतई समर्थन नहीं किया है और पंचनामा की अंतर्वस्तुओं से इनकार किया है ।

10. अभि. सा. 2 भरतभाई भैलाभाई पटेल, जिसकी परीक्षा प्रदर्श 12 पर की गई है, प्रदर्श 16 पर के पंचनामा का द्वितीय साक्षी है । इस साक्षी ने अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन तथा पंचनामा की अंतर्वस्तुओं से इनकार किया है । इन दोनों ही साक्षियों को, जोकि स्वतंत्र साक्षी हैं, पक्षद्रोही घोषित किया गया है । इसलिए पंचनामा साबित नहीं हुआ है ।

11. अभि. सा. 3 भरतकुमार दयारामदास वैष्णव शिकायतकर्ता है, जो पुलिस उपनिरीक्षक था और सुसंगत समय पर स्थानीय अपराध शाखा, खेड़ा में कार्यरत था । प्रदर्श 13 पर उसका अभिसाक्ष्य न्यूनाधिक शिकायत में की अंतर्वस्तुओं की ही पुनरावृत्ति है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि विनिषिद्ध पदार्थ वाला बैग उस बेंच पर पड़ा हुआ था जिस पर तीनों अभियुक्त बैठे हुए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि "थैला" उस बेंच के निकट पड़ा हुआ था, जिस पर एक अभियुक्त बैठा हुआ था । उसने यह कथन किया है कि बैग और "थैला" सार्वजनिक स्थान से बरामद किए गए थे । इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि वह छापे के दौरान मौजूद था, किंतु यह स्मरण नहीं है कि विनिषिद्ध पदार्थ वाला बैग और "थैला" किस अभियुक्त के निकट पड़ा हुआ था । इस साक्षी के अनुसार, बैग और "थैले" पर ऐसा कोई चिह्न या लिखावट नहीं थी, जिससे यह उपदर्शित होता हो कि ये किसके हैं । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे यह स्मरण नहीं कि विनिषिद्ध पदार्थ वाला बैग और "थैला" सबसे पहले पुलिस कार्मिकों द्वारा खोला गया था या पंच साक्षियों द्वारा । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि पंचनामा उसी समय पहले तैयार किया गया था और शिकायत बाद में दर्ज की गई थी । यह साक्षी उस समय मौजूद था जब विनिषिद्ध पदार्थ अभिगृहीत किया गया था किंतु एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों के पालन के बारे में एक शब्द भी नहीं बता सका । इस साक्षी द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि अभि. सा. 4 द्वारा अभियुक्तों को ऐसी कोई प्रस्थापना की गई थी कि वे अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते हैं या यदि वे चाहें तो छापामार दल के सदस्यों को ही तलाशी दे सकते हैं ।

12. अभि. सा. 4 नवघनभाई जयसिंहभाई जादव, पुलिस निरीक्षक, स्थानीय अपराध शाखा, खेड़ा वह छापामार अधिकारी है जिसने छापा मारा था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब छापामार दल भेदिए द्वारा बताए गए स्थल पर पहुंचा, तो उन्होंने पाया कि तीन अभियुक्तों, जो एक बेंच पर बैठे हुए थे, के निकट एक बैग पड़ा हुआ था । एक अभियुक्त एक अन्य बेंच पर बैठा हुआ था, जिसके निकट एक "थैला" पड़ा हुआ था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्तों को देखकर उसे संदेह हुआ और पंच साक्षियों की मौजूदगी में उनसे उनके नाम पूछे । क्योंकि उन्होंने समाधानप्रद उत्तर नहीं दिया, इसलिए पंच साक्षियों की मौजूदगी में बैग और "थैले" की तलाशी ली गई और उनमें विनिषिद्ध पदार्थ पाया गया । इस साक्षी के परिसाक्ष्य के अनुसार, उसके पश्चात् अभियुक्तों की शारीरिक तलाशी ली गई । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्तों की शारीरिक तलाशी लेने से पूर्व उसने उन्हें यह सूचित किया था कि वह एक राजपत्रित अधिकारी है और उनसे पूछा कि क्या वे चाहते हैं कि उनकी तलाशी किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ली जाए । अभियुक्तों ने इस प्रस्थापना से इनकार कर दिया और इसलिए इस साक्षी ने अभियुक्तों की शारीरिक तलाशी ली ।

13. इस साक्षी के परिसाक्ष्य से शिकायत और पंचनामे के वृत्तांत झूठे साबित होते हैं, जो इस आशय के हैं कि जब अभियुक्तों से यह पूछा गया कि बैग और "थैले" में क्या है, उन्होंने उत्तर दिया कि उनमें गांजा है । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्तों ने कोई समाधानप्रद उत्तर नहीं दिया, इसलिए पहले बैग और "थैले" की तलाशी ली गई और उसके पश्चात् अभियुक्तों की शारीरिक तलाशी ली गई । इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा अभियुक्तों की शारीरिक तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए जाने की कोई प्रस्थापना नहीं की गई थी । उसने उन्हें केवल यह सूचित किया था कि वह एक राजपत्रित अधिकारी है और पूछा कि क्या वे अपनी तलाशी किसी वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहेंगे । किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनकी तलाशी लेने की किसी प्रस्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस साक्षी के साक्ष्य से अभि. सा. 3 द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए इस कथन का खंडन होता है कि "थैला" भूमि पर उस बेंच के निकट पड़ा हुआ था, जिस पर अभियुक्तों में से एक अभियुक्त बैठा हुआ था । अभि. सा. 3 और वर्तमान साक्षी दोनों घटनास्थल पर मौजूद थे, किंतु

बैग और "थैले" के संबंध में उनके बयान अलग-अलग हैं ।

14. अभि. सा. 5 मानसिंह रतनसिंह, जिनकी परीक्षा प्रदर्श 20 पर की गई है, स्थानीय अपराध शाखा, खेड़ा में कार्यरत हैड कांस्टेबल है । उसके परिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि वह छापे के समय मौजूद था । उसने यह कथन किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने पर छापामार दल ने तीन अभियुक्तों को एक बेंच पर बैठे हुए पाया और एक अभियुक्त एक अन्य बेंच पर बैठा हुआ था । उनके निकट एक बैग और एक "थैला" पाए गए । पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम और पते बताए । उसके पश्चात्, पंच साक्षियों को बुलाया गया । इस साक्षी के परिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 4 ने अभियुक्तों को यह सूचित किया कि वह पुलिस निरीक्षक है और क्या वे चाहते हैं कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया जाए या नहीं । इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्तों को यह प्रस्थापना की गई थी कि क्या वे चाहते हैं कि उनकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा ली जाए ।

15. अभि. सा. 6 भीमाजी वाघाजी सुसंगत समय पर नाडियाड ग्रामीण पुलिस थाने में हैड कांस्टेबल था । उसकी परीक्षा प्रदर्श 22 पर की गई है । इस तथ्य के अतिरिक्त कि उसने अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध दर्ज कराया था, उसके परिसाक्ष्य पर आगे चर्चा करना आवश्यक नहीं है ।

16. अभि. सा. 7 सोमाभाई शानाभाई सुसंगत समय पर नाडियाड ग्रामीण पुलिस थाना में मुंशी हैड कांस्टेबल था । उसने यह कथन किया है कि उक्त पुलिस थाने में मुद्दामल तारीख 20 सितम्बर, 1994 से तारीख 18 अक्तूबर, 1994 तक रहा था । उसने यह भी कथन किया है कि ऐसा कोई विशिष्ट कारण नहीं है कि मुद्दामल तारीख 20 सितम्बर, 1994 से तारीख 18 अक्तूबर, 1994 तक न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला क्यों नहीं भेजा गया था । तारीख 18 अक्तूबर, 1994 को मुद्दामल अभि. सा. 8 पुलिस कांस्टेबल कचराभाई भिखाभाई को सौंपा गया था, किंतु यह कथन किया गया है कि उसके पास इस बाबत कोई लिखित सबूत नहीं है ।

17. अभि. सा. 8 कचराभाई भिखाभाई की परीक्षा प्रदर्श 27 पर की गई है । उसने यह कथन किया है कि उसे मुद्दामल तारीख 18 अक्तूबर, 1994 को अभि. सा. 7 द्वारा सौंपा गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पास मुद्दामल को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला

में सौंपने संबंधी कोई लिखित सबूत नहीं है ।

18. अभि. सा. 9 कानुभाई बस्ताभाई स्थानीय अपराध शाखा, खेड़ा में हैड कांस्टेबल है । उसने न्यायालय के समक्ष पुलिस कांस्टेबल मानसिंह द्वारा मुद्दामल रजिस्टर में तारीख 18 अक्तूबर, 1994 को की गई प्रविष्टि सं. 80/44 को प्रस्तुत किया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे मुहरबंद अवस्था में दो पैकेट प्राप्त हुए थे और उन्हें तारीख 24 अक्तूबर, 1994 को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा था ।

19. अगला अभियोजन साक्षी अभि. सा. 10 अब्बासमिया नवरंगभाई है, जिसकी परीक्षा प्रदर्श 31 पर की गई है । उसने यह कथन किया है कि वह डाका रोकथाम दल में हैड कांस्टेबल था । उसे छापामार दल के मुखिया द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ तोलने के लिए तराजू और बाट उपाप्त करने के लिए कहा गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने नजदीक की एक दुकान से एक व्यक्ति की तराजू और बाट सहित उसके साथ चलने के लिए व्यवस्था की । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तो उसने बैग और "थैला" भूमि पर अभियुक्तों, जिनमें से तीन अभियुक्त एक बेंच पर बैठे हुए थे और चौथा अभियुक्त एक अन्य बेंच पर बैठा हुआ था, के निकट पड़े हुए देखा ।

20. इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया कि उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं पूछा था जो विनिषिद्ध पदार्थ तोलने के लिए आया था और न ही उस व्यक्ति ने उसे अपना नाम बताया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि पुलिस कार्मिकों द्वारा अभियुक्तों को बैग और "थैला" खोलने के लिए कहा गया था । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्तों की शारीरिक तलाशी से कोई गांजा बरामद नहीं हुआ था ।

21. अभि. सा. 11 अरविंदभाई रणछोड़भाई पटेल, पुलिस उपनिरीक्षक, डाका रोकथाम दल, खेड़ा मामले का अन्वेषक अधिकारी है । उसका अभिसाक्ष्य प्रदर्श 32 पर है । उसने पुलिस को प्राप्त हुई गुप्त सूचना और उसके परिणामस्वरूप मारे गए छापे का विस्तृत परिवर्णन दिया है । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्तों की शारीरिक तलाशी लेने से पूर्व अभि. सा. 4 पुलिस निरीक्षक, श्री जादव ने उन्हें यह सूचित किया कि वह एक राजपत्रित अधिकारी है और क्या वे चाहते हैं कि उनकी तलाशी किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा ली जाए । अभियुक्तों द्वारा इस प्रस्थापना से

इनकार कर दिया गया । उसके पश्चात अभि. सा. 4 ने अभियुक्तों की तलाशी ली । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि पुलिस को प्राप्त हुई गुप्त सूचना से उसने यह नहीं सोचा था कि कोई संज्ञान अपराध कारित हुआ है, क्योंकि भेदिए ने केवल संदेह व्यक्त किया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जिस बैग और "थैले" में मुद्दामल था, एक खुले स्थान से बरामद हुआ था । इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि जब यह पाया गया कि बैग और "थैले" में गांजा है, तो पंच साक्षियों को बुलाया गया । इस बात के तुरंत पश्चात् इस साक्षी ने यह कहते हुए अपनी बात का खंडन किया कि यह बात सही नहीं है । उसने यह कथन किया है कि वह नहीं जानता कि गांजा किसने तोला था । इस साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया कि उसने अभि. सा. 4 पुलिस निरीक्षक, श्री जादव का अन्वेषण के दौरान कथन अभिलिखित नहीं किया था ।

22. अंतिम साक्षी अभि. सा. 12 अब्बासखान अहमदखान है । उसका अभिसाक्ष्य प्रदर्श 34 पर है । वह मामले का दूसरा अन्वेषक अधिकारी है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि मुद्दामल एक सार्वजनिक स्थान से बरामद किया गया था ।

23. उपरोक्त साक्ष्य, समग्र रूप से, वह साक्ष्य है जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

24. पंचनामा प्रदर्श 16 पर है । यद्यपि इसमें दिए गए परिवर्णन शिकायत में दिए गए परिवर्णन के अनुरूप हैं, तो भी इसे साबित नहीं किया गया है क्योंकि दो पंच साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

25. विचारण न्यायालय ने ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्तों के पक्ष में दोषमुक्ति का निष्कर्ष मुख्यतः इस आधार पर अभिलिखित किया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया है । दूसरा पहलू, जिसने विचारण न्यायालय को अभियुक्तों को संदेह का फायदा देने के लिए प्रभावित किया है, यह है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि बैग और "थैला", जिसमें विनिषिद्ध पदार्थ था, अभियुक्तों के कब्जे में नहीं था ।

26. जहां तक एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन का संबंध है, पुलिस साक्षियों के परिसाक्ष्यों, जैसी कि इसमें ऊपर चर्चा की गई है, से यह प्रकट होता है कि यद्यपि अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि

उसने अभियुक्तों को यह सूचित किया था कि वह एक राजपत्रित अधिकारी है और उनसे पूछा कि क्या वे अपनी तलाशी किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को देना चाहेंगे, इस बात का उसके या अन्य अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य में कोई उल्लेख नहीं है कि अभियुक्तों को यह प्रस्थापना की गई थी कि वे अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते हैं ।

27. **पंजाब राज्य** बनाम **बलदेव सिंह**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों की विस्तारपूर्वक प्रतिपादना करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "25. यदि संदिग्ध व्यक्ति यह अपेक्षा करता है कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाए, एक ऐसा अति मूल्यवान अधिकार है जो विधान-मण्डल ने संबंधित व्यक्ति को उन गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए दिया है जो एनडीपीएस अधिनियम के अधीन अवैध वस्तुओं को कब्जे में रखने से हो सकते हैं । यह प्रतीत होता है कि यह उपबंध दंड की कठोरता को ध्यान में रखते हुए अंतःस्थापित किया गया है । इस उपबंध का मूलाधार अन्यथा भी स्पष्ट है । किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी से तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियों की और अधिक अधिप्रमाणिकता और विश्वसनीयता हो जाएगी । इससे वास्तव में अभियोजन का पक्षकथन मजबूत हो जाएगा । इस प्रकार, सशक्त अधिकारी, जो पूर्विक सूचना के आधार पर व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए जाता है, संबंधित व्यक्ति को उसके इस अधिकार की विद्यमानता के बारे में सूचना दिए बिना कि उसे अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देने का अधिकार है, तलाशी लेने का कोई न्यायौचित्य नहीं है ताकि वह उस अधिकार का उपभोग कर सके । तथापि, यह आवश्यक नहीं है कि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचना लिखित में दी जाए । यह पर्याप्त है यदि ऐसी सूचना संबंधित व्यक्ति को मौखिक रूप में और यथासंभव तलाशी और अभिग्रहण को देखने वाले कुछ स्वतंत्र और सम्माननीय व्यक्तियों की मौजूदगी में संसूचित कर दी जाती है । तथापि, अभियोजन पक्ष विचारण में अवश्य यह सिद्ध करेगा

---

[1] (1999) 6 एस. सी. सी. 172 = 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 3672.

कि सशक्त अधिकारी ने आशयित तलाशी के समय संबंधित व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार के बारे सूचना दी थी । मामले के विचारण के समय न्यायालयों का धारा 50 में उपबंधित अपेक्षाओं के सम्यक् अनुपालन के बारे में समाधान हो जाना चाहिए । अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम की धारा 54 के अधीन उपधारणा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि अभियोजन पक्ष न्यायालय के समाधानप्रद यह सिद्ध नहीं कर देता है कि धारा 50 की अपेक्षाओं का सम्यक्तः अनुपालन किया गया था ।

26. धारा 50 में किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लिए जाने का रक्षोपाय या संरक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है कि व्यक्तियों की तलाशी केवल किसी अच्छे हेतु से और ऐसी तलाशी से व्युत्पन्न साक्ष्य की सत्यता बनाए रखने की दृष्टि से ली जाए । हमने पहले ही यह उल्लेख किया है कि अवैध ओषधियों और स्वापक पदार्थों को कब्जे में रखने मात्र के लिए अधिनियम के अधीन कठोर दंड का उपबंध किया गया है । शारीरिक तलाशी, विशिष्ट रूप से एनडीपीएस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए, कब्जे का साक्ष्य अभिप्राप्त करने का आलोचनात्मक साधन है और इसलिए यह आवश्यक है कि अधिनियम के अधीन उपबंधित रक्षोपायों का निष्ठा से पालन किया जाए । संदिग्ध व्यक्ति को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लिए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करने का कर्तव्य संबंधित व्यक्ति को धारा 50 के अधीन उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक आवश्यक अनुक्रम है, क्योंकि मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाले मामले के पश्चात् अब यह अभिवाक् करना अनुज्ञेय नहीं है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, अस्थायी तौर पर भी, किसी ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता हो, जो 'युक्तियुक्त, ऋजु और न्यायसंगत' नहीं है और जब स्वतः किसी कानून में 'न्यायसंगत' प्रक्रिया का उपबंध किया है, तो इसका अवश्य पालन किया जाना चाहिए । संदिग्ध व्यक्ति को यह सूचित किए बिना कि उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिए जाने का अधिकार है, धारा 50 के अधीन तलाशी लेना 'युक्तियुक्त, ऋजु और न्यायसंगत प्रक्रिया' का

अतिक्रमण होगा और धारा 50 में अंतर्विष्ट रक्षोपाय काल्पनिक, निष्प्रभावी और निरर्थक हो जाएगा । विधि के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी पदधारियों द्वारा विधि के क्रमबद्ध और पूर्णरूपेण अतिक्रमण पर आधारित प्रक्रिया को 'युक्तियुक्त, ऋजु और न्यायसंगत' प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है । हम इस बात से सहमत होने के लिए तैयार नहीं हैं कि धारा 50 को पढ़ने पर, सशक्त अधिकारी के इस कर्तव्य की विद्यमानता से कि वह संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह ऐसी अपेक्षा करे, किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार की विद्यमानता के बारे में सूचित करे, इससे विधि की अनभिज्ञता की बात का कोई महत्व बढ़ जाएगा । इस दलील में विधि की अनभिज्ञता और 'युक्तियुक्त, ऋजु और न्यायसंगत' प्रक्रिया के अधिकार की अनभिज्ञता के बीच के स्पष्ट विभेद की अनदेखी की गई है ।"

28. जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा ऊपर उत्कथित निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, इस उपबंध को उपबंधित करने का मूलाधार यह है कि किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने से तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियों की अधिप्रमाणिकता और विश्वसनीयता और अधिक बढ़ जाएगी । किसी राजपत्रित अधिकारी का अर्थ केवल किसी पुलिस अधिकारी से नहीं है अपितु किसी भी अन्य विभाग में कार्यरत किसी भी राजपत्रित अधिकारी से है । वर्तमान मामले में, यद्यपि अभियोजन साक्षियों द्वारा यह कथन किया गया है कि अभि. सा. 4 ने अभियुक्तों को यह सूचित किया था कि वह स्वयं एक राजपत्रित अधिकारी है और उनसे किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी के समक्ष अपनी तलाशी देने की प्रस्थापना की थी, तथापि, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी देने की कोई प्रस्थापना नहीं की थी । ऊपर उत्कथित निर्णय में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार, धारा 50 के उपबंधों का अनुपालन निष्ठा से किया जाना अपेक्षित है । उच्चतम न्यायालय द्वारा ऊपर उत्कथित निर्णय में अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न अन्य विनिश्चयों की चर्चा करने के पश्चात् कतिपय निष्कर्ष निकाले गए हैं । उन्हें यहां नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"(1) जब कोई सशक्त अधिकारी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, पूर्विक सूचना के आधार पर कार्य करते हुए, किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तब उसके लिए यह अनिवार्य है कि

वह संबंधित व्यक्ति को तलाशी देने के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकार के बारे में सूचित करे । तथापि, ऐसी सूचना आवश्यक रूप से लिखित में न भी हो ।

(2) संबंधित व्यक्ति को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार की विद्यमानता के बारे में सूचित करने में असफल रहने से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(3) किसी सशक्त अधिकारी द्वारा पूर्विक सूचना के आधार पर व्यक्ति को उसके इस अधिकार की सूचना दिए बिना ली गई तलाशी कि उसके अपेक्षा करने पर उसे तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा और यदि वह ऐसी इच्छा प्रकट करता है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी तलाशी लेने में असफल रहने से विचारण दूषित न भी हो किंतु अवैध वस्तु की बरामदगी संदेहास्पद हो जाती है और वहां अभियुक्त की दोषसिद्धि और दंडादेश दूषित हो जाएंगे जहां दोषसिद्धि अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों का अतिक्रमण करते हुए ली गई तलाशी के दौरान उसके शरीर से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर की गई है ।

(4) * * * * * *

(5) * * * * * *

(6) * * * * * *

(7) अधिनियम की धारा 50 में उपबंधित रक्षोपायों का अतिक्रमण करते हुए ली गई तलाशी के दौरान अभियुक्त के शरीर से अभिगृहीत अवैध वस्तु को अभियुक्त पर विनिषिद्ध पदार्थ के विधिविरुद्ध कब्जे के सबूत के साक्ष्य के रूप मे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, भले ही अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उस तलाशी के दौरान बरामद अन्य किसी सामग्री का अवलंब अवैध तलाशी के दौरान उस सामग्री की बरामगी के होते हुए भी अन्य कार्यवाहियों में लिया गया हो ।'

29. अतः, इस संबंध में विधि की स्थिर विधिक स्थिति यह है कि अभियुक्त को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी

लिए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करने में असफल रहने से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इस आधार पर स्वतः विचारण दूषित न भी हो, तथापि, धारा 50 के उपबंधों का निष्ठा से पालन करने में असफल रहने से अवैध वस्तु की बरामदगी संदेहास्पद हो जाएगी और अभियुक्त की दोषसिद्धि और दंडादेश दूषित हो जाएंगे । ऐसे किसी मामले में जहां दोषसिद्धि केवल अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर अभिलिखित की गई है, वहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अतिक्रमण करते हुए ली गई तलाशी के दौरान अभियुक्त के शरीर से अभिगृहीत विनिषिद्ध पदार्थ को विनिषिद्ध पदार्थ के विधिविरुद्ध कब्जे के सबूत के साक्ष्य के रूप में अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ।

30. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इसमें ऊपर प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों को लागू करते हुए, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि धारा 50 के उपबंधों का निष्ठा से अनुपालन नहीं किया गया है । आंशिक अनुपालन अननुपालन की कोटि में आएगा, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि विधि के आज्ञापक उपबंधों का भाषा और भाव की दृष्टि से अनुपालन किया गया है । यह संभव हो सकता है कि अभियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी देना चाहते हों । यदि यह विकल्प उन्हें दिया ही नहीं जाता है, तो इससे वे कानून में प्रतिष्ठापित अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित हो जाएंगे । इससे निश्चित रूप से अभियुक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस न्यायालय के मत में, विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियुक्त इस आधार पर दोषमुक्ति के हकदार हैं कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अतिक्रमण किया गया है, न्यायसंगत और उचित है ।

31. जहां तक विनिषिद्ध पदार्थ रखे हुए बैग और "थैले" के कब्जे का संबंध है, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 10 के साक्ष्य में यह बात आई है कि बैग और "थैला" भूमि पर पड़े हुए थे । इसकी प्रतिकूलता में, अन्य अभियोजन साक्षियों ने यह कथन किया है कि बैग और "थैला" उन बेंचों पर पड़े हुए थे जिन पर अभियुक्त बैठे थे । अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 12 द्वारा यह कथन किया गया है कि विनिषिद्ध पदार्थ रखा हुआ बैग और "थैला" सार्वजनिक स्थान से बरामद किया गया था । बैग और "थैले" पर ऐसा कोई चिह्न या उपदर्शन नहीं है जो इन्हें किसी अभियुक्त से सम्बद्ध करता हो ।

32. वर्तमान मामले में साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर यह

दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ रखे हुए बैग और "थैले" को कब्जे में रखने, इनके सबोध कब्जे की बात तो दूर, की बात को साबित करने में सफल नहीं रहा है । शिकायत में किया गया परिवर्णन कि बैग और "थैले" की अंतर्वस्तुओं के बारे में पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि उनमें गांजा है, अभिलेख के साक्ष्य से साबित नहीं होता है । अभि. सा. 4, जो छापामार दल का मुखिया था, ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि यह पूछने पर कि बैग और "थैले" में क्या है, अभियुक्तों ने कोई समाधानप्रद उत्तर नहीं दिया । साक्ष्य में यह बात आई है कि बैग और "थैला" एक सार्वजनिक स्थान से बरामद किए गए थे । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि बैग और "थैला" भूमि पर पड़े हुए थे, हालांकि कुछ साक्षियों ने यह कथन किया है कि बैग और "थैला" बेंचों पर पड़े हुए थे । अभियुक्तों तथा बैग और "थैले" के बीच ऐसा कोई संबंध सिद्ध नहीं हुआ है जिससे यह उपदर्शित होता हो कि उक्त वस्तुएं अभियुक्तों की थीं । ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि विनिषिद्ध पदार्थ रखा हुआ बैग और "थैला" अभियुक्तों के सबोध कब्जे में थे । हालांकि पंचनामें की अंतर्वस्तुओं में यह कहा गया है कि अभियुक्त ने बैग और "थैले" में की अंतर्वस्तुओं के संबंध में पूछे जाने पर यह कहा कि उनमें गांजा है, तथापि, क्योंकि दोनों पंच साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, इसलिए पंचनामा साबित नहीं किया गया है ।

33. वर्तमान मामले में केवल पंच साक्षी ही स्वतंत्र साक्षी हैं, किंतु उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । हालांकि अन्य अभियोजन साक्षियों, जो पुलिस साक्षी हैं, के साक्ष्य को केवल इस कारण अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि वे पुलिस बल और छापामार दल के सदस्य हैं, तथापि, तात्विक विशिष्टियों में इसकी संपुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य से होनी चाहिए । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में परस्पर अंतर्निहित विरोधाभास हैं, जो विश्वासोत्पादक नहीं हैं और उनके परिसाक्ष्यों की विश्वसनीयता को कम हो जाती है । यह कहा गया है कि अधिकांश अभियोजन साक्षियों ने छापे को देखा था, किंतु यहां यह भ्रम की स्थिति है कि क्या बैग और "थैला" भूमि पर पड़े हुए थे या क्या वे उन बेंचों पर पाए गए थे जिन पर अभियुक्त बैठे हुए थे । क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ रखे हुए बैग और "थैले" का सबोध कब्जा साबित नहीं किया गया है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत निकाला गया निष्कर्ष स्वीकार करने योग्य है ।

34. दांडिक विचारण में अपराध कारित करने की बात को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है । किसी मामले में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत और उसकी निर्दोषिता के असंगत हो, केवल तभी न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध दोषिता का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है । जहां अभियोजन पक्ष मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा हो, वहां अभियुक्त को संदेह का फायदा दिया जाए । इसके अतिरिक्त, अब यह स्थिर विधि है कि जहां दो मत संभव हों, वहां जो मत अभियुक्त के पक्ष में है उसे अपनाया जाना चाहिए । विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत कि अभियुक्तों के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है, वर्तमान मामले में के साक्ष्य को देखते हुए केवल यही संभव और अधिसंभाव्य मत है ।

35. इस न्यायालय के मत में, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायसंगत कारण नहीं है ।

36. पूर्वोक्त कारणों से यह अपील असफल होती है और खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

(2014) 1 दा. नि. प. 200 **छत्तीसगढ़**

देबरा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 12 जून, 2013

न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 – बलात्संग – अभियोक्त्री का कथन कि वह और अभियुक्त लगभग आधा घंटा

आलिंगनबद्ध रहे और अभियुक्त ने जबरदस्ती मैथुन किया – अभियोक्त्री की कमर पर कोई क्षति नहीं पाया जाना – मामले के तथ्यों, अभियोक्त्री के कथन और अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्यों से यह स्पष्ट होने पर कि अभियोक्त्री मैथुन के लिए सहमत पक्षकार थी, अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है ।

मामले के अभिकथित तथ्यों के अनुसार अभियोक्त्री घटना की तारीख अर्थात् 5 जून, 2001 को 40 वर्षीय एक विवाहित स्त्री थी । उस तारीख को वह अपने पुत्र के साथ अपने मकान में थी और उसका पति कृषि कार्य के लिए खेत गया हुआ था । अपीलार्थी-अभियुक्त अपराह्न में लगभग 4.00 बजे शराब और अंडे लेकर उसके मकान पर आया । उसने अभियोक्त्री को अंडे पकाने के लिए कहा । उसने अंडे पकाए और उसके पश्चात् अपीलार्थी-अभियुक्त ने शराब पी और अंडे खाए । अभियोक्त्री के पुत्र के घावों को देखकर अपीलार्थी-अभियुक्त ने अभियोक्त्री से कहा कि वह एक औषधीय पौधे को जानता है जो जंगल में पाया जाता है । वह उसके साथ जंगल में गई । जब वह पौधे को उखाड़ रही थी, तब अपीलार्थी-अभियुक्त ने अभियोक्त्री को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध मैथुन किया । अभियोक्त्री ने अपने पति को घटना बताई । गांव में पंचायत बुलाई गई । अपीलार्थी-अभियुक्त को भी पंचायत में बुलाया गया, किंतु उसने अभियोक्त्री के साथ मैथुन करने की बात से इनकार किया । अभियोक्त्री ने पुलिस थाना, भानपुरी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । अपीलार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् उसके विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया और उसका विचारण करने के पश्चात् उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अपीलार्थी-अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोक्त्री ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तारीख को वह अपने पुत्र के साथ अपने मकान में थी । उसका पति कृषि कार्य के लिए खेत गया हुआ था । अपीलार्थी उसके मकान पर आया और उसके पुत्र के घावों को देखकर उसे कहा कि वह औषधीय पौधे को जानता है जो जंगल में पाया जाता है । यह बात सुनकर वह औषधीय पौधा खोदने के लिए अपीलार्थी के साथ जंगल में गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह पौधा खोद रही थी तब अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया और

उसका मुंह बंद कर दिया तथा धरती पर पटककर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ मैथुन किया । उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी दी । उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लाल सिंह और बुधारु राम वहां आए । उनको देखकर अपीलार्थी वहां से भाग गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अपने घर आई और अपने पति को घटना बताई । अपीलार्थी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी । अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने उसके साथ लगभग एक-डेढ़ घंटे तक जबरदस्ती मैथुन किया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी उसके मकान पर शराब और अंडे लेकर आया था और यह बात भी सही है कि अपीलार्थी ने उसके मकान पर शराब पी थी और अंडे खाए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मैथुन करने के समय अपीलार्थी की कोई भुजा नहीं थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी सुलह करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । अभियोक्त्री ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अपीलार्थी के कहने पर उसके साथ जंगल में गई थी । यह भी सही है कि वह अपीलार्थी के साथ गई थी । लाल सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह जंगल में लकड़ी की टहनियां काटने के लिए गया था । उसने देखा कि अभियोक्त्री और अपीलार्थी आलिंगनबद्ध स्थिति में थे । बुधारु राम ने भी इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य दिया है । बुधारु राम ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह सही है कि उसने और लाल सिंह ने अभियोक्त्री को आलिंगनबद्ध स्थिति में देखा था । इसलिए गांव में एक पंचायत बुलाई गई थी । यह भी सही है कि बुदारुराम ने अपीलार्थी से धन की मांग की थी किंतु अपीलार्थी ने धन देने से इनकार कर दिया, इसलिए अभियोक्त्री ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । बुदारुराम ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गांव की पंचायत में अपीलार्थी ने घटना से इनकार किया और वह धन देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि यदि अपीलार्थी जुर्माने की रकम देने के लिए तैयार हो जाता, तो वह अभियोक्त्री को अपीलार्थी के घर छोड़ देता । लाल सिंह और बुधारु राम ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री ने उन्हें घटना नहीं बताई थी । अभियोक्त्री ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने लगभग आधे घंटे तक उसे आलिंगनबद्ध रखा था । अभियोक्त्री की पीठ पर कोई क्षति नहीं पहुंची थी । अभियोक्त्री, लाल सिंह और बुधारु राम के साक्ष्य का अवलोकन

करने पर यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री मैथुन के करने में एक सहमत पक्षकार थी, इसलिए अभियोक्त्री के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । (पैरा 11 और 12)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील सं. 639.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री सुभाष यादव

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अशोक दूबे

न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा – यह अपील 2001 के सेशन विचारण सं. 366 में तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा तारीख 29 अप्रैल, 2002 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी देबरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और पांच वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है ।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन निम्न प्रकार से है :–

अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) घटना की तारीख अर्थात् 5 जून, 2001 को 40 वर्षीय एक विवाहित स्त्री थी । उस तारीख को वह अपने पुत्र के साथ अपने मकान में थी और उसका पति कृषि कार्य के लिए खेत गया हुआ था । अपीलार्थी अपराह्न में लगभग 4.00 बजे शराब और अंडे लेकर अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) के मकान पर आया । उसने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) को अंडे पकाने के लिए कहा । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने अंडे पकाए । उसके पश्चात् अपीलार्थी ने शराब पी और अंडे खाए । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) के पुत्र के घावों को देखकर अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) से कहा कि वह औषधीय पौधे को जानता है जो जंगल में पाया जाता है । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) अपीलार्थी के साथ जंगल में गई । जब वह पौधे को उखाड़ रही थी, तब अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर लिया और उसे धरती पर पटककर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध मैथुन किया । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) को जान से मारने की धमकी दी । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने शोर मचाया । उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लाल सिंह (अभि. सा. 3), बुधारु राम (अभि. सा. 5) और टोरका नामक व्यक्ति वहां आए । उन्होंने देखा कि अपीलार्थी अभियोक्त्री (अभि.

सा. 1) के साथ मैथुन कर रहा था । उन्हें देखकर अपीलार्थी वहां से भाग गया । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) को धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी व्यक्ति को बताया तो वह उसे और उसके पति को भी मार डालेगा । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने अपने पति को घटना बताई । गांव में पंचायत बुलाई गई । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने घटना बताई । अपीलार्थी को भी पंचायत में बुलाया गया, किंतु अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ मैथुन करने की बात से इनकार किया । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने पुलिस थाना, भानपुरी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज की । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) को चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्रदर्श पी-10 द्वारा सिविल अस्पताल, भानपुरी भेजा गया । डाक्टर ए. कछप (अभि. सा. 4) ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) दी, जिसमें उसने (1) बाईं छाती पर 0.3 x 0.1 से. मी. की किसी वस्तु के बहिर्विष्ट कठोर भाग द्वारा कारित कई सारी खरोंचें (2) कंधे के बाएं जोड़ पर किसी वस्तु के कठोर बहिर्विष्ट भाग द्वारा कारित 1 x 1/2 से. मी. की खरोंच, (3) धड़ के पीछे दाहिनी ओर कठोर नुकीली वस्तु द्वारा कारित लगभग 5 x 0.1 से. मी. आकार की कई सारी रेखीय खरोंचें, (4) धड़ के पीछे बाईं ओर किसी वस्तु के बहिर्विष्ट भाग द्वारा कारित 0.3 x 0.2 से. मी. की कई सारी रेखीय खरोंचें और (5) दाएं कंधे के जोड़ पर किसी वस्तु के बहिर्विष्ट भाग द्वारा कारित 1 x 1/2 से. मी. की खरोंच, पाई । डाक्टर ए. कछप (अभि. सा. 6) ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) के योनिक स्राव की दो स्लाइडें तैयार कीं । अपीलार्थी को भी प्रदर्श पी-12 द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल, भानपुरी भेजा गया । डाक्टर के. एस. पैकारा (अभि. सा. 8) ने अपीलार्थी का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-21) दी जिसमें उसने यह पाया कि अपीलार्थी मैथुन कर सकता है । आगे अन्वेषण करते हुए प्रदर्श पी-9 द्वारा अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की साड़ी और लुंगी का टुकड़ा अभिगृहीत किए गए । प्रदर्श पी-14 द्वारा स्लाइडें भी अभिगृहीत की गईं । अपीलार्थी से उसका जांघिया प्रदर्श पी-15 द्वारा अभिगृहीत किया गया । स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-17) तैयार किया गया । अपीलार्थी को प्रदर्श पी-18 द्वारा गिरफ्तार किया गया । अभिगृहीत वस्तुएं परीक्षण के लिए प्रदर्श पी-19 द्वारा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजी गईं । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को आगे सेशन न्यायालय, बस्तर, जगदलपुर को सुपुर्द किया, जहां

से यह मामला अंतरित होकर तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर को प्राप्त हुआ और उसने विचारण किया तथा अपीलार्थी को उपरोक्त वर्णित अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सुभाष यादव ने यह दलील दी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) विलंब से दर्ज की गई थी । उसने यह भी दलील दी कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करके गंभीर गलती की है । उसने आगे यह भी दलील दी कि अभियोजन का पक्षकथन अत्यंत अनधिसंभाव्य है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सूक्ष्म संवीक्षा करने पर अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) के सहमत पक्षकार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि संधार्य नहीं है और उसकी दोषमुक्ति होनी चाहिए ।

4. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपसंजात होने वाले विद्वान् पैनल अधिवक्ता श्री अशोक दूबे ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह दलील दी कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दिए गए दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5. पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों को सुनने के पश्चात् मैंने सेशन विचारण सं. 366/2001 के अभिलेख का परिशीलन किया ।

6. मैं पहले प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराने में हुए विलंब के प्रश्न पर विचार करूंगा ।

7. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तारीख को वह अपने पुत्र के साथ अपने मकान में थी । उसका पति कृषि कार्य के लिए खेत गया हुआ था । अपीलार्थी उसके मकान पर आया और उसके पुत्र के घावों को देखकर उसे कहा कि वह औषधीय पौधे को जानता है जो जंगल में पाया जाता है । यह बात सुनकर वह औषधीय पौधा खोदने के लिए अपीलार्थी के साथ जंगल में गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह पौधा खोद रही थी तब अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया तथा धरती पर पटककर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ मैथुन किया । उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने घटना अपने पति को बताई । गांव में एक पंचायत बुलाई गई । उसकी पंचायत द्वारा परीक्षा की गई । अपीलार्थी को भी गांव की पंचायत

में बुलाया गया था । इस साक्षी ने पंचायत के समक्ष घटना का वर्णन किया । गांव की पंचायत में अपीलार्थी ने घटना से इनकार किया और समझौते के लिए सहमत नहीं हुआ । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पुलिस थाना, भानपुरी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई ।

8. बुदारुराम (अभि. सा. 2, अभियोक्त्री का पति) ने अपीलार्थी को घटना का वर्णन किया । लाल सिंह (अभि. सा. 3) ने भी उसे घटना का वर्णन किया । अभि. सा. 2 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि गांव में एक पंचायत बुलाई गई और अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने पंचायत के समक्ष घटना का वर्णन किया, किंतु अपीलार्थी ने अभिकथन से इनकार किया । उसके पश्चात् उसकी पत्नी (अभियोक्त्री) ने पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई ।

9. उप निरीक्षक सुशील मलिक (अभि. सा. 9) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने तारीख 6 जून, 2001 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई । घटना की तारीख 5 जून, 2001 और समय लगभग अपराह्न में 4.00 बजे का था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) तारीख 6 जून, 2001 को अपराह्न में लगभग 7.30 बजे दर्ज कराई गई थी । घटनास्थल और पुलिस थाने के बीच की दूरी लगभग 16 कि. मी. है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराने में हुए विलंब का इसमें उल्लिखित कारण पंचायत बुलाना है । प्रदर्श पी-3 और पी-4 वे पत्र हैं जो ग्राम पंचायत, पीपलावांड के सरपंच और अन्य ग्रामवासियों द्वारा पुलिस थाना, भानपुरी को भेजे गए थे । प्रदर्श पी-3 और पी-4 को देखने पर यह प्रतीत होता है कि तारीख 6 जून, 2001 को गांव की एक पंचायत बुलाई गई थी और उसके पश्चात् अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने पुलिस थाना, भानपुरी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई । इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराने में हुए विलंब के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण युक्तिसंगत और विश्वसनीय है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलंब अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

10. अब मैं इस बात की परीक्षा करूंगा कि क्या अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) द्वारा दिया गया साक्ष्य तर्कपूर्ण और विश्वासप्रद है तथा इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है या नहीं ।

11. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तारीख को वह अपने पुत्र के साथ अपने मकान में थी । उसका पति

कृषि कार्य के लिए खेत गया हुआ था । अपीलार्थी उसके मकान पर आया और उसके पुत्र के घावों को देखकर उसे कहा कि वह औषधीय पौधे को जानता है जो जंगल में पाया जाता है । यह बात सुनकर वह औषधीय पौधा खोदने के लिए अपीलार्थी के साथ जंगल में गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह पौधा खोद रही थी तब अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया तथा धरती पर पटककर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ मैथुन किया । उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी दी । उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लाल सिंह (अभि. सा. 3) और बुधारु राम (अभि. सा. 5) वहां आए । उनको देखकर अपीलार्थी वहां से भाग गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अपने घर आई और अपने पति को घटना बताई । अपीलार्थी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने उसके साथ लगभग एक-डेढ़ घंटे तक जबरदस्ती मैथुन किया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी उसके मकान पर शराब और अंडे लेकर आया था और यह बात भी सही है कि अपीलार्थी ने उसके मकान पर शराब पी थी और अंडे खाए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मैथुन करने के समय अपीलार्थी के पास कोई आयुध नहीं था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी सुलह करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अपीलार्थी के कहने पर उसके साथ जंगल में गई थी । यह भी सही है कि वह अपीलार्थी के साथ गई थी । लाल सिंह (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह जंगल में लकड़ी की टहनियां काटने के लिए गया था । उसने देखा कि अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) और अपीलार्थी आलिंगनबद्ध स्थिति में थे । बुधारु (अभि. सा. 5) ने भी इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य दिया है । बुधारु (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह सही है कि उसने और लाल सिंह (अभि. सा. 3) ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) को आलिंगनबद्ध स्थिति में देखा था । इसलिए गांव में एक पंचायत बुलाई गई थी । यह भी सही है कि बुदारुराम (अभि. सा. 2) ने अपीलार्थी से धन की मांग की थी किंतु अपीलार्थी ने धन देने से इनकार कर दिया, इसलिए अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई । बुदारुराम अभि. सा. 2, अभियोक्त्री का पति ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गांव की

पंचायत में अपीलार्थी ने घटना से इनकार किया और वह धन देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि यदि अपीलार्थी जुर्माने की रकम देने के लिए तैयार हो जाता, तो वह अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) को अपीलार्थी के घर छोड़ देता । लाल सिंह (अभि. सा. 3) और बुधारु राम (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री ने उन्हें घटना नहीं बताई थी । अभियोक्त्री ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने लगभग आधे घंटे तक उसे आलिंगनबद्ध रखा था । अभियोक्त्री की पीठ पर कोई क्षति नहीं पहुंची थी ।

12. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1), लाल सिंह (अभि. सा. 3) और बुधारु राम (अभि. सा. 5) के साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) मैथुन करने में एक सहमत पक्षकार थी, इसलिए अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है ।

13. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) के साक्ष्य और उसके अस्वाभाविक आचरण से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) मैथुन के कारित करने में सहमत पक्षकार थी, इसलिए उसके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है ।

14. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर मेरा यह मत है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करके गलती की है । अतः दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय कायम रखने योग्य नहीं है ।

15. परिणामतः, यह अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन की गई दोषसिद्धि और दिया गया दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । उसे उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । यह बताया गया है कि अपीलार्थी कारागार में है । उसे, यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत रिहा कर दिया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

मंजूर अहमद और एक अन्य

बनाम

जम्मू-कश्मीर राज्य

तारीख 28 जून, 2013

न्यायमूर्ति विरेन्द्र सिंह और न्यायमूर्ति मुजफ्फर हुसैन अत्तर

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 8(ग), 35 और 54 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354] – स्वापक ओषधि का सबोध कब्जा – अभियुक्तों द्वारा चलाए जा रहे ट्रकों की केबिन से 96 कि. ग्रा. चरस की बरामदगी – ट्रक केबिन ड्राइवर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त-ड्राइवरों को केबिन में रखी चरस की जानकारी नहीं थी और चरस की बरामदगी उनके सबोध कब्जे से बरामद नहीं हुई, अतः विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य है ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 50 – व्यक्ति की तलाशी – जहां स्वापक ओषधि के संबंध में तलाशी व्यक्ति के बजाय विनिषिद्ध पदार्थ ले जा रहे किसी यान की हो, वहां धारा 50 के उपबंध लागू नहीं होते ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 42 और 43 – इत्तिला को अभिलिखित करना और वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना – पुलिस अधिकारी को दो ट्रकों में चरस परिवहन करने की बाबत विश्वस्त इत्तिला प्राप्त होना – तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना और संयुक्त नाका लगाकर ट्रकों की तलाशी लिया जाना – विनिषिद्ध पदार्थ चरस की बरामदगी के पश्चात् तुरंत अन्य औपचारिकताएं पूरी करना – यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त धाराओं के उपबंधों का अननुपालन हुआ है, अतः उनकी दोषसिद्धि उचित है ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 20 – दंडादेश की मात्रा – अभियुक्तों की आयु, कुटुम्ब के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति जैसी परिस्थितियों पर विचार किया गया, किंतु अभियुक्तों के पास 96 कि. ग्रा. चरस की भारी मात्रा की बरामदगी को ध्यान में रखते हुए

उनके दंडादेशों को कम करना न्यायसंगत नहीं है ।

इस मामले के तथ्यों के अनुसार तारीख 10 जुलाई, 2006 को पुलिस थाना, राजबाग (जिला कठुआ) के थाना अधिकारी, अशोक सिंह को एक विश्वसनीय स्रोत से इत्तिला प्राप्त हुई कि दो ट्रक, जिनका पंजीकरण संख्यांक एचआर 55-4547 (हरियाणा का पंजीकरण) और जेके 13-0399 (जम्मू-कश्मीर का पंजीकरण) है, चरस लेकर श्रीनगर से आ रहे हैं और इसकी आपूर्ति विभिन्न राज्यों में की जानी है । उक्त इत्तिला प्राप्त होने पर दूरभाष पर पुलिस उप अधीक्षक/एसडीपीओ को सूचित किया गया तथा उसके पश्चात् एक विशिष्ट स्थान पर संयुक्त नाका लगाया गया । इसी बीच पूर्वोक्त ट्रक उस स्थान के निकट पहुंचे जहां नाका लगाया गया था और उन्हें रुकने का संकेत किया गया । तथापि, ड्राइवरों ने अपने-अपने ट्रक नहीं रोके, परिणामस्वरूप थाना अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक और अन्य पुलिस पदधारियों द्वारा उनका पीछा किया गया और अन्ततोगत्वा वे अंतररूद्ध कर लिए गए । उसके पश्चात् पुलिस उप अधीक्षक की मौजूदगी में दोनों ट्रकों की तलाशी ली गई । ट्रक संख्यांक एचआर 55-4547, जिसे अभियुक्त नज़ीर अहमद द्वारा चलाया जा रहा था, की ड्राइवर की सीट के पीछे से चरस के 10 पैकेट बरामद किए गए और प्रत्येक पैकेट का भार 2 कि. ग्रा. था तथा दूसरे ट्रक संख्यांक जेके 13-0399, जिसे अभियुक्त मंजूर अहमद द्वारा चलाया जा रहा था, से चरस के अन्य 10 पैकेट बरामद किए गए और प्रत्येक पैकेट का भार 2 कि. ग्रा. था । दोनों ट्रकों से बरामद उक्त विनिषिद्ध पदार्थ को भिन्न-भिन्न अभिग्रहण ज्ञापनों द्वारा कब्जे में लिया गया । उसके पश्चात् दानों ट्रकों को उनके ड्राइवरों सहित पुलिस थाने लाया गया । पुलिस थाना, राजबाग में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । दोनों अभियुक्तों से परिप्रश्न करने के दौरान यह प्रकट किया गया कि उन्होंने दोनों ट्रकों की सामने वाली केबिन में चरस की कुछ और मात्रा रखी हुई है, जिन्हें पुलिस द्वारा तोड़कर खोला गया और ट्रक सं. जेके 13-0399 से चरस के दो-दो कि. ग्रा. भार के 15 पैकेट तथा तीन-तीन कि. ग्रा. भार के दो अन्य पैकेट बरामद किए गए । यह कुल 36 कि. ग्रा. चरस थी जो उक्त ट्रक की केबिन से बरामद की गई थी । इसी प्रकार, जब ट्रक सं. एचआर 55-4547 की केबिन को भी तोड़कर खोलने के पश्चात् इसकी तलाशी ली गई तो चरस के दो-दो कि. ग्रा. भार के 10 पैकेट बरामद किए गए । इस प्रकार पूर्वोक्त ट्रकों से कुल मिलाकर 96 कि. ग्रा. चरस बरामद की गई ।

प्रत्येक पैकेट में से नमूने लिए गए और रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए । पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं भी पूरी की गईं । अन्वेषण के दौरान पूर्वोक्त ट्रकों में से एक ट्रक के स्वामी को भी दुष्प्रेरण और अपने ट्रक में चरस परिवहन करने/ले जाने के लिए आपराधिक षड्यन्त्र का पक्षकार होने के लिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 29 के अधीन आरोप के लिए गिरफ्तार किया गया । तथापि, दूसरे ट्रक के स्वामी अभियुक्त बशीर अहमद डार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका । अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल कयूम को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 29 के अधीन आरोप के लिए दोषमुक्त कर दिया गया । वर्तमान दोनों अभियुक्तों को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8(ग) और 20(ग) के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । दोनों अभियुक्तों ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 35 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा को अधिकथित करती है । धारा 35 के साथ दिए गए स्पष्टीकरण में "आपराधिक मानसिक दशा" के अंतर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या उस पर विश्वास करने का कारण है । निस्संदेह, इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य केवल तभी साबित किया गया कहा जा सकता है, जब न्यायालय युक्तियुक्त संदेह के परे यह विश्वास करे कि वह तथ्य विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसम्भाव्यता की प्रबलता के कारण सिद्ध होती है । किंतु प्रस्तुत मामले में, इसके अपने तथ्यों के आधार पर निश्चित रूप से किसी संदेह के परे दोनों अभियुक्तों की आपराधिक मानसिक दशा होने के बारे में कहा जा सकता है, जिसका खंडन करके अभियुक्त अपने भार का निर्वहन नहीं कर सके हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन परीक्षा करने के समय आरोप से केवल इनकार करना भार का निर्वहन किया जाना नहीं कहा जा सकता है । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 54, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अवैध वस्तुओं के कब्जे की उपधारणा अधिकथित है, के निबंधनों के अनुसार भी ऐसी ही स्थिति है । इस प्रकार न्यायालय के सुविचारित मत में, दोनों अभियुक्तों के पास विनिषिद्ध पदार्थ का सबोध कब्जा पूर्णत: साबित होता है । (पैरा 30)

जहां तक धारा 50 के उपबंधों का संबंध है, निस्संदेह, ये उपबंध आज्ञापक प्रकृति के हैं और जहां अपेक्षित हो, भाषा और भाव की दृष्टि से उनका कड़ाईपूर्वक पालन किया जाना चाहिए । किंतु इस मामले में तथ्यात्मक स्थिति पूर्णतः भिन्न है क्योंकि जो तलाशी ली गई, वह यान (यानों) की है न कि किसी व्यक्ति की । इसलिए धारा 50 के उपबंध इस मामले में लागू नहीं होते हैं । पुनरावृत्ति करते हुए, न्यायालय यहां यह उल्लेख कर सकता है कि यथा प्रकटित अभियोजन का पक्षकथन यह है कि विनिषिद्ध पदार्थ लाते हुए पूर्वोक्त यानों के बारे में विश्वसनीय स्रोतों से इत्तिला प्राप्त होने पर एक विशिष्ट स्थान पर नाका लगाया गया, जहां चरस लिए हुए दो ट्रकों की तलाशी ली गई और दूसरी बार पुनः तलाशी लेने पर ट्रकों की केबिनों में रखी चरस की कुछ और मात्रा बरामद की गई । इसे किसी व्यक्ति की तलाशी लेना नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इस मामले में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन कतई लागू नहीं होता है । (पैरा 23)

जहां तक स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) का संबंध है, इसमें यह अधिकथित है कि सशक्त अधिकारी के पास यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई पूर्विक इत्तिला है, तो उसे ऐसी इत्तिला को लेखबद्ध करना चाहिए और जहां उसकी व्यक्तिगत जानकारी से यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय-4 के अधीन दंडनीय अपराध किए गए हैं या ऐसी सामग्री, जो ऐसे अपराध का साक्ष्य हो सकती है, किसी भवन आदि में छिपाई गई है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच वारंट के बिना गिरफ्तारी या तलाशी कर सकेगा और वह ऐसा अपने विश्वास के कारणों को लेखबद्ध किए बिना कर सकेगा । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) का परंतुक यह भी अधिकथित करता है कि यदि सशक्त अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा । इसके अतिरिक्त, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) यह अधिकथित करती है कि सशक्त अधिकारी, जो इत्तिला को स्वापक ओषधि और

मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उस उपधारा के परंतुक के अधीन अभिलिखित करता है, उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को तत्काल भेजेगा । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 43 को भी निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा, जो किसी लोक स्थान में स्वापक ओषधि के अभिग्रहण करने के संबंध में है तथा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 और 43 के उपबंधों के बीच फर्क यह है कि धारा 42 तलाशी और अभिग्रहण करने से पूर्व अपराध के कारित होने की बाबत लिखित में प्राप्त इत्तिला को लिखने के लिए विश्वास करने के कारणों को लेखबद्ध करने की अपेक्षा करती है, जबकि धारा 43 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, इसलिए सशक्त अधिकारी को इस धारा के निबंधनों के अनुसार वस्तुओं आदि का अभिग्रहण करने और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है जिसके कब्जे में किसी ऐसे लोक स्थान में कोई स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ पाया जाता है, जहां सशक्त अधिकारी को ऐसा कब्जा विधिविरुद्ध होना प्रतीत होता है । यदि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखा जाए, तो थाना अधिकारी अशोक सिंह ने इस आशय की विश्वसनीय इत्तिला कि पूर्वोक्त दो ट्रक चरस लेकर श्रीनगर की ओर से आ रहे हैं, प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् अपने ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक/एसडीपीओ, जुगल शर्मा को सूचित किया और वह भी उसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिला और उसके पश्चात् शॉप नाला पर संयुक्त नाका लगाया । इस मामले में उक्त थाना अधिकारी कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि कुछ मिनटों का विलंब दोनों अभियुक्तों के बच निकलने का कारण बन सकता था और इस घटनाक्रम में पुलिस विनिषिद्ध पदार्थ चरस की 96 कि. ग्रा. की इतनी बड़ी मात्रा की बरामदगी नहीं कर पाती । वास्तविकता यह है कि एक स्थान से, जहां नाका लगाया गया था, दोनों ट्रकों की ड्राइवर की सीटों से बरामदगी करने के तुरंत पश्चात् दोनों ट्रकों को दोनों अभियुक्तों सहित पुलिस थाने लाया गया और उसके पश्चात् थाना अधिकारी अशोक सिंह ने कोई समय गवाए पुलिस थाना, राजबाग (कठुआ) में तारीख 10 जुलाई, 2006 को ही 1.00 बजे अपराह्न में मामला दर्ज किया । उसे प्राप्त हुई इत्तिला मौखिक थी और रोजनामचा संदर्भ (डीडीआर) में प्रविष्टि सं. 9 के सामने अभिलिखित की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् इसकी प्रति तुरंत सभी संबंधित को प्रेषित की गई थी और एक प्रति इलाका मजिस्ट्रेट के पास भी पहुंची थी । द्वितीय चरण की तलाशी संबंधित

पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् तब की गई थी जब दोनों अभियुक्तों से परिप्रश्न किए गए थे और उनसे किए गए परिप्रश्नों से यह प्रकट हुआ था कि उन्होंने अपने-अपने ट्रकों की सामने की केबिन में चरस की कुछ और मात्रा छिपाई हुई है । इसलिए वर्तमान मामले पर इसके अपने तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् और करनैल सिंह वाले मामले में दिए गए विनिश्चयाधार का अनुसरण करने पर श्री गड्डा द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) के अननुपालन की बाबत दी गई दलील से उसे कतई कोई सहायता उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए यह दलील नामंजूर की जाती है । किसी विशिष्ट मामले में विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा न कराया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक होना कहा जा सकता है, किंतु प्रस्तुत मामले में शायद इस पहलू को भी घातक नहीं कहा जा सकता है । इतना ही नहीं, जब अभि. सा. 1 पुलिस उप अधीक्षक/ एसडीपीओ, जुगल शर्मा साक्षी कठघरे में आए और यह कथन किया कि उसे थाना अधिकारी, पुलिस थाना, राजबाग द्वारा चरस लिए हुए पूर्वोक्त ट्रकों की गतिविधि के बारे में सूचित किया गया था और उसके पश्चात् उन्होंने संयुक्त रूप से नाका लगाया था । वह भी पुलिस थाना, राजबाग गया था, जहां दोनों अभियुक्तों और ट्रकों को लाया गया था और वहां उसकी मौजूदगी में ट्रकों की केबिन को भी खोला गया था तथा और अधिक चरस की बरामदगी हुई थी । उसने आगे यह कथन किया कि अभियुक्तों से पूछताछ करने के दौरान उन्होंने यह बताया था कि ट्रकों के स्वामी बशीर अहमद डार और मोहम्मद कयूम हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दोनों अभियुक्तों में से केवल मोहम्मद कयूम को ही गिरफ्तार किया जा सका, जबकि बशीर अहमद डार को आज की तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है । इस साक्षी की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा, यहां तक कि अपने कार्यालय में रोजनामचा बनाए रखने की बात पर भी, की गई थी किंतु हम उसके साक्ष्य में ऐसी कोई खामी नहीं पाते हैं जिससे दोनों स्थानों, पहले नाके पर और दूसरी बार पुलिस थाने में, की गई बरामदगी की बात का खंडन होता हो । निस्संदेह, इस साक्षी के साक्ष्य में घटनास्थल पर नमूने लेने के लिए चरस तोलने के प्रयोजन के लिए लाई गई वस्तु और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने की बाबत कुछ विसंगतियां प्रकट हुई हैं, किंतु ये विसंगतियां भी अतात्विक होने के कारण मायने नहीं रखती हैं । इसलिए न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि इस मामले में अन्वेषक अधिकारी (अभियोजन साक्षी, थाना अधिकारी

अशोक सिंह) की परीक्षा नहीं कराने से अभियुक्तों पर ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जिससे कि उन्हें कोई फायदा दिया जा सके और अभियोजन के पक्षकथन को संदेह की दृष्टि से देखा जा सके । (पैरा 25, 26, 28, 35 और 36)

न्यायालय दोनों अभियुक्तों के सबोध कब्जे से बरामद की गई 96 कि. ग्रा. चरस की इतनी बड़ी मात्रा तथा साथ ही अन्य पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए दोनों अभियुक्तों पर अधिरोपित दंडादेश को न्यूनतम दस वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने या इसके बीच के किसी कारावास में कम करने के लिए विश्वसनीय आधार तो दूर कोई आधार ही नहीं पाता है । इस आधार पर की गई प्रार्थना को नामंजूर किया जाता है और न्यायालय विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही यथा अधिनिर्णीत दंडादेश वाले भाग की भी पुष्टि करता है । (पैरा 40)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ (क्रि.) 716 : **भारत संघ** बनाम **मोहन लाल और एक अन्य** ;	41
[2009]	(2009) 5 आर. सी. आर. (क्रि.) 515 एस. सी. = (2009) 8 एस. सी. सी. 539 : **करनैल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ।	27

निर्दिष्ट निर्णय

[2007]	(2007) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 450 : **दिलीप और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	9,16
[2004]	(2004) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 465 : **कोलुट्टुमोट्टिल रज़ाक** बनाम **केरल राज्य** ;	9, 16
[2000]	2000 क्रिमिनल ला जर्नल 3156 : **के. वेंकेटेशम और एक अन्य** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य** ;	9, 16
[1994]	1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3702 : **पंजाब राज्य** बनाम **बलबीर सिंह** ।	9, 16

अपीली(दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 9 और 352.

जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 संवत् (1933 ईस्वी) की धारा 411 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री आर. ए. गड्डा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री शूजा-अल-हक़, सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति विरेन्द्र सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – अपीलार्थी मंजूर अहमद पुत्र मोहम्मद अकबर, निवासी नालदोना, तहसील शोपियान तथा नज़ीर अहमद पुत्र अब्दुल अहाद, निवासी नैना बाटपुरा, तहसील पुलवामा (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) को अभिकथित रूप से अपने सबोध कब्जे में 96 कि. ग्राम. चरस रखने के लिए विद्वान् प्रधान सेशन न्यायाधीश, कठुआ के तारीख 20/28 मई, 2011 के आक्षेपित निर्णय/आदेश द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (1985 का 61) की धारा 8(ग)/20(ग) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है । उन पर अधिरोपित किया गया दंडादेश प्रत्येक को 20 वर्ष का कठोर कारावास और दो लाख रुपए का जुर्माना है तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर प्रत्येक अभियुक्त पांच वर्ष का और कारावास भोगेगा । उन्होंने दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय से व्यथित होकर 2011 की दांडिक अपील सं. 9 के द्वारा इस न्यायालय में समावेदन किया है, जिसे स्वापक ओषधि का मामला होने के कारण अन्य दांडिक मामलों पर पूर्विकता दी गई है ।

2. यहां यह उल्लेखनीय है कि मोहम्मद अब्दुल कयूम नामक व्यक्ति, जो वर्तमान अभियुक्तों के साथ सह-अपराधी था और उन ट्रकों में से एक का स्वामी है जिनमें विनिषिद्ध पदार्थ ले जाया जा रहा था, को भी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 29 के अधीन आरोपित किया गया था । उसे विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है । राज्य ने उसकी दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की है । बशीर अहमद डार पुत्र मोहम्मद सुलतान डार, निवासी बिजबेहरा, जो एक अन्य ट्रक जिसका पंजीकरण सं. जेके 13-0399 है, का स्वामी है, को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका इसलिए उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के अधीन कार्यवाही की गई । हमें राज्य के विद्वान् काउंसेल द्वारा सूचित किया गया कि बशीर अहमद डार को आज की तारीख तक

गिरफ्तार नहीं किया जा सका है ।

3. यह बताया गया है कि वर्तमान दोनों अभियुक्त जुलाई, 2006 अर्थात् अभिकथित बरामदगी की तारीख से अभिरक्षा में हैं । प्रस्तुत अपील के लंबित रहने के दौरान उन्होंने अपने मूल दंडादेशों के निलंबन के लिए समावेदन किया था और उन्हें इस अनुतोष के लिए तारीख 28 अगस्त, 2011 के आदेश द्वारा इनकार कर दिया गया ।

4. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि तारीख 10 जुलाई, 2006 को लगभग 12.00 बजे पुलिस थाना, राजबाग (जिला कठुआ) के थाना अधिकारी, अशोक सिंह को एक विश्वसनीय स्रोत से इत्तिला प्राप्त हुई कि दो ट्रक, जिनका पंजीकरण संख्यांक एचआर 55-4547 (हरियाणा का पंजीकरण) और जेके 13-0399 (जम्मू-कश्मीर का पंजीकरण) है चरस लेकर श्रीनगर से आ रहे हैं और जिसकी आपूर्ति विभिन्न राज्यों में की जानी है । उसने (थाना अधिकारी) उक्त इत्तिला प्राप्त होने पर दूरभाष पर पुलिस उप अधीक्षक/एसडीपीओ को सूचित किया गया तथा उसके पश्चात् एक विशिष्ट स्थान पर संयुक्त नाका लगाया । इसी बीच पूर्वोक्त ट्रक उस स्थान के निकट पहुंचे जहां नाका लगाया गया था और उन्हें रुकने का संकेत किया गया । तथापि, ड्राइवरों ने अपने-अपने ट्रक नहीं रोके, परिणामस्वरूप थाना अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक और अन्य पुलिस पदधारियों द्वारा उनका पीछा किया गया और अन्तोगत्वा छान रोढ़ियान पर अंतररूद्ध कर लिए गए । उसके पश्चात् पुलिस उप अधीक्षक की मौजूदगी में दोनों ट्रकों की तलाशी ली गई । ट्रक संख्यांक एचआर 55-4547, जिसे अभियुक्त नज़ीर अहमद द्वारा चलाया जा रहा था, की ड्राइवर की सीट के पीछे से चरस के 10 पैकेट बरामद किए गए और प्रत्येक पैकेट का भार 2 कि. ग्रा. था तथा दूसरे ट्रक संख्यांक जेके 13-0399, जिसे अभियुक्त मंजूर अहमद द्वारा चलाया जा रहा था, से चरस के अन्य 10 पैकेट बरामद किए गए और प्रत्येक पैकेट का भार 2 कि. ग्रा. था । दोनों ट्रकों से बरामद उक्त विनिषिद्ध पदार्थ को भिन्न-भिन्न अभिग्रहण ज्ञापनों द्वारा कब्जे में लिया गया । उसके पश्चात् दो ट्रकों को उनके ड्राइवरों सहित पुलिस थाने लाया गया । पुलिस थाना, राजबाग में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/18/21/22 के अधीन तारीख 10 जुलाई, 2006 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 120/2006 दर्ज की गई ।

5. दोनों अभियुक्तों से परिप्रश्न करने के दौरान यह प्रकट किया गया कि उन्होंने दोनों ट्रकों की सामने वाली केबिन में चरस की कुछ और मात्रा

रखी हुई है, जिन्हें पुलिस द्वारा तोड़कर खोला गया और ट्रक सं. जेके 13-0399 से चरस के दो-दो कि. ग्रा. भार के 15 पैकेट तथा तीन-तीन कि. ग्रा. भार के दो अन्य पैकेट बरामद किए गए । यह कुल 36 कि. ग्रा. चरस थी जो उक्त ट्रक की केबिन से बरामद की गई थी । इसी प्रकार, जब ट्रक सं. एचआर 55-4547 की केबिन को भी तोड़कर खोलने के पश्चात् इसकी तलाशी ली गई तो चरस के दो-दो कि. ग्रा. भार के 10 पैकेट बरामद किए गए । इस प्रकार पूर्वोक्त ट्रकों से कुल मिलाकर 96 कि. ग्रा. चरस निम्नलिखित रीति में बरामद की गई :–

ट्रक सं. जेके 13-0399 = 20 कि. ग्रा. + 36 कि. ग्रा. = 56 कि. ग्रा.

ट्रक सं. एचआर 55-4547 = 20 कि. ग्रा. + 20 कि. ग्रा. = 40 कि. ग्रा.

कुल 96 कि. ग्रा.

6. प्रत्येक पैकेट में से नमूने लिए गए और रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए । पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं भी पूरी की गईं ।

7. अन्वेषण के दौरान पूर्वोक्त ट्रकों में से एक ट्रक के स्वामी को भी दुष्प्रेरण और अपने ट्रक में चरस परिवहन करने/ले जाने के लिए आपराधिक षड्यन्त्र का पक्षकार होने के लिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 29 के अधीन आरोप के लिए गिरफ्तार किया गया । तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूसरे ट्रक के स्वामी अभियुक्त बशीर अहमद डार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के अधीन कार्यवाही की गई ।

8. चूंकि अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल कयूम को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 29 के अधीन आरोप के लिए दोषमुक्त किया गया है और राज्य द्वारा उसकी दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है और तथ्य यह है कि वर्तमान दोनों अभियुक्तों को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8(ग) और 20(ग) के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्ध किया गया है, इसलिए हम अपना संपूर्ण ध्यान अभियोजन पक्ष द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8(ग), जिसमें यह अधिकथित किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भांडागारण, उपयोग, अंतरराज्य आयात, अंतरराज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या

स्थानांतरण नहीं करेगा जबकि धारा 20 केवल दंड की मात्रा के संबंध में है, के अधीन आरोप के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर केन्द्रित करेंगे ।

9. अभियोजन पक्ष दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप को साबित करने के लिए अभि. सा. नरेश कुमार, पंकज शर्मा, रविन्द्र सिंह, रिखी चंद, अमरजीत सिंह, सोम राज, जतिन्द्र सिंह, ध्रुव सिंह, रणबीर सिंह, राजेश्वर सिंह, पवन अबरोल, जुगल शर्मा, मास्टर पोप्सी, गुलाम मोहम्मद भट और नरिन्दर कुमार को साक्षी-कठघरे में लाया ।

10. हमारे समक्ष स्वीकृत स्थिति यह है कि थाना अधिकारी, अशोक सिंह, जो इस मामले का अन्वेषक अधिकारी है, साक्षी-कठघरे में नहीं आया । एक अन्य स्वीकृत स्थिति यह है कि तीन स्वतंत्र साक्षी अर्थात् सोम राज, गुलाम मोहम्मद भट और नरिन्दर कुमार ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । संक्षेप में, अभियोजन का पक्षकथन केवल पुलिस पदधारियों के कथन पर निर्भर करता है । अतः इस मामले में की गई बरामदगी और किए गए अन्वेषण के संदर्भ में उनके साक्ष्य पर कितना विश्वास किया जाए, हमारे विचार के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होगा ।

11. विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह दृष्टव्य है कि अभियोजन पक्षकथन में प्रतीत अपराध में आलिप्त करने वाले साक्ष्य को वर्तमान दोनों अभियुक्तों के समक्ष रखने के पश्चात् जब उनकी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन परीक्षा की गई तो उन्होंने केवल अपनी निर्दोषिता का ही अभिवाक् किया । तथापि, अवसर देने के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ।

12. हमने दोनों अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री गड्डा और विद्वान् सरकारी अधिवक्ता श्री हक़ को विस्तारपूर्वक सुना । अपील विचारण की ही निरंतरता होने के कारण हमारे द्वारा विचारण न्यायालय के अभिलेख का भी बारीकी से अवलोकन किया गया ।

13. अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री गड्डा द्वारा दी गई सर्वप्रथम दलील यह है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 और 42(1) तथा (2) के आज्ञापक उपबंधों का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि तलाशी लेने से पूर्व अभियुक्तों को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लिए जाने के उन्हें उपलब्ध उनके अधिकार के बारे में नहीं बताया गया था । श्री गड्डा के अनुसार, इन उपबंधों के अननुपालन से संपूर्ण कार्यवाहियां दूषित हो

जाती हैं ।

14. श्री गड्डा ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और (2) के अननुपालन से संबंधित मुद्दे को उठाते हुए यह दलील दी कि अभियोजन का पक्षकथन यह है कि पुलिस थाना, राजबाग के भारसाधक थाना अधिकारी, अशोक सिंह को एक गुप्त इत्तिला प्राप्त हुई कि उपरोक्त दो ट्रक स्वापक पदार्थ लेकर एक विशिष्ट दिशा से आ रहे हैं, इसलिए थाना अधिकारी के लिए यह बाध्यकर था कि पूर्वोक्त ट्रकों की तलाशी लेने से पूर्व उक्त इत्तिला को अपने ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी को सूचित करने के लिए लेखबद्ध करता, जबकि वर्तमान मामले में उसने न केवल स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) के उपबंधों की उपेक्षा की, अपितु धारा 42(2) के उपबंधों की भी उपेक्षा की, जो कि आज्ञापक प्रकृति के उपबंध हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि इस मामले में वास्तव में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 का पूर्ण अननुपालन किया गया है और इस मौलिक त्रुटि के साथ-साथ स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक उपबंधों के अननुपालन से अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन ध्वस्त हो जाता है जो कि अभिलेख से प्रकट होने वाली स्पष्ट अवैधता है और जो असुधार्य है ।

15. विद्वान् काउंसेल ने आगे यह दलील दी कि अन्यथा भी अभियुक्तों में से किसी भी अभियुक्त के सबोध कब्जे से विनिषिद्ध पदार्थ (चरस) की बरामदगी पूर्णतः साबित नहीं हुई है जो कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि कायम करने के लिए अनिवार्य है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि दोनों अभियुक्त, जिनकी दोषसिद्धि हुई है, वास्तव में पूर्वोक्त दोनों ट्रकों के ड्राइवर हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बात उनकी जानकारी में थी कि उनके ट्रकों में चरस ले जाई जा रही है और ट्रकों के स्वामी दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं और उनमें से एक को, जो भी कारण रहा हो, गिरफ्तार नहीं किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के अधीन कार्यवाही की गई है तथा दूसरे को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 29 के अधीन आरोप से साबित नहीं होने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया है । श्री गड्डा के अनुसार, वर्तमान दोनों अभियुक्तों को विनिषिद्ध पदार्थ के सबोध कब्जे से दूर-दूर तक भी संबद्ध नहीं किया जा सकता है जिससे कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पहले

ही यथा अभिनिर्धारित उनकी दोषसिद्धि को बनाया रखा जा सके ।

16. श्री गड्डा ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया है :–

(i) **पंजाब राज्य** बनाम **बलबीर सिंह**[1];

(ii) **के. वेंकेटेशम और एक अन्य** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**[2];

(iii) **कोलुट्टुमोट्टिल रज़ाक** बनाम **केरल राज्य**[3] ;

(iv) **दिलीप और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[4] ।

17. श्री गड्डा ने आगे यह दलील दी कि पूर्वोक्त खामियों के कारण वर्तमान दोनों अभियुक्तों को अभिकथित अपराध कारित करने से संबद्ध करने के लिए अभियोजन का पक्षकथन बुरी तरह से लड़खड़ा रहा है और अभियोजन पक्ष ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों का भी पालन नहीं किया, जिसमें विनिर्दिष्ट तौर पर यह उपबंधित है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक वे गिरफ्तारी, तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित हैं, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम पर लागू होंगे । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध राज्य की संहिता के उपबंधों के समतुल्य हैं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100(4) के निबंधनों के अनुसार पुलिस अधिकारी के लिए तलाशी लेने से पूर्व यह बाध्यकर है कि स्थानीय क्षेत्र के दो या अधिक स्वतंत्र साक्षियों और सम्मानीय निवासियों को बुलाया जाए, जबकि वर्तमान मामले में उक्त कवायद नहीं की गई है और इस कारण भी इस मामले में ली गई तलाशी को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । श्री गड्डा ने अपने तर्कों पर अडिग रहते हुए यह दलील दी कि प्रस्तुत मामले में सिविलियन साक्षी, जिनका अभियोजन पक्ष अवलंब लेना चाहता था, अन्यथा पक्षद्रोही हो गए और अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, सिविलियन साक्षियों का अपने पूर्ववर्ती कथनों से मुकर जाना इस मामले में ली गई तलाशी के संबध में

---

[1] 1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3702.

[2] 2000 क्रिमिनल ला जर्नल 3156.

[3] (2004) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 465.

[4] (2007) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 450.

अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद बनाता है ।

18. श्री गड्डा ने साथ ही यह दलील दी कि अभियोजन का पक्षकथन एक अन्य इस बड़ी खामी से ग्रस्त है कि थाना अधिकारी अशोक सिंह, जो वर्तमान मामले में मुख्य अन्वेषक अधिकारी था, साक्षी कठघरे में नहीं आया, जिससे अभियुक्तों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि वे तलाशी के मुख्य साक्षियों की बहुत-से मुख्य पहलुओं पर प्रतिपरीक्षा करने से वंचित हुए हैं और अभियोजन पक्षकथन में प्रकट हुई यह खामी एक हानिप्रद बात है । विद्वान् काउंसेल ने आगे यह दलील दी कि अभियोजन साक्षियों, जो कि अन्यथा केवल पुलिस पदधारी ही हैं, का साक्ष्य बहुत-से महत्वपूर्ण पहलुओं पर कई सारे तात्विक विरोधाभासों से ग्रसित हैं क्योंकि बरामदगी के साक्षी तलाशी के स्थान, रीति जिसमें दोनों स्थानों पर तलाशी ली गई या पुलिस उप अधीक्षक/एसडीपीओ सहित अन्य शासकीय साक्षियों की मौजूदगी तक के बारे में स्पष्ट नहीं है और घटनास्थल पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा चरस तोले जाने की बाबत विसंगति भी संदेह से मुक्त नहीं है और इन सभी विरोधाभासों का बारीकी से अवलोकन करने पर या इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियोजन का पक्षकथन केवल पुलिस पदधारियों के साक्ष्य पर निर्भर है, सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के दोष को पूरी तरह से साबित करने में सफल नहीं हुआ है ।

19. इस प्रकार, श्री गड्डा ने दोनों अभियुक्तों को उन आरोपों से दोषमुक्त करने की प्रार्थना की है जिनके लिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है ।

20. इसके विपरीत, विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी कि इस मामले में पूर्वोक्त दो ट्रकों, जो वर्तमान अभियुक्तों द्वारा चलाए जा रहे थे, की तलाशी लेने पर विनिषिद्ध पदार्थ की भारी मात्रा में बरामदगी हुई थी और उन्हें घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया गया था, इसलिए अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए किसी भी अभिवाक् से अभियुक्तों को फायदा नहीं मिलता है । विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने आगे यह दलील दी कि तलाशी, व्यक्तिगत तलाशी नहीं होने के कारण स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के उपबंध अन्यथा इस मामले में लागू नहीं होते हैं और प्रस्तुत परिस्थितियों में यहां तक कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और (2) का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित नहीं था ।

21. श्री हक़ ने यह भी दलील दी कि वर्तमान मामले में दोनों अभियुक्तों से अभिकथित रूप से बरामद विनिषिद्ध पदार्थ के सबोध कब्जे की बात पूर्णतः स्पष्ट है और यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके ट्रकों में क्या ले जाया जा रहा है । जहां तक विसंगतियों का संबंध है, श्री हक़ ने यह दलील दी कि निस्संदेह शासकीय साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभास/विसंगतियां आई हैं, किंतु वे इतनी गंभीर प्रकृति की नहीं हैं जिससे कि अभियुक्तों को संदेह का फायदा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए समग्र अभियोजन पक्षकथन को अविश्वसनीय माना जा सके । इस प्रकार, श्री हक़ ने इस अपील को खारिज करने और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों की पहले ही की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखने की प्रार्थना की ।

22. दोनों पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध यथा विरचित आरोप को पूरी तरह से साबित करने में सफल रहा है । अब हम अभियुक्तों की ओर से कांउसेल श्री गड्डा द्वारा अपने पक्षकथन के समर्थन में किए गए सभी अभिवाकों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे ।

23. जहां तक धारा 50 के उपबंधों का संबंध है, निस्संदेह, ये उपबंध आज्ञापक प्रकृति के हैं और जहां अपेक्षित हो, भाषा और भाव की दृष्टि से उनका कड़ाईपूर्वक पालन किया जाना चाहिए । किंतु इस मामले में तथ्यात्मक स्थिति पूर्णतः भिन्न है क्योंकि जो तलाशी ली गई, वह यान (यानों) की है न कि किसी व्यक्ति की । इसलिए धारा 50 के उपबंध इस मामले में लागू नहीं होते हैं । पुनरावृत्ति करते हुए, हम यहां यह उल्लेख कर सकते हैं कि यथा प्रकटित अभियोजन का पक्षकथन यह है कि विनिषिद्ध पदार्थ लाते हुए पूर्वोक्त यानों के बारे में विश्वसनीय स्रोतों से इत्तिला प्राप्त होने पर एक विशिष्ट स्थान पर एक नाका लगाया गया, जहां चरस लिए हुए दो ट्रकों की तलाशी ली गई और दूसरी बार पुनः तलाशी लेने पर ट्रकों की केबिनों में रखी चरस की कुछ और मात्रा बरामद की गई । इसे किसी व्यक्ति की तलाशी लेना नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इस मामले में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन कतई लागू नहीं होता है । इस प्रकार, इस पहलू पर श्री गड्डा की दलील एकदम नामंजूर की जानी चाहिए और हम इसे नामंजूर करते हैं ।

24. निस्संदेह, श्री गड्डा ने अभियोजन के पक्षकथन को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और (2) के अननुपालन के आधार पर भी निरस्त करने का प्रयत्न किया है और इस पहलू पर अपनी दलील को बल देने के लिए इसमें ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों का अवलंब लिया है, किंतु उक्त निर्णयों का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि वर्तमान मामला अपने तथ्यों के आधार पर प्रभेदनीय होने के कारण श्री गड्डा उन निर्णयों के विनिश्चयाधार से कोई फायदा प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि जैसी कि पहले ही चर्चा की गई है, यह मामला किसी व्यक्ति की तलाशी का मामला न होने के कारण स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के उपबंध इस मामले में लागू नहीं होते हैं ।

25. जहां तक स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) का संबंध है, इसमें यह अधिकथित है कि सशक्त अधिकारी के पास यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई पूर्विक इत्तिला है, तो उसे ऐसी इत्तिला को लेखबद्ध करना चाहिए और जहां उसकी व्यक्तिगत जानकारी से यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय-4 के अधीन दंडनीय अपराध किए गए हैं या ऐसी सामग्री, जो ऐसे अपराध का साक्ष्य हो सकती है, किसी भवन आदि में छिपाई गई है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच वारंट के बिना गिरफ्तारी या तलाशी कर सकेगा और वह ऐसा अपने विश्वास के कारणों को लेखबद्ध किए बिना कर सकेगा । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) का परंतुक यह भी अधिकथित करता है कि यदि सशक्त अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा । इसके अतिरिक्त, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) यह अधिकथित करती है कि सशक्त अधिकारी, जो इत्तिला को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उस उपधारा के परंतुक के अधीन अभिलिखित करता है, उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय

वरिष्ठ को तत्काल भेजेगा ।

26. स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 43 को भी निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा, जो किसी लोक स्थान में स्वापक ओषधि के अभिग्रहण करने के संबंध में है तथा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 और 43 के उपबंधों के बीच फर्क यह है कि धारा 42 तलाशी और अभिग्रहण करने से पूर्व अपराध के कारित होने की बाबत लिखित में प्राप्त इत्तिला को लिखने के लिए विश्वास करने के कारणों को लेखबद्ध करने की अपेक्षा करती है, जबकि धारा 43 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, इसलिए सशक्त अधिकारी को इस धारा के निबंधनों के अनुसार वस्तुओं आदि का अभिग्रहण करने और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है जिसके कब्जे में किसी ऐसे लोक स्थान में कोई स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ पाया जाता है, जहां सशक्त अधिकारी को ऐसा कब्जा विधिविरुद्ध होना प्रतीत होता है ।

27. इन सभी पहलुओं पर पूर्व में परस्पर विरोधी निर्वचन और विनिश्चय किए गए हैं, किंतु यह प्रश्न अब अनिर्णीत विषय नहीं है और **करनैल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा पूरी तरह से निवारण कर दिया गया है, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने सभी विवादों और विरोधी रायों का निराकरण करते हुए अन्ततोगत्वा पैरा 35 में यह अभिनिर्धारित किया :–

> "निष्कर्षतः, उल्लेखनीय बात यह है कि अब्दुल रशीद ने धारा 42(1) और 42(2) की अपेक्षाओं की शब्दशः अनुपालन करने की अपेक्षा नहीं की और न ही साजन अब्राहम ने यह अधिनिर्धारित किया कि धारा 42(1) और 42(2) की अपेक्षाओं को पूरा करने की कतई आवश्यकता नहीं है । दोनों विनिश्चयों का प्रभाव इस प्रकार है –
>
> (क) अधिकारी किसी व्यक्ति से इत्तिला (धारा 42 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की) प्राप्त होने पर इसे संबंधित रजिस्टर में लिखित में लेखबद्ध करेगा और धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को तुरंत एक प्रति भेजेगा ।
>
> (ख) किंतु, यदि इत्तिला या तो मोबाइल फोन या अन्य साधन

[1] (2009) 5 आर. सी. आर. (क्रि.) 515 एस. सी. = (2009) 8 एस. सी. सी. 539.

से तब प्राप्त होती है जब अधिकारी पुलिस थाने में नहीं हो, अपितु उस समय वह या तो गश्त पर या अन्य कार्य से गया हो और इत्तिला के आधार पर तुरंत कार्यवाही की जानी आवश्यक है तथा किसी प्रकार के विलंब से वस्तुएं या साक्ष्य हटाया या नष्ट किया जा सकता हो, तब उसे दी गई इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध करना साध्य या व्यवहार्य नहीं होगा और ऐसी स्थिति में वह धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के अनुसार कार्रवाई कर सकता है और उसके पश्चात् यथा-साध्य शीघ्र इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध करेगा और इसके बारे में तुरंत पदीय वरिष्ठ को सूचित करेगा ।

(ग) दूसरे शब्दों में, अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई इत्तिला को लिखने और उसकी एक प्रति पदीय वरिष्ठ को भेजने की बाबत धारा 42(1) और 42(2) की अपेक्षाओं का अनुपालन सामान्यतः प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करने से पूर्व होना चाहिए, किंतु आपत्तिक स्थिति अंतर्वलित होने पर विशेष परिस्थितियों में इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध करने और उसकी प्रति पदीय वरिष्ठ को भेजा जाना एक युक्तियुक्त अवधि अर्थात् तलाशी, प्रवेश और अभिग्रहण के पश्चात् तक मुल्तवी किया जा सकता है । प्रश्न अत्यावश्यकता और समीचीनता से संबंधित है ।

(घ) जबकि धारा 42 की उपधारा (1) और (2) की अपेक्षाओं का पूर्णतः अननुपालन अननुज्ञेय है, किंतु विलंब के बारे में समाधानप्रद स्पष्टीकरण के साथ विलंबित अनुपालन धारा 42 का स्वीकार्य अनुपालन होगा । उदाहरण के लिए, कोई विलंब करने के कारण यदि अभियुक्त बचकर निकल सकता है अथवा वस्तुओं या साक्ष्य को नष्ट या हटाया जा सकता है, तो कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व प्राप्त हुई इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध न करना या ऐसी इत्तिला की प्रति तुरंत पदीय वरिष्ठ को न भेजा जाना धारा 42 का अतिक्रमण नहीं समझा जा सकेगा । किंतु, यदि इत्तिला तब प्राप्त हुई हो जब पुलिस अधिकारी पुलिस थाने में था और कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त समय था और यदि पुलिस अधिकारी प्राप्त हुई इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध करने में असफल रहता है, या उसकी प्रति पदीय वरिष्ठ को भेजने में असफल रहा है, तब धारा 42 का स्पष्ट अतिक्रमण होने के कारण यह एक संदेहास्पद परिस्थिति होगी । इसी प्रकार, जहां पुलिस अधिकारी कतई इत्तिला को लेखबद्ध नहीं करता

है और पदीय वरिष्ठ को कतई सूचित नहीं करता है, तब भी यह अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट अतिक्रमण होगा । इसी प्रकार, जहां पुलिस अधिकारी ई इत्तिला को लेखबद्ध ही नहीं करता है और पदीय वरिष्ठ को सूचित ही नहीं करता है, तब भी यह अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट अतिक्रमण होगा । धारा 42 का पर्याप्त या सारभूत अनुपालन हुआ है या नहीं, प्रत्येक मामले में विनिश्चित किया जाने वाला एक तथ्य का प्रश्न है । उपरोक्त स्थिति 2001 के अधिनियम सं. 9 द्वारा धारा 42 में किए गए संशोधन से मजबूत हो जाती है ।'

28. यदि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखा जाए, तो थाना अधिकारी अशोक सिंह ने इस आशय की विश्वसनीय इत्तिला कि पूर्वोक्त दो ट्रक चरस लेकर श्रीनगर की ओर से आ रहे हैं, प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् अपने ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक/एसडीपीओ, जुगल शर्मा को सूचित किया और वह भी उसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिला और उसके पश्चात् शॉप नाला पर संयुक्त नाका लगाया । इस मामले में उक्त थाना अधिकारी कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि कुछ मिनटों का विलंब दोनों अभियुक्तों के बच निकलने का कारण बन सकता था और इस घटनाक्रम में पुलिस विनिषिद्ध पदार्थ चरस की 96 कि. ग्रा. की इतनी बड़ी मात्रा की बरामदगी नहीं कर पाती । वास्तविकता यह है कि एक स्थान से, जहां नाका लगाया गया था, दोनों ट्रकों के ड्राइवर की सीटों से बरामदगी करने के तुरंत पश्चात् दोनों ट्रकों को दोनों अभियुक्तों सहित पुलिस थाने लाया गया और उसके पश्चात् थाना अधिकारी अशोक सिंह ने कोई समय गंवाए पुलिस थाना, राजबाग (कथुआ) में तारीख 10 जुलाई, 2006 को ही 1.00 बजे अपराह्न में मामला दर्ज किया । उसे प्राप्त हुई इत्तिला मौखिक थी और रोजनामचा संदर्भ (डीडीआर) में प्रविष्टि सं. 9 के सामने अभिलिखित की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् इसकी प्रति तुरंत सभी संबंधित को प्रेषित की गई थी और एक प्रति इलाका मजिस्ट्रेट के पास भी पहुंची थी । द्वितीय चरण की तलाशी संबंधित पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् तब की गई थी जब दोनों अभियुक्तों से परिप्रश्न किए गए थे और उनसे किए गए परिप्रश्नों से यह प्रकट हुआ था कि उन्होंने अपने-अपने ट्रकों की सामने की केबिन में चरस की कुछ और मात्रा छिपाई हुई है । इसलिए वर्तमान मामले पर इसके अपने तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् और **करनैल सिंह** (उपरोक्त) वाले में मामले में दिए गए विनिश्चयाधार का अनुसरण करने पर श्री गड्डा

द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) के अननुपालन की बाबत दी गई दलील से उसे कतई कोई सहायता उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए यह दलील नामंजूर की जाती है ।

29. श्री गड्डा द्वारा दोनों अभियुक्तों के सबोध कब्जे से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के संबंध में बहुत सारी दलीलें दी गई हैं, किंतु इस पहलू पर भी हम उनसे सहमत नहीं हैं । दो भिन्न ट्रक बहुत बड़ी मात्रा में चरस ले जा रहे थे । जहां चरस छिपाई गई थी, वह ट्रकों के ड्राइवर की सीट के पीछे का स्थान और केबिन हैं । यह कोई छोटी मात्रा नहीं है जो किसी ड्राइवर की जानकारी में आने से बच सके । अन्यथा भी, ट्रक का सामने वाला केबिन सदैव ड्राइवर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है । दोनों अभियुक्तों द्वारा चरस सामने वाली केबिन में छिपाए जाने के तथ्य को उजागर करने के पश्चात् पुलिस को दोनों केबिनों की तलाशी लेने के लिए इन्हें तोड़कर खोलना पड़ा था । इस प्रकार, दोनों अभियुक्तों के पास विनिषिद्ध पदार्थ के कब्जे की बात पूरी तरह से सिद्ध होती है क्योंकि दोनों ट्रकों में जो कुछ ले जाया जा रहा था, वह उनकी विशेष जानकारी में था ।

30. स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 35 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा को अधिकथित करती है । धारा 35 के साथ दिए गए स्पष्टीकरण में "आपराधिक मानसिक दशा" के अंतर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या उस पर विश्वास करने का कारण है । निस्संदेह, इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य केवल तभी साबित किया गया कहा जा सकता है, जब न्यायालय युक्तियुक्त संदेह के परे यह विश्वास करे कि वह तथ्य विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसम्भाव्यता की प्रबलता के कारण सिद्ध होती है । किंतु प्रस्तुत मामले में, इसके अपने तथ्यों के आधार पर आश्वस्त रूप से किसी संदेह के परे दोनों अभियुक्तों की आपराधिक मानसिक दशा होने के बारे में कहा जा सकता है, जिसका खंडन करके अभियुक्त अपने भार का निर्वहन नहीं कर सके हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन परीक्षा करने के समय आरोप से केवल इनकार करना भार का निर्वहन किया जाना नहीं कहा जा सकता है । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 54, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अवैध वस्तुओं के कब्जे की उपधारणा अधिकथित है, के निबंधनों के अनुसार भी ऐसी ही स्थिति है । इस प्रकार हमारे सुविचारित मत में, दोनों अभियुक्तों के पास विनिषिद्ध पदार्थ का सबोध

कब्जा पूर्णतः साबित होता है ।

31. अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अभियोजन पक्षकथन में प्रकटित कतिपय अन्य खामियों से फायदा प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया, क्योंकि बरामदगी के स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और वर्तमान मामले के अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा भी नहीं कराई गई तथा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए शासकीय साक्षियों के कथनों में कतिपय विसंगतियां/विरोधाभास प्रकट हुए हैं । किंतु, हमारे सुविचारित मत में, इन खामियों को ऐसी प्रकृति की गंभीर खामियां नहीं कहा जा सकता है जिससे कि अभियोजन का पक्षकथन समग्र रूप में अस्थिर हो सके ।

32. हम इस बात से भलीभांति अभिज्ञ हैं कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन कठोर दंड का उपबंध किया गया है, इसलिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के निबंधनों में उपबंधित सभी प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का अचूक पालन किया जाना चाहिए और इनके अतिक्रमण से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विश्वसनीयता पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, किंतु इन सब बातों का मूल्यांकन प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए । हमारे मत में, अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा जो कुछ बताया गया है, उससे अभियोजन के पक्षकथन को कोई नुकसान नहीं होगा । केवल यह बात कि अभियोजन पक्ष द्वारा तलाशी लेने के समय जोड़े गए स्वतंत्र साक्षियों ने उसके पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, पुलिस द्वारा की गई संपूर्ण तलाशी को अस्वीकार करने का आधार नहीं होगा । अधिक से अधिक, यह बात शासकीय साक्षियों के कथनों की जांच करने में न्यायालय को सतर्क करती है ।

33. हम इस बात से भलीभांति अभिज्ञ हैं कि विभिन्न पुलिस पदधारियों के प्रकथनों में, जब उन्होंने उस रीति जिसमें तलाशी ली गई थी या यहां तक कि एक विशिष्ट स्थान पर नाका लगाने के बारे में किए गए कथनों में कतिपय विसंगतियां पाई गई हैं, किंतु समय बीत जाने के साथ-साथ ऐसी विसंगतियां आना लाजिमी हैं । सच्चे से सच्चे साक्षियों की स्मृति से कतिपय तथ्य विलुप्त हो जाना लाजिमी हैं । अन्यथा भी, ऐसा कोई एक रूप पैटर्न नहीं हो सकता जिसमें अभियोजन साक्षियों से, चाहे स्वतंत्र या शासकीय साक्षी हों, न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने की प्रत्याशा की जाए । इसलिए यहां-वहां के कतिपय विरोधाभासों से अभियोजन पक्षकथन का

मौलिक सार नष्ट नहीं हो जाएगा ।

34. प्रस्तुत मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, यह है कि चरस की इतनी बड़ी मात्रा को किसी व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता है । इस प्रकार, वर्तमान मामले को कम-से-कम मिथ्या फंसाए जाने का मामला नहीं कहा जा सकता है । विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखकर करते हुए श्री गड्डा द्वारा बताई गई सभी विसंगतियां या विरोधाभास, जो अन्यथा इतने महत्वपूर्ण प्रकृति के नहीं हैं, महत्वहीन हो जाते हैं ।

35. किसी विशिष्ट मामले में विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा न कराया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक होना कहा जा सकता है, किंतु प्रस्तुत मामले में शायद इस पहलू को भी घातक नहीं कहा जा सकता है । इतना ही नहीं, जब अभि. सा. 1 पुलिस उप अधीक्षक/एसडीपीओ, जुगल शर्मा साक्षी कटघरे में आए और यह कथन किया कि उसे थाना अधिकारी, पुलिस थाना, राजबाग द्वारा चरस लिए हुए पूर्वोक्त ट्रकों की गतिविधि के बारे में सूचित किया गया था और उसके पश्चात् उन्होंने संयुक्त रूप से नाका लगाया था । वह भी पुलिस थाना, राजबाग गया था, जहां दोनों अभियुक्तों और ट्रकों को लाया गया था और वहां उसकी मौजूदगी में ट्रकों की केबिन को भी खोला गया था तथा और अधिक चरस की बरामदगी हुई थी । उसने आगे यह कथन किया कि अभियुक्तों से पूछताछ करने के दौरान उन्होंने यह बताया था कि ट्रकों के स्वामी बशीर अहमद डार और मोहम्मद कयूम हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दोनों अभियुक्तों में से केवल मोहम्मद कयूम को ही गिरफ्तार किया जा सका, जबकि बशीर अहमद डार को आज की तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है । इस साक्षी की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा, यहां तक कि अपने कार्यालय में रोजनामचा बनाए रखने की बात पर भी, की गई थी किंतु हम उसके साक्ष्य में ऐसी कोई खामी नहीं पाते हैं जिससे दोनों स्थानों, पहले नाके पर और दूसरी बार पुलिस थाने में, की गई बरामदगी की बात का खंडन होता हो । निस्संदेह, इस साक्षी के साक्ष्य में घटनास्थल पर नमूने लेने के लिए चरस तोलने के प्रयोजन के लिए लाई गई वस्तु और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने की बाबत कुछ विसंगतियां प्रकट हुई हैं, किंतु ये विसंगतियां भी अतात्विक होने के कारण मायने नहीं रखती हैं ।

36. इसलिए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इस मामले में अन्वेषक अधिकारी (अभियोजन साक्षी थाना अधिकारी अशोक सिंह) की परीक्षा नहीं कराने से अभियुक्तों पर ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जिससे कि उन्हें कोई फायदा दिया जा सके और अभियोजन के पक्षकथन को संदेह की दृष्टि से देखा जा सके ।

37. जैसा कि हमारे द्वारा अपने निर्णय के बिल्कुल आरंभ में ही कहा गया है कि हम अपना ध्यान केवल उन दो अभियुक्तों पर केन्द्रित कर रहे हैं, जिन्हें दोषसिद्ध किया गया है न कि अभियुक्त मोहम्मद कयूम पर, जिसे दोषमुक्त कर दिया गया है और राज्य द्वारा उक्त दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है । इसलिए हम उक्त कवायद पूर्ण करने के पश्चात् इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष दोनों अभियुक्तों के संबंध में, उनके अपने-अपने ट्रकों से जो उनके द्वारा चलाए जा रहे थे, पुलिस द्वारा अवरुद्ध किए जाने पर उनके सबोध कब्जे में 96 कि. ग्रा. चरस को साबित करने में सफल रहा है । इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8(ग) के अधीन यथा अभिलिखित उनकी दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है ।

38. ऐसी स्थिति में, श्री गड्डा ने दंडादेश की मात्रा में कटौती करने की प्रार्थना करते हुए हमारा ध्यान स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 32(ख) की ओर दिलाया, जिसमें न्यूनतम अवधि के कारावास या जुर्माने की रकम के बजाय उच्चतर दंडादेश अधिरोपित करने के लिए कतिपय पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ग) में यथा उपबंधित न्यूनतम कारावास 10 वर्ष और एक लाख रुपए का जुर्माना है, जिसे दो लाख रुपए के जुर्माने के साथ बीस वर्ष के कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, वर्तमान मामला न्यूनतम अवधि के कारावास की बजाय उच्चतर दंड अधिरोपित करने के लिए प्रगणित छह बातों में से किसी बात के अंतर्गत नहीं आता है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभियुक्त पूर्वोक्त ट्रकों के ड्राइवर हैं, इसलिए उन्हें विनिषिद्ध पदार्थ के क्रेता या असली स्वामी नहीं कहा जा सकता है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि दोनों अभियुक्त 19 और 36 वर्ष आयु के हैं और अपने-अपने परिवार के एकमात्र रोजी-रोटी कमाने वाले हैं । इसलिए उनके मामले में थोड़ी रियायत/सहानुभूतिपूर्ण

दृष्टिकोण अपनाया जाए ।

39. हम इस पहलू पर भी श्री गड्डा द्वारा दी गई दलीलों से सहमत नहीं हैं । निस्संदेह, दंडादेश की मात्रा के बिन्दु पर अभियुक्त के मामले पर विचार करते हुए अभियुक्त की आयु और कतिपय अन्य बातें कुछ महत्व रखती हैं, किंतु इन बातों पर प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए । विद्वान् विचारण न्यायालय ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया है और विद्वान् विचारण न्यायालय के तारीख 28 मई, 2011 के आदेश के पैरा 8, 9 और 10 को निर्दिष्ट करना उचित होगा । ये पैरा निम्नलिखित हैं :–

> "8. स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग, अपराध और हिंसा के बीच संबंध के लिए कई बातें योगदायी समझी जाती हैं, जैसे अंतर्वलित स्वापक पदार्थ का प्रकार, इसकी मात्रा जो दुरुपयोग की जाती है, स्वापक पदार्थ का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति तथा वातावरण जिसमें स्वापक पदार्थ लिया जाता है । कड़क चरस के दुरुपयोग का उद्गमन समस्त संसार के बहुत-से शहरों में अपराध और हिंसा में बढ़ोतरी से संबद्ध है । कुछ अन्य स्वापक पदार्थों का भी दुरुपयोग समान रूप से अपराध और हिंसा से संबद्ध रहा है । कुछ मामलों में हिंसा स्वापक पदार्थ के दुरुपयोगकर्ता द्वारा स्वापक पदार्थ क्रय करने के लिए आय सृजित करने हेतु कारित की जाती है और प्रायः स्वापक पदार्थों के अवैध दुर्व्यापार से भी संबद्ध रहता है । बोर्ड द्वारा किए गए पुनर्विलोकन से यह दर्शित होता है कि गंभीर और हिंसक अपराधियों के अपेक्षाकृत छोटे-छोटे समूह, जो स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग करने वाले हैं, अपचारियों द्वारा किए गए सभी गंभीर अपराधों की अननुपातिक रकम का लेन-देन करते हैं । पुनर्विलोकन से यह भी दर्शित होता है कि बड़ी संख्या में नवयुवक, जो स्वापक पदार्थों और हिंसक व्यवहार में अंतर्ग्रस्त हैं, वयस्कता प्राप्त करने पर प्रायः इस हिंसा और स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग से बाहर निकल जाते हैं । स्वापक पदार्थों के दुर्व्यापार से मुहैया धन कमाने के अवसरों से स्वापक पदार्थों के धंधे में लिप्त गुटों के बीच प्रतिद्वन्द्विता पैदा हो सकती है क्योंकि अवैध बाजार में उनके बीच और अधिक बड़े हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहती है । ऐसी प्रतिद्वन्द्विताओं से अक्सर हिंसा फैलती है जो स्थानीय समुदाय के लिए अहितकर है । हिंसा, अपराध और स्वापक पदार्थों का कतिपय व्यष्टियों और समाज के वर्गों पर

विषम प्रभाव पड़ता है और दुष्क्रियात्मक समुदायों में जहां अपराध असंयत है, स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों के स्वच्छंद विचारण को कम करता है तथा अपराध का व्यापक भय बना रहता है । स्त्री और बच्चे, जो स्वापक पदार्थों का दुरुपयोग करते हैं, उनके हिंसा के शिकार बनने का जोखिम बढ़ जाता है । मांग में कमी के प्रयोजनार्थ अपहानि में कमी तृतीय निवारण युक्ति के रूप में होनी चाहिए । यह मत अभी भी सत्य बना हुआ है । तथापि, स्वापक पदार्थों के अवैध प्रयोग से संबंधित अपहानि को कम करने के लिए अपनाए गए उपायों को सदैव अवैध स्वापक पदार्थों की मांग में कमी करने के उद्देश्य के साथ एक व्यापक युक्ति के संदर्भ में प्रवर्तित किया जाना चाहिए । इसलिए ऐसे उपाय मांग में कमी कार्यक्रमों का स्थान नहीं ले सकते या उनके खर्च पर नहीं चलाए जा सकते हैं । अत्यावश्यक रूप से, अपहानि में कमी कदापि स्वतः ही एक अंतिम उपाय नहीं हो सकता है और न ही यह स्वापक पदार्थों में कमी करने की राष्ट्रीय नीति का संपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए । जबकि, सैद्धांतिक रूप में स्वापक पदार्थों पर निर्भर व्यक्तियों में अपहानि में कमी करने के उपायों को अन्तरराष्ट्रीय स्वापक पदार्थ नियंत्रण संधियों के विरोधाभास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ तथाकथित "अपहानि में कमी" के मत माफी देते हुए या यहां तक कि स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग को उन्नयन करते हुए दिखाई नहीं पड़ने चाहिएं, अपितु स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग में कमी के भागीदार बनते हुए दिखाई पड़ने चाहिएं । वर्ष 2003 दुनियाभर में स्वापक पदार्थों की समस्या का एक साथ प्रतिकार करने के लिए समर्पित आम सभा के बीसवें विशेष सत्र की पांचवीं वर्षगांठ का वर्ष रहा । अप्रैल, 2003 में मंत्रियों और सरकार के प्रतिनिधियों ने स्वापक पदार्थ आयोग के 46वें सत्र के मंत्रीय वर्ग में भाग लेते हुए सभा के वर्ष 1998 में हुए सत्र के आयोजन से लेकर प्राप्त हुई प्रगति का पुनर्विलोकन किया । उन्होंने अपने संयुक्त मंत्रीय कथन में स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग और स्वापक पदार्थों के अवैध उत्पादन और दुर्व्यापार से मुकाबला करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की । उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय स्वापक पदार्थ नियंत्रण संधियों को पूर्णतः कार्यान्वित करने और अन्तरराष्ट्रीय स्वापक पदार्थ नियंत्रण शासन की सत्यनिष्ठा को रक्षित करने के महत्व को दोहराया । बोर्ड ने आम सभा द्वारा अपने बीसवें विशेष सत्र में अपनाई गई कार्यवाही-योजनाओं को

कार्यान्वित करने के लिए सरकारों का आह्वान किया । सरकारों को स्वापक पदार्थों की नीतियों के प्रभाव का प्रभावी निर्धारण करने के लिए वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए तथा स्वापक पदार्थों की संधार्य आपूर्ति और मांग में कमी, अल्प और दीर्घ अवधि दोनों प्रकार के उद्देश्यों के साथ, कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना चाहिए ।

9. दुनिया के हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार, दुनियाभर में लगभग 190 मिलियन लोग किसी-न-किसी स्वापक पदार्थ का उपभोग कर रहे हैं जिससे अत्यधिक मानवीय परेशानी कारित होती है और स्वापक पदार्थों के अवैध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है । दुनियाभर में स्वापक पदार्थों के व्यसनी करोड़ों लोग दयनीय जीवन जी रहे हैं और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं । भारत भी स्वापक पदार्थों के फेरीवालों और तस्करों के कुचक्र में जकड़ा हुआ है । पूर्वोक्त आंकड़ा शासकीय आंकड़ा है किंतु भारत में अशासकीय रूप से स्वापक पदार्थों के एक मिलियन व्यसनी दर्ज हैं और अशासकीय रूप से कुल मिलाकर पांच मिलियन हैं । स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग से समाज पर हानिप्रद प्रभाव पड़ा है जिससे अपराध दर में वृद्धि हुई है और इनका उपभोग 18-35 वर्ष के बीच की आयु समूह के व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे मानवीय शक्ति का गणनातीत ह्रास होने के साथ-साथ देश के नवयुवकों का शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक पतन हो रहा है । देश में फैलती जा रही और मगरमच्छ की तरह अपने जाल में फांसती जा रही इस सामाजिक बुराई की महामारी को मिटाने के लिए स्वापक पदार्थों के फैलते जा रहे इस फफूंद को कड़ाई से रोके जाने की आवश्यकता है ।

10. 96 कि. ग्रा. स्वापक पदार्थ की इतनी बड़ी और वाणिज्यिक मात्रा ले जाना अभियुक्तों/सिद्धदोष व्यक्तियों के आचरण को दर्शित करता है जिससे जहर फैलता जा रहा है और इससे प्रभावित अधिकतर मध्यम आयु के लोग हैं । सबसे अधिक प्रभावित ज्यादातर नवयुवक हैं, जो स्वापक पदार्थों के उपभोग से पड़ने वाले प्रभाव से अनभिज्ञ हैं और वर्तमान में बाजार में ये पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं और उत्पाद की मौजूदगी के कारण ही वर्तमान अभियुक्त न्यायालय में हैं । अभियुक्त/सिद्धदोष व्यक्ति जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासी हैं, जहां अन्य राज्यों के स्वापक पदार्थों के तस्करों की यह सोच है कि वे

स्वापक पदार्थों के इस प्रकार के दुर्व्यापार में जम्मू-कश्मीर राज्य के सीधे-साधे लोगों का उपयोग कर सकते हैं । ऐसे व्यक्तियों को, जो अन्तरराष्ट्रीय कुख्याति के तस्करों के शिकार बन जाते हैं, अवश्य यह संदेश जाना चाहिए कि अब उनके लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में उन्हें आसानी से उपलब्ध व्यक्तियों का उपयोग करना आसान नहीं होगा । वाहक या ऐसे व्यक्तियों को भी, जो इस प्रकार के घृणित क्रियाकलापों से जुड़ने के इच्छुक रहते हैं, यह भयोपरतकारी संदेश जाना चाहिए कि ऐसे क्रियाकलापों का परिणाम लंबे समय तक कारागार में पड़े रहना है । यद्यपि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन मृत्यु दंडादेश का उपबंध किया गया है, किंतु यह ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो स्वापक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा के पुनरावर्तक हों, किंतु, चूंकि विधि में तब तक मृत्यु दंडादेश अधिरोपित करने का उपबंध नहीं है, जब तक इसके लिए साबित नहीं किया जाता है । किंतु नरमी बरतने का अभियुक्तों का अनुरोध तद्द्वारा नामंजूर किया जाता है । अभियुक्त/सिद्धदोष स्वापक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा कब्जे में रखकर परिवहन करने में लिप्त रहे हैं । ऐसा व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा का कारबार कर रहा हो, उसके साथ अधिक कड़ाई से बर्ताव किया जाना चाहिए ।"

40. इस प्रकार, हम दोनों अभियुक्तों के सबोध कब्जे से बरामद की गई 96 कि. ग्रा. चरस की इतनी बड़ी मात्रा तथा साथ ही अन्य पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए दोनों अभियुक्तों पर अधिरोपित दंडादेश को न्यूनतम दस वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने या इसके बीच के किसी कारावास में कम करने के लिए विश्वसनीय आधार तो दूर कोई आधार ही नहीं पाते हैं । श्री गड्डा द्वारा इस आधार पर की गई प्रार्थना को नामंजूर किया जाता है और हम विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही यथा अधिनिर्णीत दंडादेश वाले भाग की भी पुष्टि करते हैं ।

41. यदि हम स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52(क), जो अभिगृहीत स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन से संबंधित है, पर विचार नहीं करते हैं तो हमारा कर्तव्य अधूरा रह जाएगा । यह मुद्दा **भारत संघ** बनाम **मोहन लाल और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी आया था, जिसमें

[1] (2012) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ (क्रि.) 716.

माननीय न्यायाधीशों ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52(क) में स्वापक ओषधियों के अभिग्रहण, तलाशी, व्ययन और नष्ट करने की बाबत अंतर्विष्ट विनिर्दिष्ट उपबंधों पर विचार करते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बाजार में स्वापक ओषधियों के पुनः परिचालन के लिए मूषण की संभावना बनी रहती है, इसलिए अभिगृहीत स्वापक ओषधियों को नष्ट करना न केवल एक कानूनी कर्तव्य हो जाता है अपितु भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन एक सांविधानिक आज्ञा भी है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बाबत कतिपय निदेश जारी किए गए हैं । हम पुलिस महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर राज्य को निदेश देते हैं कि इस पहलू पर **मोहन लाल** (उपरोक्त) वाले मामले में अंतर्विष्ट निदेशों के निबंधनों के अनुसार दृढ़ता से कार्यवाही करें और इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट भेजी जाए ।

42. इस मामले से अलग होने से पूर्व, हम अभियोजन अभिकरण द्वारा बरती गई उस ढिलाई के लिए खेद व्यक्त करते हैं जो उसने पूर्वोक्त ट्रकों में से एक ट्रक के स्वामी बशीर अहमद को गिरफ्तार न करके दिखाई है और जिसे चालान फाइल करने के समय भगौड़ा घोषित किया गया । जैसा कि विद्वान् सरकारी अधिवक्ता, श्री हक़ द्वारा बताया गया है कि उसे आज की तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, उक्त परिस्थिति पुलिस विभाग के कुछ पुलिस पदधारियों के कार्य करने के तरीके पर गंभीर प्रश्न चिह्न डालती है । ऐसी परिस्थिति में पुलिस पदधारियों की मादक पदार्थ विक्रेताओं/दुर्व्यापार करने वालों के साथ मिलीभगत का निष्कर्ष निकाला जा सकता है । इसलिए हम यह प्रत्याशा करते हैं कि पुलिस महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर राज्य उन पुलिस पदधारियों, जो नियमों के अनुसार अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहे हैं, के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करेंगे । हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले में 96 कि. ग्रा. चरस की एक बहुत बड़ी मात्रा अभिगृहीत की गई है जिसे पूर्वोक्त दो ट्रकों में परिवहन किया जा रहा था/ले जाया जा रहा था ।

43. हम इस बात की सराहना करेंगे यदि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन दर्ज मामलों का अन्वेषण केवल उन पुलिस अधिकारियों/पदधारियों द्वारा किया जाए, जिन्हें जम्मू-कश्मीर राज्य में गठित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिया गया है ।

44. इस आदेश/निर्णय की एक प्रति इस खंड के न्यायिक रजिस्ट्रार

द्वारा पुलिस महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर राज्य तथा मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर राज्य को सूचनार्थ और अनुपालन के लिए अविलंब उपलब्ध कराई जाए ।

45. अंतिम परिणाम यह है कि प्रस्तुत अपील पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

(2014) 1 दा. नि. प. 237 **दिल्ली**

विक्रम कुमार

बनाम

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र राज्य

तारीख 6 मई, 2013

न्यायमूर्ति (सुश्री) मुक्ता गुप्ता

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(च) – बलात्संग – लगभग चार वर्षीय तीन अभियोक्त्रियों के गुप्तांगों पर गंभीर क्षतियां पाया जाना – अभियोक्त्रियों द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध बलात् मैथुन के संबंध में दिए गए सही परिसाक्ष्य तथा उन्हें पहुंची क्षतियों की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्यों से होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होने पर उसकी दोषसिद्धि उचित और न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(च) – बलात्संग – शुक्रीय स्खलन न पाया जाना – बलात्संग का अपराध गठित करने के लिए पुरुष लिंग का योनि में केवल प्रवेशन पर्याप्त है और चिकित्सीय परीक्षण में शुक्रीय स्खलन न पाए जाने से बलात्संग के अपराध को नकारा नहीं जा सकता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 31 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(च)] – बलात्संग – विभिन्न धाराओं के

अधीन दंडादेश – सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया जाना – चूंकि अभियुक्त को बलात्संग के अपराध के लिए चौदह वर्ष का दंडादेश दिया गया है और विधिक स्थिति के अनुसार कारावास का दंडादेश चौदह वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं हो सकता है, इसलिए अन्य धाराओं के अधीन दिए गए दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया जाना उचित है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार तीन छोटी-छोटी लड़कियां (अभियोक्त्रियां) और एक लड़का, जिनकी आयु लगभग 4 वर्ष थी, तारीख 26 मार्च, 2007 को अपराह्न में लगभग 5.00 बजे अपीलार्थी-अभियुक्त के मकान के पास पार्क में खेल रहे थे । अपीलार्थी-अभियुक्त टॉफी देने के बहाने उन्हें अपने मकान की ऊपरी मंजिल स्थित कमरे में ले गया और तीनों लड़कियों के साथ बलात्संग किया । मामले की रिपोर्ट पुलिस को की गई । अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी को बलात्संग का अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 1, जिसकी आयु घटना के समय चार वर्ष थी, ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया कि वह अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साथ अपीलार्थी के मकान के निकट पार्क में खेल रही थी । अपीलार्थी उन्हें टॉफी देकर अपने मकान की सीढ़ियां चढ़कर एक कमरे में ले गया । अपीलार्थी ने उसके पैर पर पानी डाला और उसने अपना अंग, जिससे वह पेशाब करता है उसके मुंह में डाल दिया । वह 'गंदी बात' करने लगा । वह उसके अंतर्वस्त्रों को उतारकर उसके गुप्तांगों पर लेट गया और अपना पेशाब करने का अंग उसके गुप्तांग, जहां से वह पेशाब करती है, में डाल दिया । अभि. सा. 1 का रक्तस्राव होने लगा और जोर-जोर से रोने लगी । अपीलार्थी ने अभि. सा. 4 से पूछा कि वह लड़का है या लड़की । जब अभि. सा. 4 ने यह उत्तर दिया कि वह लड़का है तो अपीलार्थी ने उसे थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर भेज दिया । अपीलार्थी ने उसके पश्चात् अभि. सा. 2 से गलत काम किया । अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा की गई और उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि अकेला अपीलार्थी ही था और उसके साथ कोई अन्य लड़के नहीं

थे । अभि. सा. 1 ने इस बात से इनकार किया कि अपीलार्थी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था या गलत काम दो अन्य लड़कों द्वारा किया गया था जो अपीलार्थी के साथ थे । अभि. सा. 2, उसकी भी घटना के समय आयु चार वर्ष थी, ने यह कथन किया कि वह अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साथ सायंकाल में पार्क में खेल रही थी । अपीलार्थी टॉफी देने के बहाने उन्हें अपने मकान में ले गया । अपीलार्थी के मकान में कोई नहीं था । उसने उन सभी को एक-एक टॉफी दी । अपीलार्थी ने अपनी पैंट और जांघिया उतारा और अभि. सा. 1 का जांघिया उतारकर उसके ऊपर लेट गया । उसके पश्चात् उसने अभि. सा. 2 का जांघिया उतारा और उसके ऊपर लेट गया । अपीलार्थी ने उसके पश्चात् अभि. सा. 3 का जांघिया उतारा और उसके ऊपर लेट गया । उसने अभि. सा. 4 का भी जांघिया उतारा और उसे थप्पड़ मारा । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि अपीलार्थी ने अभि. सा. 1 के साथ गलत काम किया और अभि. सा. 1 के गुप्तांग से रक्त भी निकल रहा था । अपीलार्थी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने उन्हें चाकू दिखाया था और इस साक्षी ने न्यायालय में अपीलार्थी की शनाख्त की । अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने अपना लिंग उसके मुख में डाला था । अपीलार्थी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया कि उसने मजिस्ट्रेट को यह नहीं बताया था कि कमरे में तीन लड़के थे और अपनी इच्छा से यह कहा कि वहां एक लड़का था । इस साक्षी ने यह दोहराया कि अपीलार्थी के सिवाय उस कमरे में जहां वह उन्हें ले गया था कोई अन्य व्यक्ति नहीं था । अभि. सा. 3 भी इतनी ही आयु की है, उसने यह कथन किया कि वह अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 के साथ पार्क में खेल रही थी । अपीलार्थी उन्हें टॉफी देने के बहाने अपने कमरे में ले गया । वहां उसने अपना जांघिया और पैंट उतारी । अपीलार्थी ने उन्हें चाकू और माचिस की एक तिल्ली दिखाई । अपीलार्थी ने अपने ऊपर तेल डाला और उनके ऊपर लेट गया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसके और अभि. सा. 1 के गुप्तांगों से रक्त निकला । उसे उसकी गाल पर भी काटा गया । इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया कि कमरे में अपीलार्थी के सिवाय कोई अन्य भी था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से इनकार किया कि उसे किसी भी पुलिस पदधारी ने न्यायालय में क्या अभिसाक्ष्य देना है के बारे में सिखाया-पढ़ाया नहीं था । तथापि, उसने यह कथन किया वह न्यायालय के बाहर एक पुलिस आंटी

से मिली थी और पुलिस आंटी ने उसे अपीलार्थी का नाम बताया था । न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न पर इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि उसने घटना के बारे में वैसा ही अभिसाक्ष्य दिया है जैसे घटना घटी थी । उसने यह कथन किया कि उसे न्यायालय में मौजूद अधिवक्ता द्वारा सिखाया-पढ़ाया नहीं गया था । अभि. सा. 4, जिसकी आयु घटना के समय चार वर्ष थी, ने यह कथन किया कि वह अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और एक और लड़की जिसका नाम उसे याद नहीं है, के साथ पार्क में खेल रहा था । वह उस समय कक्षा के.जी.-1 में था । जब वे खेल रहे थे तो अपीलार्थी वहां आया और उसे और लड़कियों को चुइंगम दी । अपीलार्थी उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहां उसने अभि. सा. 4 से कहा "भाग जा, नहीं तो काट दूंगा" । उसके पश्चात् वह नीचे आया और अपने घर चला गया तथा तीनों लड़कियां अपीलार्थी के कमरे में रहीं । इस साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह अपीलार्थी के कमरे में लगभग 30 मिनट रहा था और अपीलार्थी के कमरे में उसके और तीन लड़कियों के सिवाय कोई नहीं था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि पुलिस आंटी ने उसे यह नहीं बताया था कि उसे न्यायालय में क्या अभिसाक्ष्य देना है । पुलिस आंटी ने केवल यह कहा था कि न्यायालय में घबराना नहीं है । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि कमरे में चार अन्य लड़के थे और अपीलार्थी नहीं था । अभि. सा. 1 के पिता अभि. सा. 5 ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया कि उसे तारीख 26 मार्च, 2007 को अपराह्न में लगभग 7.00-8.30 बजे घर पर अपनी पुत्री को नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उसकी तलाश करने के लिए कहा । जब उसकी पत्नी को वह नहीं पाई तो वह उसको तलाश करने बाहर गया । अपनी पुत्री की तलाश करते हुए वह भोला नाथ के मकान पर गया और अपनी पुत्री सहित तीन लड़कियों को सीढ़ियों से उतरते हुए और रोते हुए देखा । उसने उसके कपड़ों और जांघों पर रक्त दिखाई दिया । उसकी पुत्री ने बताया कि अपीलार्थी उन्हें टॉफी देने के बहाने ऊपरी मंजिल पर ले गया और उनके ऊपर लेट गया । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में कुछ भी उजागर नहीं किया जा सका । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के वृत्तांत की और संपुष्टि उनको पहुंची क्षतियों से होती है । अभि. सा. 1 अस्पताल पहुंचने पर तुरंत शल्यक्रिया के लिए रेफर की गई थी और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22/ए के अनुसार अभि. सा. 1 को योनिक और गुदा-संबंधी चीरें पहुंची थीं । उसे साधारण संज्ञाशून्यता के अधीन योनिक और गुदा/मलाशय की चीरों की मरम्मत के लिए शल्यक्रिया और विभिन्न अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था । उस पर

लैंगिक हमला किया गया था और उसके गुप्तांगों से रक्तस्राव हुआ था । इस साक्षी को तारीख 26 मार्च, 2007 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तारीख 21 अप्रैल, 2007 को छुट्टी दी गई थी । इस प्रकार, वह 25 दिनों तक अस्पताल में रही थी और इससे अभि. सा. 1 को कारित हुई क्षतियों की मात्रा दर्शित होती है । अभि. सा. 3 की छुट्टी के विवरण, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए, से द्वितीय श्रेणी के पेरिनियल टियर (चीर), बृहत् भगौष्ठ के आंतरिक भाग पर मध्य रेखा में चीर होना दर्शित होता है तथा योनिच्छद भी फटा हुआ था । इस साक्षी को भी शल्यक्रिया से गुजरना पड़ा था और आठ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही थी । चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए के अनुसार, इस साक्षी की बाईं गाल पर दांत से काटने के निशान भी थे । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य से, जिसकी अभि. सा. 5 और अभि. सा. 26 के परिसाक्ष्य द्वारा सम्यक् संपुष्टि की गई है, तथा उनके चिकित्सीय परीक्षणों से अपीलार्थी के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होता है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने इस तथ्य पर बहुत अधिक जोर दिया है कि शुक्रीय स्खलन के डीएनए विवरण में अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की योनिक स्लाइडों में शुक्रीय स्खलन नहीं पाया गया था । निस्संदेह, डीएनए विवरण को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में माना जाता है, तथापि, वर्तमान मामले में प्रत्येक साक्षी ने बिल्कुल सही तौर पर अपीलार्थी का नाम लिया है । सभी साक्षियों ने इस बात से इनकार किया है कि घटना के समय वहां अपीलार्थी के अतिरिक्त दो अन्य लड़के थे । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की स्लाइड में कोई मेल-फ्रेक्शन नहीं पाया गया था । ये बातें अपीलार्थी को उसके द्वारा किए गए अपराध से दोषमुक्त नहीं करती हैं । बलात्संग का अपराध गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त, डीएनए विवरण पर विशेषज्ञ का साक्ष्य केवल एक राय साक्ष्य है, जिसे न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अंतिम राय बनाते समय विचार में ले भी सकता है और नहीं भी । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने आगे इस तथ्य पर जोर दिया कि यदि किसी अप्राप्तवय लड़की के साथ किसी पूर्ण विकसित पुरुष द्वारा बलात्संग किया जाता है तब अभियुक्त के लिंग पर क्षतियां होना लाजिमी है और ऐसी क्षतियों का अभाव उसकी निर्दोषिता को इंगित करेगा । वर्तमान मामले में यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया था अपितु घटना के तीन दिन पश्चात् गिरफ्तार किया गया था । इसके अतिरिक्त, विपदग्रस्तों ने प्रवेशन का

अभिकथन किया है न कि आक्रामक लैंगिक कृत्य का । इसलिए अपीलार्थी की लिंग पर क्षतियां न होने की संभाव्यताएं तीनों अभियोक्त्रियों और उनके मित्र अभि. सा. 4 के अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य को असत्य साबित नहीं कर सकती हैं । (पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 और 16)

यह उल्लेखनीय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विभिन्न धाराओं के अधीन अधिनिर्णीत किए गए दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश नहीं दिया गया है । विद्वान् विचारण न्यायालय दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश देने के लिए सक्षम है किंतु वास्तविकता यह है कि कारावास का दंडादेश चौदह वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के अधीन अपराध के लिए चौदह वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है । विधिक स्थिति को देखते हुए, अपीलार्थी को दिए गए मूल दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया जाता है । (पैरा 17 और 18)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2012]	जे. टी. 2012 (6) एस. सी. 117 : **ओ. एम. बेबी (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत** बनाम **केरल राज्य** ;	16
[2006]	(2006) 8 एस. सी. सी. 560 : **तारकेश्वर साहू** बनाम **बिहार राज्य** ।	14

निर्दिष्ट निर्णय

[2012]	2012 (9) स्केल 42 : **कुरिया** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	3
[2012]	मनु/एस. सी./1106/2012 : **राधाकृष्ण नागेश** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**;	3,14
[2011]	जे. टी. 2011 (10) एस. सी. 525 : **राकेश** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	3
[2009]	2009 (8) स्केल 628 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **सुरेश** ;	3
[2009]	(2009) 5 एस. सी. सी. 238 :	

पंजाब राज्य बनाम **मदन लाल** ; 3

[2007] (2007) 12 एस. सी. सी. 122 :
बी. सी. देवा बनाम **कोलकाता राज्य** ; 3

[2007] (2007) 2 एस. सी. सी. 772 :
एम. आर. कुरदा बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; 3

[2006] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 508 :
विष्णु बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 3

[2001] ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2226 :
कामती देवी और एक अन्य बनाम **पोशी राम** ; 2

[2001] (2001) 6 एस. सी. सी. 311 :
महाराष्ट्र राज्य बनाम **नजाकत अली** ; 3

[1998] 1998 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 369 :
समय सिंह बनाम **राज्य** ; 2

[1992] (1992) 3 एस. सी. सी. 204 :
मदन गोपाल कक्कड़ बनाम **नवल दुबे** ; 3

[1983] (1983) 2 एस. सी. सी. 14 :
असम राज्य बनाम **मफीजुद्दीन अहमद** ; 2

[1982] 1982 (2) आर. सी. आर. 150 :
मोहम्मद हबीब बनाम **राज्य** ; 2

[1957] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 589 :
भगवान दास और एक अन्य बनाम **राजस्थान राज्य** । 2

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 36.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एन. के. देव

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री मनोज ओहरी सहायक लोक अभियोजक, उप निरीक्षक आदित्य और बसंत कुमार पुलिस थाना, तिलक नगर

न्यायमूर्ति (सुश्री) मुक्ता गुप्ता – अपीलार्थी ने तारीख 12 नवम्बर, 2010 के उस निर्णय को आक्षेपित किया है, जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च)/377 सपठित धारा 511/506/323 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है । अपीलार्थी ने तारीख 18 नवम्बर, 2010 के उस दंडादेश के आदेश को भी आक्षेपित किया है जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 14 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने और एक लाख रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो वर्ष की अवधि का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पचास हजार रुपए के जुर्माने सहित 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तीस हजार रुपए के जुर्माने सहित 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 323 के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध के लिए एक वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने का निदेश दिया गया है ।

2. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय यह मूल्यांकन करने में असफल रहा कि डीएनए फिंगर प्रिंट से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी द्वारा तीन अभियोक्त्रियों के साथ बलात्संग का कोई अपराध नहीं किया गया था क्योंकि कपड़ों पर तथा तीनों अभियोक्त्रियों की योनिक स्लाइडों पर अपीलार्थी का कोई शुक्रीय स्खलन नहीं पाया गया है । **भगवान दास और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया गया है । **कामती देवी और एक अन्य** बनाम **पोशी राम**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि डीएनए जांच का परिणाम वैज्ञानिक रूप से सही है और इससे अपीलार्थी की निर्दोषिता का समर्थन होता है । विद्वान् विचारण न्यायालय अभियोक्त्रियों अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को पहुंची क्षतियों से यह अवेक्षा करने में भी असफल

---

[1] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 589.

[2] ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2226.

रहा है कि यदि अपीलार्थी ने बलात्संग किया होता तो उसके लिंग पर भी क्षतियां पहुंची होतीं । क्योंकि अपीलार्थी के लिंग पर कोई क्षति नहीं थी, इसलिए अभियोजन पक्ष का वृत्तांत विश्वसनीय नहीं है (**मोहम्मद हबीब** बनाम **राज्य**[1] वाला मामला) । अभियोक्त्रियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें पुलिस द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया था और इसलिए उनके परिसाक्ष्यों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है (**समय सिंह** बनाम **राज्य**[2] वाला मामला) । आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही बलात्संग का तथ्य युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध हो जाता है, जब तक यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य न हो कि अभियुक्त ने ही बलात्संग किया था, उसे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है (**असम राज्य** बनाम **मफीजुद्दीन अहमद**[3] वाला मामला) । विद्वान् विचारण न्यायालय यह मूल्यांकन करने में असफल रहा है कि साक्ष्य से दर्शित होता है कि वहां अन्य लड़के भी थे जिन्हें छोड़ दिया गया है और अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अपीलार्थी का सामना एनजीओ स्वचेतन की परामर्शी रिपोर्ट सहित अभियोजन साक्ष्य से कराया गया था, जिसमें यह लिखा था कि चार लोग थे जिन्होंने किशोर लड़कियों का व्यपहरण किया और अपनी अधीनता में रखा । अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया गया है, अतः उसे दोषमुक्त किया जाए । विद्वान् विचारण न्यायालय यह निदेश देने में असफल रहा है कि अलग-अलग धाराओं के अधीन दिए गए दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । अनुकल्पतः, अधिरोपित किए गए दंडादेशों को कम किया जाए और साथ-साथ चलने का निदेश दिया जाए ।

3. राज्य की ओर से विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने दलीलों का विरोध करते हुए यह दलील दी कि अपीलार्थी ने तीन अप्राप्तवय लड़कियों, जिनकी आयु चार वर्ष थी, के साथ बलात्संग किया था । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्रों से अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध संदेह के परे साबित होता है । सभी चारों साक्षियों ने सही तौर पर अपीलार्थी द्वारा अपराध कारित करने के बारे में कथन किया है । इतना ही नहीं, अपीलार्थी ने अभि. सा. 3 के गाल पर काटा था और चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र में दांतों के निशान का उल्लेख है । यद्यपि अपीलार्थी द्वारा विचारण के दौरान साक्षियों के समक्ष यह बात कही गई कि वहां अन्य

---

[1] 1982 (2) आर. सी. आर. 150.

[2] 1998 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 369.

[3] (1983) 2 एस. सी. सी. 14.

लड़के भी मौजूद थे, तथापि, सभी साक्षियों द्वारा इन बातों से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया । अपीलार्थी ने न केवल अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साथ बलात्संग किया, अपितु इन तीनों छोटी-छोटी लड़कियों से मुख-मैथुन का कृत्य करके भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अधीन अपराध किया । अपीलार्थी ने एक चाकू से लड़कियों को भयभीत भी किया और इस तथ्य की संपुष्टि अभि. सा. 4 द्वारा भी की गई है । अभि. सा. 1 के पिता अभि. सा. 5 ने तीनों लड़कियों को अपीलार्थी के मकान की सीढ़ियों से रोते हुए नीचे उतरते हुए देखा था और उनके कपड़ों तथा जांघों पर रक्त भी देखा था । उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उनमें से दो की शल्यक्रिया करनी पड़ी । तीनों अभियोक्त्रियों के वृत्तांत का समर्थन अभि. सा. 26 द्वारा भी किया गया है, जो उसी मकान की द्वितीय मंजिल पर रहता था और किशोर बच्चों की रोने की आवाज सुनकर ऊपरी मंजिल पर गया था । तथापि, अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि वह बच्चों को पढ़ा रहा था । साक्षियों ने यह बात स्पष्ट की है कि उन्हें पुलिस पदधारियों द्वारा सिखाया-पढ़ाया नहीं गया था और उन्होंने केवल यह कहा था कि उन्हें न्यायालय से डरना नहीं है । चिकित्सीय साक्ष्य से तीनों अभियोक्त्रियों के वृत्तांत की स्पष्ट रूप से संपुष्टि होती है । अभियोक्त्रियों की योनिक स्लाइडों या कपड़ों पर शुक्रीय स्खलन न होने से मैथुन की बात झूठी नहीं हो जाती है, चूंकि बलात्संग के अपराध के लिए प्रवेशन ही पर्याप्त है । **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **सुरेश**[1], **राधाकृष्ण नागेश** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[2], **कुरिया** बनाम **राजस्थान राज्य**[3], **बी. सी. देवा** बनाम **कोलकाता राज्य**[4], **राकेश** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[5], **विष्णु** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[6], **मदन गोपाल कक्कड़** बनाम **नवल दुबे**[7], **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **नजाकत अली**[8], **एम. आर. कुरदा** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[9] और **पंजाब राज्य** बनाम **मदन लाल**[10] वाले मामलों का अवलंब लिया गया है ।

---

[1] 2009 (8) स्केल 628.
[2] मनु/एस. सी./1106/2012.
[3] 2012 (9) स्केल 42.
[4] (2007) 12 एस. सी. सी. 122.
[5] जे. टी. 2011 (10) एस. सी. 525.
[6] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 508.
[7] (1992) 3 एस. सी. सी. 204.
[8] (2001) 6 एस. सी. सी. 311.
[9] (2007) 2 एस. सी. सी. 772.
[10] (2009) 5 एस. सी. सी. 238.

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसलों को विस्तारपूर्वक सुना ।

5. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 225/2007 अभि. सा. 1 के पिता अभि. सा. 5 की शिकायत पर पुलिस थाना, तिलक नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च)/324/506/377 के अधीन दर्ज की गई थी । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया कि तारीख 26 मार्च, 2007 को उसने पाया कि उसकी पुत्री घर पर नहीं है और अपराह्न में लगभग 5.00 बजे पार्क में खेलने के लिए गई है । उसने अभि. सा. 1 के बारे में अपनी पत्नी से पूछा, वह बाहर आई और कहा कि दो लड़कियां गायब हैं । अभि. सा. 5 अपनी पुत्री को तलाश करने के लिए बाहर गया । अपराह्न में 9.00 बजे जब वह भोला नाथ अर्थात् अपीलार्थी के पिता के मकान के सामने पहुंचा तो उसने अपनी पुत्री अभि. सा. 1 के साथ-साथ दो अन्य लड़कियों अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 को सीढ़ियों से उतरते हुए और रोते हुए देखा । उसे लड़कियों के कपड़ों और टांगों पर रक्त दिखाई दिया । उसने अपनी पुत्री से पूछताछ की कि क्या हुआ है । उसने यह कहा कि विक्रम अंकल ने टॉफी देने के लिए बुलाया और उन्हें मकान की सबसे ऊपर की मंजिल पर स्थित कमरे में ले गया । वह उनके ऊपर लेट गया और वे रोने लगी । उनकी पिटाई भी की गई और उसने अभि. सा. 3 को काटा । अभि. सा. 5 ने 100 नम्बर पर फोन किया और पीसीआर वैन लड़कियों को अस्पताल लेकर आई । चिकित्सीय परीक्षण से यह पता चला कि लड़कियों के साथ मैथुन किया गया है । अंततः, तारीख 29 मार्च, 2007 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् एक आरोप पत्र फाइल किया गया । साक्षियों के साक्ष्य और अपीलार्थी का कथन अभिलिखित करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अनुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया ।

6. अभि. सा. 1, जिसकी आयु घटना के समय चार वर्ष थी, ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया कि वह अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साथ अपीलार्थी के मकान के निकट पार्क में खेल रही थी । अपीलार्थी उन्हें टॉफी देकर अपने मकान की सीढ़ियां चढ़कर एक कमरे में ले गया । अपीलार्थी ने उसके पैर पर पानी डाला और उसने अपना अंग, जिससे वह पेशाब करता है उसके मुंह में डाल दिया । वह "गंदी बात" करने लगा । वह उसके अंतर्वस्त्रों को उतारकर उसके गुप्तांगों पर लेट गया और अपना पेशाब करने का अंग उसके गुप्तांग, जहां से वह पेशाब करती है, में डाल दिया । अभि. सा. 1 का रक्तस्राव होने लगा और

जोर-जोर से रोने लगी । अपीलार्थी ने अभि. सा. 4 से पूछा कि वह लड़का है या लड़की । जब अभि. सा. 4 ने यह उत्तर दिया कि वह लड़का है तो अपीलार्थी ने उसे थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर भेज दिया । अपीलार्थी ने उसके पश्चात् अभि. सा. 2 से गलत काम किया । अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा की गई और उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि अकेला अपीलार्थी ही था और उसके साथ कोई अन्य लड़के नहीं थे । अभि. सा. 1 ने इस बात से इनकार किया कि अपीलार्थी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था या गलत काम दो अन्य लड़कों द्वारा किया गया था जो अपीलार्थी के साथ थे ।

7. अभि. सा. 2, उसकी भी घटना के समय आयु चार वर्ष थी, ने यह कथन किया कि वह अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साथ सायंकाल में पार्क में खेल रही थी । अपीलार्थी टॉफी देने के बहाने उन्हें अपने मकान में ले गया । अपीलार्थी के मकान में कोई नहीं था । उसने उन सभी को एक-एक टॉफी दी । अपीलार्थी ने अपनी पैंट और जांघिया उतारा और अभि. सा. 1 का जांघिया उतारकर उसके ऊपर लेट गया । उसके पश्चात् उसने अभि. सा. 2 का जांघिया उतारा और उसके ऊपर लेट गया । अपीलार्थी ने उसके पश्चात् अभि. सा. 3 का जांघिया उतारा और उसके ऊपर लेट गया । उसने अभि. सा. 4 का भी जांघिया उतारा और उसे थप्पड़ मारा । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि अपीलार्थी ने अभि. सा. 1 के साथ गलत काम किया और अभि. सा. 1 के गुप्तांग से रक्त भी निकल रहा था । अपीलार्थी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने उन्हें चाकू दिखाया था और इस साक्षी ने न्यायालय में अपीलार्थी की शनाख्त की । अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने अपनी पुरुष लिंग उसके मुख में डाली थी । अपीलार्थी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया कि उसने मजिस्ट्रेट को यह नहीं बताया था कि कमरे में तीन लड़के थे और अपनी इच्छा से यह कहा कि वहां एक लड़का था । इस साक्षी ने यह दोहराया कि अपीलार्थी के सिवाय उस कमरे में जहां वह उन्हें ले गया था कोई अन्य व्यक्ति नहीं था ।

8. अभि. सा. 3 भी इतनी ही आयु की है, उसने यह कथन किया कि वह अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 के साथ पार्क में खेल रही थी । अपीलार्थी उन्हें टॉफी देने के बहाने अपने कमरे में ले गया । वहां उसने अपना जांघिया और पैंट उतारी । अपीलार्थी ने उन्हें चाकू और

माचिस की एक तिल्ली दिखाई । अपीलार्थी ने अपने ऊपर तेल डाला और उनके ऊपर लेट गया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसके और अभि. सा. 1 के गुप्तांगों से रक्त निकला । उसे उसके गाल पर भी काटा गया । इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया कि कमरे में अपीलार्थी के सिवाय कोई अन्य भी था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से इनकार किया कि उसे किसी भी पुलिस पदधारी ने न्यायालय में क्या अभिसाक्ष्य देना है के बारे में सिखाया-पढ़ाया नहीं था । तथापि, उसने यह कथन किया कि वह न्यायालय के बाहर एक पुलिस आंटी से मिली थी और पुलिस आंटी ने उसे अपीलार्थी का नाम बताया था । न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न पर इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि उसने घटना के बारे में वैसा ही अभिसाक्ष्य दिया है जैसे घटना घटी थी । उसने यह कथन किया कि उसे न्यायालय में मौजूद अधिवक्ता द्वारा सिखाया-पढ़ाया नहीं गया था ।

9. अभि. सा. 4, जिसकी आयु घटना के समय चार वर्ष थी, ने यह कथन किया कि वह अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और एक और लड़की जिसका नाम उसे याद नहीं है, के साथ पार्क मे खेल रहा था । वह उस समय कक्षा के.जी.-1 में था । जब वे खेल रहे थे तो अपीलार्थी वहां आया और उसे और लड़कियों को चुइंगम दी । अपीलार्थी उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहां उसने अभि. सा. 4 से कहा "भाग जा, नहीं तो काट दूंगा" । उसके पश्चात् वह नीचे आया और अपने घर चला गया तथा तीनों लड़कियां अपीलार्थी के कमरे में रहीं । इस साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह अपीलार्थी के कमरे में लगभग 30 मिनट रहा था और अपीलार्थी के कमरे में उसके और तीन लड़कियों के सिवाय कोई नहीं था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि पुलिस आंटी ने उसे यह नहीं बताया था कि उसे न्यायालय में क्या अभिसाक्ष्य देना है । पुलिस आंटी ने केवल यह कहा था कि न्यायालय में घबराना नहीं है । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि कमरे में चार अन्य लड़के थे और अपीलार्थी नहीं था ।

10. अभि. सा. 1 के पिता अभि. सा. 5 ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया कि उसे तारीख 26 मार्च, 2007 को अपराह्न में लगभग 7.00-8.30 बजे घर पर अपनी पुत्री को नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उसकी तलाश करने के लिए कहा । जब उसकी पत्नी को वह नहीं पाई तो वह उसको तलाश करने बाहर गया । अपनी पुत्री की तलाश करते हुए वह भोला नाथ के मकान पर गया और अपनी पुत्री सहित तीन

लड़कियों को सीढ़ियों से उतरते हुए और रोते हुए देखा । उसने कपड़ों और जांघों पर रक्त दिखाई दिया । उसकी पुत्री ने बताया कि अपीलार्थी उन्हें टॉफी देने के बहाने ऊपरी मंजिल पर ले गया और उनके ऊपर लेट गया । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में कुछ भी उजागर नहीं जा सका ।

11. अभि. सा. 26 श्रीमती उषा ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह सी-ब्लाक में तृतीय मंजिल पर रह रही थी और चतुर्थ मंजिल पर एक झोंपड़ी बनी हुई थी । मकान मालिक भूतल और प्रथम तल पर रह रहा था । मकान मालिक की तीन पुत्रियां और तीन पुत्र थे । मार्च, 2007 में अपराह्न में लगभग 6.00-7.00 बजे जब वह खाना पका रही थी तब उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी । सोनू नामक व्यक्ति इसी भवन की द्वितीय मंजिल पर रह रहा था और वह वहां गई और उसे बताया कि उसके (इस साक्षी ने) बच्चों की रोने की आवाजें सुनी हैं । उन दोनों ने बच्चों के रोने की आवाज सुनी और वे चतुर्थ मंजिल पर गए जहां दरवाजा अंदर से बंद था । अपीलार्थी अर्थात् मकान मालिक का पुत्र चतुर्थ मंजिल पर था और अभि. सा. 26 ने उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा तो उसने कहा कि क्या बात है । जब उसे पुनः दरवाजा खोलने के लिए कहा गया तो उसने उत्तर दिया कि वह बच्चों को ट्यूशन दे रहा है । वह नीचे आई और अपीलार्थी की बहिन से मामले की जांच करने के लिए कहा । अपीलार्थी की बहिन ने भी अपीलार्थी से दरवाजा खोलने के लिए कहा और उसने पुनः यह उत्तर दिया कि वह बच्चों को ट्यूशन दे रहा है और दरवाजा नहीं खोलेगा । इस पर उसकी बहिन ने उत्तर दिया कि "पहले तु खुद तो पढ़ ले फिर बच्चों को पढ़ाना" और सीढ़ियों से नीचे उतर आई । अभि. सा. 26 ने अपने पति को बुलाया और जब वह अपने पति के साथ जा रही थी, तब उसने अपीलार्थी को तीन या चार बच्चों, जिनकी आयु 6-7 वर्ष थी, के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा । यद्यपि अभि. सा. 26 की इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए प्रतिपरीक्षा की गई थी कि वह अपने इस पूर्ववर्ती कथन से, कि उसने बच्चों के कपड़ों और जांघों पर रक्त देखा था, मुकर गई थी । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी का परिसाक्ष्य अपीलार्थी के आचरण को उजागर करने के लिए सुसंगत है और अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 के परिसाक्ष्य की पर्याप्त रूप से संपुष्टि करता है ।

12. अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के वृत्तांत की और संपुष्टि उनको पहुंची क्षतियों से होती है । अभि. सा. 1 अस्पताल पहुंचने पर तुरंत

शल्यक्रिया के लिए रेफर की गई थी और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22/ए के अनुसार अभि. सा. 1 को योनिक और गुदा-संबंधी चीरें पहुंची थीं । उसे साधारण संज्ञाशून्यता के अधीन योनिक और गुदा/मलाशय की चीरों की मरम्मत के लिए शल्यक्रिया और विभिन्न अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था । उस पर लैंगिक हमला किया गया था और उसके गुप्तांगों से रक्तस्राव हुआ था । इस साक्षी को तारीख 26 मार्च, 2007 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तारीख 21 अप्रैल, 2007 को छुट्टी दी गई थी । इस प्रकार, वह 25 दिनों तक अस्पताल में रही थी और इससे अभि. सा. 1 को कारित हुई क्षतियों की मात्रा दर्शित होती है । अभि. सा. 3 की छुट्टी के विवरण, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए, से द्वितीय श्रेणी के पेरिनियल टियर (चीर), बृहत् भगौष्ठ के आंतरिक भाग पर मध्य रेखा में चीर होना दर्शित होता है तथा योनिच्छद भी फटा हुआ था । इस साक्षी को भी शल्यक्रिया से गुजरना पड़ा था और आठ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही थी । चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए के अनुसार, इस साक्षी की बाईं गाल पर दांत से काटने के निशान भी थे । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य से, जिसकी अभि. सा. 5 और अभि. सा. 26 के परिसाक्ष्य द्वारा सम्यक् संपुष्टि की गई है, तथा उनके चिकित्सीय परीक्षणों से अपीलार्थी के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होता है ।

13. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने इस तथ्य पर बहुत अधिक जोर दिया है कि शुक्रीय स्खलन के डीएनए विवरण में अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की योनिक स्लाइडों में शुक्रीय स्खलन नहीं पाया गया था । डीएनए विवरण के विश्लेषण से दर्शित होता है कि अभि. सा. 3, जिसे चीर कारित हुई थी, की योनिक स्लाइडों पर कोई मेल-फ्रेक्शन नहीं पाया गया था । अभि. सा. 1 की नारंगी ड्रेस पर रक्त के धब्बों का डीएनए विवरण न तो अभि. सा. 1 और न ही अपीलार्थी से मेल खाता है । तीनों लड़कियों की योनिक-स्राव फुरेरियां अपीलार्थी के डीएनए विवरण से मेल नहीं खाती हैं । इस डीएनए विवरण को ध्यान में रखते हुए साक्षियों के समक्ष यह बात कही गई थी कि अपीलार्थी के अतिरिक्त कमरे में अन्य लड़के भी थे ।

14. निस्संदेह, डीएनए विवरण को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में माना जाता है, तथापि, वर्तमान मामले में प्रत्येक साक्षी ने बिल्कुल सही तौर पर अपीलार्थी का नाम लिया है । सभी साक्षियों ने इस बात से इनकार किया है कि घटना के समय वहां अपीलार्थी के अतिरिक्त दो अन्य लड़के

थे । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की स्लाइड में कोई मेल-फ्रेक्शन नहीं पाया गया था । ये बातें अपीलार्थी को उसके द्वारा किए गए अपराध से दोषमुक्त नहीं करती हैं । बलात्संग का अपराध गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है और शुक्रीय स्खलन आवश्यक नहीं है । **राधाकृष्ण नागेश** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य में विरोध के मामले में न्यायालय को यह परीक्षा करनी चाहिए कि कौन सा साक्ष्य अधिक विश्वसनीय है और अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से किसकी संपुष्टि होती है । यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 1 की योनिक स्लाइडों के सिवाय, यहां तक कि चिकित्सीय साक्ष्य पर भी कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है । शुक्रीय स्खलन का न होना बलात्संग को अपवर्जित नहीं करता है । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के समक्ष कही गई बातों से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी ने कमरे में अपनी मौजूदगी से इनकार नहीं किया है अपितु केवल यह बात कही है कि उसके अतिरिक्त वहां अन्य लोग भी मौजूद थे । **तारकेश्वर साहू** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "10. भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन ऊपर उपदर्शित छह प्रवर्ग अपराध के मूल संघटक हैं । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोक्त्री की आयु लगभग 12 वर्ष थी, इसलिए उसकी सम्मति असंगत थी । अपीलार्थी उसके साथ मैथुन करने के आशय से उसे बलपूर्वक अपनी गुम्टी में ले गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय धारा 375 के अधीन अपराध का महत्वपूर्ण संघटक प्रवेशन है जो प्रस्तुत मामले में पूरी तरह से गायब है । भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध तब तक नहीं बन सकता है जब तक कुछ-न-कुछ प्रवेशन नहीं हुआ हो । किसी मात्रा में प्रवेशन के अभाव में अपीलार्थी का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की परिधि के अंतर्गत नहीं आएगा । इसलिए, बलात्संग के आरोप को साबित करने के लिए मूल संघटक बलपूर्वक कृत्य को पूरा करना है । अन्य महत्वपूर्ण संघटक बृहत् भगौष्ठ या योनिद्वार या बाह्य जननेन्द्रियों में लिंग का वीर्य के किसी उत्सर्जन सहित या रहित प्रवेशन है या विपदग्रस्त के गुप्तांग में

---

[1] (2006) 8 एस. सी. सी. 560.

पूर्णतः, आंशिकतः या थोड़े-से प्रवेशन का प्रयत्न भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा । उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** बाबुल नाथ [(1994) 6 एस. सी. सी. 29] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा इस अपराध के मूल संघटकों पर विचार किया गया था । इस मामले में इस न्यायालय ने धारा 375 के अधीन अपराध के मूल संघटकों पर निम्नलिखित शब्दों में विचार किया –

> 8. यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्संग को परिभाषित किया गया है और धारा 375 का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है –
>
> स्पष्टीकरण – बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है ।
>
> ऊपर उद्धृत स्पष्टीकरण से यह सुस्पष्ट है कि बलात्संग का आरोप साबित करने के लिए जो संघटक अनिवार्य हैं वे बल और प्रतिरोध के साथ कृत्य को पूरा करना है । बलात्संग का अपराध गठित करने के लिए न तो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में और न ही इससे संलग्न स्पष्टीकरण में यह अपेक्षित है कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री के गुप्तांग में लिंग का आवश्यक रूप से पूर्ण प्रवेशन होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, बलात्संग का अपराध गठित करने के लिए यह कतई आवश्यक नहीं है कि पुरुष की लिंग का वीर्य के उत्सर्जन सहित पूर्ण प्रवेशन होना चाहिए और योनिच्छद फटना चाहिए । बृहत् भगौष्ठ या योनिद्वार या जननेन्द्रियों में पुरुष की लिंग का वीर्य के उत्सर्जन सहित या के बिना आंशिक या थोड़ा-सा भी प्रवेशन या यहां तक कि विपदग्रस्त के गुप्तांग में प्रवेशन का प्रयत्न भी भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा । ऐसी स्थिति में, यह बिल्कुल संभव है कि जननांगों पर कोई क्षति कारित हुए या कोई शुक्रीय धब्बा छुटे बिना भी विधिक रूप से बलात्संग का अपराध कारित किया जा सकता है । किंतु हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निश्चित रूप से यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि विपदग्रस्त पर लैंगिक क्रियाकलाप और उस पर लैंगिक हमला किया गया था जिसके बिना उसे उसके गुप्तांग पर उस प्रकृति की क्षतियां नहीं पहुंची होती जैसी उसका

परीक्षण करने वाले डाक्टर द्वारा पाई गई थीं ।

11. केरल राज्य **बनाम** कुंडुम्कारा गोविंदम वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा भी इस अपराध के संघटकों की विवेचना की गई है । न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है –

> भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध का मर्म बलात्संग है यह मैथुन की अभिधारणा करता है । 'मैथुन' शब्द से अभिप्रेत लैंगिक संबंध है । इसे स्वतंत्र संगठन के सदस्यों द्वारा पारस्परिक निरन्तर क्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है । रुपालंकार द्वारा, वाणिज्य शब्द की तरह परस्पर व्यवहार शब्द पुरुष-स्त्री के संबध को भी लागू होता है । परस्पर व्यवहार में एक संगठन के सदस्य द्वारा किसी अन्य संगठन के सदस्य के पास कतिपय स्पष्टतः परिभाषित और सीमित प्रयोजनों के लिए अस्थायी समागम होता है । संगठन के सदस्यों के बीच समागम का प्राथमिक उद्देश्य भावनात्मक संकट के परिणामस्वरूप तनाव को कम कर सुखाभास प्राप्त करना है । समागम तब तक नहीं होता जब तक जाने वाला सदस्य ऐसे संगठन, जिसके पास वह गया है, द्वारा कम से कम आंशिक रूप से आवृत्त नहीं होता है जबकि पारस्परिकता का द्योतक है । दो जंघाओं के बीच समागम में पुरुष लिंग मिलने वाली दोनों जंघाओं द्वारा कम से कम भागतः आवृत्त हो जाता है, जंघाएं एकाकृत और कठोर हो जाती हैं ।

12. कनसाइज ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार 'प्रवेश करना' शब्द से 'में पहुंच होना या के आर-पार होना, पार करना' अभिप्रेत है ।

13. बलात्संग गठित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में जो अपेक्षा की गई है वह प्रवेशन का चिकित्सीय साक्ष्य है, और प्रवेशन हो सकता है और योनिच्छद अविकल रह सकता है । धारा 375 के स्पष्टीकरण को दृष्टिगत करते हुए योनि में लिंग का केवल मात्र प्रवेशन बलात्संग का अपराध है । भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्धि के लिए थोड़ा-सा प्रवेशन ही पर्याप्त है ।"

15. इसके अतिरिक्त, डीएनए विवरण पर विशेषज्ञ का साक्ष्य केवल एक राय साक्ष्य है, जिसे न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए

अंतिम राय बनाते समय विचार में ले भी सकता है और नहीं भी । **मदन गोपाल कक्कड़** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "35. न्यायालय की सहायता के लिए विशेषज्ञ के रूप में बुलाया गया कोई चिकित्सा साक्षी तथ्य का साक्षी नहीं होता है और चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया साक्ष्य वस्तुतः परीक्षण करने पर पाए गए लक्षणों के आधार पर दिया गया परामर्शी प्रकृति का होता है । विशेषज्ञ साक्षी से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष उन सभी सामग्रियों को आंकड़े सहित प्रस्तुत करे जिससे वह निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित हुआ तथा विज्ञान के निबंधनों को स्पष्ट करके तकनीकी पहलू पर न्यायालय का मार्गदर्शन करे ताकि न्यायालय, हालांकि वह विशेषज्ञ नहीं है, विशेषज्ञ की राय पर सम्यक् विचार करते हुए उन सामग्रियों के आधार पर अपनी स्वयं की राय बना सके क्योंकि जब एक बार विशेषज्ञ की राय को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह चिकित्सा अधिकारी की राय न होकर न्यायालय की राय हो जाती है ।"

16. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने आगे इस तथ्य पर जोर दिया कि यदि किसी अप्राप्तवय लड़की के साथ किसी पूर्ण विकसित पुरुष द्वारा बलात्संग किया जाता है तब अभियुक्त की लिंग पर क्षतियां होना लाजिमी हैं और ऐसी क्षतियों का अभाव उसकी निर्दोषिता को इंगित करेगा । वर्तमान मामले में यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया था अपितु घटना के तीन दिन पश्चात् गिरफ्तार किया गया था । इसके अतिरिक्त, विपदग्रस्तों ने प्रवेशन का अभिकथन किया है न कि आक्रामक लैंगिक कृत्य का । इसलिए अपीलार्थी की लिंग पर क्षतियां न होने की संभाव्यताएं तीनों अभियोक्त्रियों और उनके मित्र अभि. सा. 4 के अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य को असत्य साबित नहीं कर सकती हैं । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी की यह दलील भी कि दांत की छाप की परीक्षण रिपोर्ट न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजी गई थी, भ्रामक है । अभि. सा. 3 के चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए, में व्यक्त की गई राय के परिशीलन से स्वतः स्पष्ट होता है कि निशान काटने के निशान हैं किंतु इनकी गूढ़ता का मिलान नहीं किया जा सका था क्योंकि निशान स्पष्ट नहीं थे । **ओ. एम. बेबी (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया

---

[1] जे. टी. 2012 (6) एस. सी. 117.

है :–

"लैंगिक अपराध की शिकार अभियोक्त्री को सह-अपराधी के समतुल्य नहीं समझा जा सकता है । वस्तुतः, वह अपराध की शिकार है । साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक तात्विक विशिष्टियों में इसकी संपुष्टि न होती हो । निस्संदेह, वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य का उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि शारीरिक हिंसा के मामलों में किसी क्षतिग्रस्त के साक्ष्य को दिया जाता है । उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सतर्कता और सावधानी बरती जानी चाहिए जितनी किसी क्षतिग्रस्त शिकायतकर्ता या साक्षी के मामले में बरती जाती है और उससे अधिक नहीं । आवश्यक यह है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति जागरूक और सचेत रहना चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में हितबद्ध है । यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और संतुष्टि महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान ऐसा कोई विधि का नियम या परिपाटी सम्मिलित नहीं है जो न्यायालय से संपुष्टि की तलाश की अपेक्षा करती हो । यदि न्यायालय को किसी कारणवश अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर स्पष्ट अवलंब लेने में हिचकिचाहट है तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके परिसाक्ष्य के प्रति ऐसा आश्वासन दे जो सह-अपराधी के मामले में अपेक्षित संपुष्टि से कम स्तर का हो । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के प्रति आश्वासन देने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी । किंतु यदि अभियोक्त्री वयस्क है और पूर्ण समझ-बूझ की है तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए हकदार है जब तक कि ऐसे साक्ष्य को दुर्बल या अविश्वसनीय होना दर्शित न किया जाए । यदि मामले के अभिलेख पर की समग्र परिस्थितियों से यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री का आरोपित व्यक्ति को मिथ्या रूप से आलिप्त करने का कोई मजबूत हेतु नहीं है तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए ।"

17. दंडादेश से संबंधित अंतिम मुद्दे पर आते हैं । यह उल्लेखनीय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विभिन्न धाराओं के अधीन अधिनिर्णीत किए गए दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश नहीं दिया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में निम्नलिखित उपबंध है :–

> "31. एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामलों में दंडादेश – (1) जब एक विचारण में कोई व्यक्ति दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए, जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, दंडादेश दे सकता है; जब ऐसे दंड न्यायालय के रूप में हो तब यदि न्यायालय ने यह निदेश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ-साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निदेश दे ।
>
> (2) दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे परन्तु :–
>
> (क) किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा ;
>
> (ख) संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है ।
>
> (3) किसी सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग, जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं, एक दंडादेश समझा जाएगा ।"

18. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्वान् विचारण न्यायालय दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश देने के लिए सक्षम है किंतु वास्तविकता यह है कि कारावास का दंडादेश चौदह वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के अधीन अपराध के लिए चौदह वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है । विधिक स्थिति को देखते हुए, अपीलार्थी को दिए गए मूल दंडादेशों को साथ-साथ

चलने का निदेश दिया जाता है । मामले के तथ्यों में, मैं जुर्माने की रकमों और उनके व्यतिक्रम करने पर भोगने के लिए अपेक्षित दंडादेशों को कम करने के लिए तैयार नहीं हूं । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंडादेश का आदेश इस उपांतरण के साथ कायम रखे जाते हैं कि मूल दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । तद्नुसार, इस अपील का निपटारा किया जाता है ।

अपील का निपटारा किया गया ।

जस.

(2014) 1 दा. नि. प. 258 **दिल्ली**

अनवर उर्फ अध्धा और एक अन्य

बनाम

राज्य

तारीख 8 मई, 2013

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 34 – हत्या – सामान्य आशय – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों तथा घटना में क्षतिग्रस्त हुए साक्षी के परिसाक्ष्य और उसके द्वारा शनाख्त परेड में की गई अभियुक्तों की शनाख्त के आधार पर यह साबित होने पर कि दोनों अभियुक्त अपराध कारित करने में अंतर्वलित थे और उन्होंने सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक की हत्या का अपराध कारित किया, अतः विचारण न्यायालय द्वारा की गई उनकी दोषसिद्धि और दिया गया दंडादेश उचित है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 – नातेदार साक्षी – यह सुस्थिर विधि है कि ऐसे साक्षी, जो मृतक के नातेदार हैं, का साक्ष्य विश्वसनीय और तर्कसंगत पाया जाता है तो केवल इस आधार पर कि वे मृतक के नातेदार हैं, उनके साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 9 – शनाख्त परेड –

जहां घटना में क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी ने शनाख्त परेड में अभियुक्तों की शनाख्त अन्य दस व्यक्तियों के बीच में से की हो, वहां शनाख्त परेड की सत्यता और विश्वसनीयता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

मामले के तथ्यों के अनुसार मृतक अमित अपने पिता रमेश चंद सुंदरीयाल (क्षतिग्रस्त) के साथ तारीख 21 अगस्त, 2006 को दयालपुर एक्सटेंशन, मेन रोड, करावल नगर, दिल्ली स्थित अपने मेडिकल स्टोर/दुकान में मौजूद था । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने दुकान में घुसने की कोशिश की और इसका विरोध करने पर एक अभियुक्त ने अमित पर गोली चला दी जो अमित के कंधे पर लगी । उसका पिता गोली चलाने वाले व्यक्ति की ओर उसे काबू करने के लिए भागा । उस पर भी गोली चलाई गई और गोली उसके दाएं हाथ में लगने से वह क्षतिग्रस्त हो गया । उसके उपरांत अमित उसे बचाने के लिए भागा और उस समय अमित को एक और गोली लगी । हमलावरों ने एक और गोली चलाई जो मृतक को जा लगी । उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर अमित को मृत घोषित कर दिया गया । उसके पिता रमेश चंद को अस्पताल में भर्ती किया गया और उसका कथन अभिलिखित किया गया । मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई । शकील नामक अभियुक्त के प्रकटन कथन के आधार पर वर्तमान अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त शकील की विचारण के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई । अभियुक्तों की शनाख्त के लिए शनाख्त परीक्षण परेड भी आयोजित की गई और क्षतिग्रस्त साक्षी द्वारा अभियुक्तों की शनाख्त की गई । विचारण न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्तों ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र से यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 1 को अभिकथित घटना में गोली लगने की क्षतियां पहुंची थीं और उसकी मौजूदगी सिद्ध होती है । उसने संपूर्ण घटना का उल्लेख और स्मरण किया है तथा उसके कथन में कोई बड़ी विसंगति नहीं पाई गई है । उसकी प्रतिपरीक्षा में अपीलार्थियों की शनाख्त सहित ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे उसकी विश्वसनीयता और सत्यता पर संदेह पैदा होता हो । इस दृष्टि से, न्यायालय घटना और अपराधियों के रूप में अपीलार्थियों की शनाख्त के संबंध में उसके परिसाक्ष्य को स्वीकार करता है । (पैरा 17)

केवल इस कारण कि अभि. सा. 1 मृतक का पिता है, उसके साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई आधार नहीं है । यह सुस्थिर विधि है कि यदि साक्षियों, जो नातेदार हैं, का साक्ष्य विश्वसनीय और तर्कपूर्ण है, तो केवल इस कारण कि वे मृतक के नातेदार हैं, उनके परिसाक्ष्य को नकारा नहीं जाएगा । (पैरा 16)

अपीलार्थियों की ओर से काउंसेलों ने यह दलील दी कि अभि. सा. 1 द्वारा की गई अपीलार्थियों की शनाख्त पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए । अपीलार्थी अनवर की ओर से काउंसेल ने यह अभिकथन किया कि अभि. सा. 1 ने पहले ही समाचार पत्र में छपी फोटो में उसका चेहरा देख लिया था । इसके अतिरिक्त, शनाख्त परीक्षण परेड घटना के लगभग नौ मास पश्चात् आयोजित की गई थी और इसलिए इस पर संदेह किया जाना चाहिए । न्यायालय इस दलील में कोई बल नहीं पाता है । अभि. सा. 1 द्वारा तारीख 17 मई, 2007 को आयोजित की गई शनाख्त परीक्षण परेड में अपीलार्थी अनवर की शनाख्त की गई थी । उसे चेहरा ढककर लाया गया था और दस अन्य व्यक्तियों के साथ दिखाया गया था । न्यायालय के समक्ष कोई सबूत प्रस्तुत किए बिना यह उपधारणा करना गलत होगा कि समाचार पत्र में छपा फोटो अनढके चेहरे का था । न्यायालय परिसरों में पेश करने के लिए लाए गए गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के फोटो प्रकाशित किए जाते हैं किंतु बहुत-से अवसरों पर उन्हें चेहरा ढके हुए दिखाया जाता है । अभि. सा. 1 ने यह स्वीकार करते हुए सत्य कथन किया है कि उसने एक फोटोग्राफ देखा था । तथापि, उसके समक्ष यह बात नहीं उठाई गई थी कि अनवर का चेहरा दृष्टिगोचर था और उसने फोटोग्राफ देखने के कारण अनवर की शनाख्त की थी । निरीक्षक बी. पी. शर्मा (अभि. सा. 27) ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी अनवर को सारे समय चेहरा ढककर रखा गया था । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह प्रकथन किया कि अपीलार्थी अनवर की शनाख्त परीक्षण परेड के दौरान परेड में अन्य व्यक्ति भी थे और उनकी भी दाढ़ी थी और टोपियां पहने हुए थे । शनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने में हुए विलंब के संबंध में अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अपीलार्थी अनवर को तारीख 9 मई, 2007 को गिरफ्तार किया गया था । दस दिन के भीतर ही अर्थात् तारीख 17 मई, 2007 को शनाख्त परीक्षण परेड का आयोजन किया गया था, किंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि आवेदन तारीख 11 मई, 2007 को दे दिया गया था । ऐसी पृष्ठभूमि में विलंबित शनाख्त परीक्षण परेड के अभिवाक् को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । जहां तक अपीलार्थी ताहिर का संबंध

है, उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन में यह अभिकथन किया है कि उसे अभि. सा. 1 को पहले ही दिखा दिया गया था । उसने शनाख्त परीक्षण परेड में यह कहते हुए भाग लेने से इनकार कर दिया था कि पुलिस द्वारा साक्षी को पहले ही उसका चेहरा दिखा दिया गया है । कब, कहां और कैसे उसे अभि. सा. 1 को दिखाया गया था, इस संबंध में ताहिर का कथन भ्रान्तिपूर्ण रहा है । अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से न्यायालय में उसकी शनाख्त की थी । (पैरा 18)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 10 एस. सी. सी. 259 :
अब्दुल सैय्यद बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 14

[2008] (2008) 15 एस. सी. सी. 604 :
अर्जुन महतो बनाम **बिहार राज्य** ; 16

[2005] (2005) 11 एस. सी. सी. 600 :
राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)
बनाम **नवजोत संधू** ; 12

[2004] (2004) 7 एस. सी. सी. 629 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **किशन चंद** ; 15

[2003] (2003) 5 एस. सी. सी. 746 = (2003)
एस. सी. सी. (क्रि.) 1247 :
मलखान सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 18

[1993] (1993) सप्ली. (2) एस. सी. सी. 198 =
(1993) एस. सी. सी. (क्रि.) 496 :
मुल्लागिरि वजराम बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य** । 19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 1372 और 1413.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री जावेद अहमद

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री रीचा कपूर, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिया ।

न्या. खन्ना – दोनों अपीलार्थियों को तारीख 25 अगस्त, 2011 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अमित कुमार सुंदरीयाल की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन और शिकायतकर्ता रमेश चंद सुंदरीयाल (अभि. सा. 1) की हत्या के प्रयत्न के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । आक्षेपित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 452/493/398 के अधीन आरोपों को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । राज्य ने अपीलार्थियों की उक्त धाराओं के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की है । दोनों अपीलार्थियों को तारीख 5 सितम्बर, 2011 के दंडादेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया गया है । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें छह-छह मास का साधारण कारावास भुगतना होगा । अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया गया है । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें दो-दो मास का साधारण कारावास भोगना होगा ।

2. अमित पुत्र रमेश चंद सुंदरीयाल (अभि. सा. 1) की मानववध मृत्यु निर्विवाद है और अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य से संदेह के परे साबित होती है, जो तारीख 21 अगस्त, 2006 को अपराह्न में लगभग 10.45 बजे एफ-3/4, दयालपुर एक्सटेंशन, मेन रोड, करावल नगर, दिल्ली स्थित अपने मेडिकल स्टोर/दुकान में अमित के साथ मौजूद था । अमित पर एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसने दुकान में घुसने की कोशिश की थी । अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गोली अमित के कंधे पर लगी । अभि. सा. 1 गोली चलाने वाले व्यक्ति की ओर उसे काबू करने के लिए भागा । अभि. सा. 1 पर गोली चलाई गई और गोली उसके दाएं हाथ में लगने से वह क्षतिग्रस्त हो गया । उसके उपरांत अमित उसे बचाने के लिए भागा और उस समय अमित को एक और गोली लगी । हमलावरों ने एक और गोली चलाई जो अभि. सा. 1 के उदर को छूती हुई निकल गई और संभवतः उसके पुत्र को जा लगी ।

3. अभि. सा. 1 और मृतक को पहुंची क्षतियों को डा. देवेन्द्र कुमार

(अभि. सा. 22) द्वारा साबित किया गया है, जिसने तारीख 28 अगस्त, 2006 को अभि. सा. 1 का चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22/ए) तैयार किया था । चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र में यह अभिलिखित है कि अभि. सा. 1 को अभिकथित रूप से गोली लगने की क्षतियां पहुंची थीं। बाह्य परीक्षण करने पर उसे उदर पर गोली का प्रविष्टि घाव और दाएं हाथ की कलाई के निकट बीचों-बीच गोली का निकास घाव पाया । अधिजठर भाग पर भी खरोंच पाई गई । घाव का परीक्षण करने के पश्चात् डा. सुमीत चक्रवर्ती ने यह अभिलिखित किया कि शल्य अभिलेख के अनुसार क्षति की प्रकृति "साधारण" है । डा. आर. पी. सिंह ने तारीख 21 अगस्त, 2007 को एक्स-रे परीक्षण करने के पश्चात् यह राय व्यक्त की कि क्षति "गंभीर" है । चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र के अनुसार रोगी अर्थात् अभि. सा. 1 को अस्पताल में भर्ती किया गया ।

4. अमित का परीक्षण डा. अजय द्वारा किया गया और उसने चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22/बी) तैयार किया । डा. अजय के हस्तलेख और हस्ताक्षर की शनाख्त अभि. सा. 22 द्वारा की गई क्योंकि उक्त डाक्टर ने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी थी और उसका वर्तमान अता-पता नहीं था । उक्त चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22/बी) तारीख 22 अगस्त, 2006 को 12.50 बजे पूर्वाह्न में तैयार किया गया था । अमित की मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ए) में यह अभिलिखित है कि बाह्य परीक्षण करने पर गोली लगने के दो घाव पाए गए । शरीर से गोलियां निकाली गईं और उन्हें मुहरबंद किया गया । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ए) में यह अभिलिखित है कि क्षति सं. 1 प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट को डा. मेघाली (अभि. सा. 14), न्याय-आयुर्विज्ञान विभाग, जी. टी. बी. अस्पताल द्वारा साबित किया गया है । उक्त मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट डा. बरखा गुप्ता द्वारा तैयार की गई थी, जिसने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी थी और उसका वर्तमान पता-ठिकाना ज्ञात नहीं है । अभि. सा. 14 ने डा. बरखा गुप्ता के हस्तलेख और हस्ताक्षर की शनाख्त की क्योंकि उसने उसका हस्तलेख और हस्ताक्षर देखे थे । यह राय व्यक्त की गई कि मृत्यु अग्न्यायुध से गोली चलाकर हृदय और यकृत पर कारित की गई मृत्युपूर्व की क्षति के कारण हुए रक्तस्राव से पहुंचे सदमे के कारण हुई थी ।

5. जहां तक अभि. सा. 1 द्वारा यथा उल्लिखित तारीख और समय

पर प्रश्नगत दुकान में घटना घटने का संबंध है, इसे अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसकी संपुष्टि कांस्टेबल संजीव (अभि. सा. 2), जिसने फोटोग्राफ (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए1 से ए9) लिए थे, के कथन से होती है । अभि. सा. 2 द्वारा फोटोग्राफ के नेगेटिव (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/बी1 से बी10) को भी साबित किया गया है ।

6. निरीक्षक दिनेश कुमार (अभि. सा. 15) ने यह कथन किया है कि वह तारीख 21-22 अगस्त, 2006 को मोबाइल क्राइम टीम, उत्तर-पश्चिम जिला में तैनात था और वह अभि. सा. 2 के साथ घटनास्थल पर गया था तथा अपराध की घटनास्थल रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.15/ए) तैयार की थी । इसी प्रकार, सहायक उप निरीक्षक राजिन्द्र सिंह (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे तारीख 21 अगस्त, 2006 को रोजनामचा सं. 28/ए (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/ए) कार्यवाही के लिए सौंपी गई थी और वह कांस्टेबल इन्द्रेश के साथ प्रश्नगत दुकान पर गया था । इस बीच, निरीक्षक बी. पी. शर्मा (अभि. सा. 27) तथा उप निरीक्षक सतेन्द्र तोमर और अन्य कर्मचारिवृंद भी वहां पहुंच गए । कैट्स एम्बुलैंस में क्षतिग्रस्तों को अस्पताल ले जाया गया और अभि. सा. 1 तथा अमित के चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए । अभि. सा. 1 को कथन करने के लिए योग्य घोषित किया गया और उसका कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) अभिलिखित किया गया तथा पुलिस थाना, खजूरी खास में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । घटनास्थल के फोटोग्राफ खींचे गए और घटनास्थल से दो दागे हुए कारतूस, दो अनदगे कारतूस और एक कारतूस का खोल बरामद तथा मुहरबंद किए गए और ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/बी द्वारा कब्जे में लिए गए । एक 0.315 बोर का दगा हुआ कारतूस जोधाराम स्ट्रीट के निकट पड़ा हुआ पाया । घटनास्थल से रक्त, सादी मिट्टी का नमूना और रक्तरंजित मिट्टी उठाई गई और ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/सी, डी और ई द्वारा अभिगृहीत किए गए ।

7. रोजनामचा प्रविष्टि सं. 28/ए (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) उप निरीक्षक रामानंद यादव (अभि. सा. 8), ड्यूटी आफिसर द्वारा अपराह्न में लगभग 11.17 बजे की गई थी । उसने यह उल्लेख किया है कि अभि. सा. 5 और कांस्टेबल इन्द्रेश को घटनास्थल पर जाने की ड्यूटी सौंपी गई थी । अन्वेषक अधिकारी, निरीक्षक बी. पी. शर्मा (अभि. सा. 27) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 21 अगस्त, 2006 को रोजनामचा प्रविष्टि सं. 28/ए प्राप्त होने पर वह उप निरीक्षक सतेन्द्र तोमर और अन्य पुलिस

पदधारियों के साथ घटनास्थल पर गया था । उस समय तक अभि. सा. 1 और अमित को कैट्स एम्बुलैंस में अस्पताल ले जाया जा चुका था । वह जी. टी. बी. अस्पताल गया और अमित तथा अभि. सा. 1 के चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्राप्त किए । अभि. सा. 27 ने अभि. सा. 1 का कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) अभिलिखित किया और उसके अंगूठे की छाप ली क्योंकि उसका दायां हाथ क्षतिग्रस्त था । उसने रुक्का तैयार किया और इसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए इन्द्रेश को सौंपा । उसने घटनास्थल से सादी मिट्टी, रक्त के नमूने और रक्तरंजित मिट्टी उठाई और उन्हें ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/सी से 5/ई द्वारा अभिगृहीत किया । दो दगे हुए कारतूस, दो अनदगे कारतूस, 0.315 बोर का एक दगा हुआ कारतूस और एक गोली का खोल बरामद किए । रमेश चंद द्वारा स्थल नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 27/डी) बनाया गया ।

8. वर्तमान अपीलों में उठाया गया मुख्य मुद्दा दोनों अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता से संबंधित है और क्या वे वही अपराधी हैं जिन्होंने ऐसी क्षतियां कारित की थीं जिनके परिणामस्वरूप गोली लगने के घाव कारित हुए और उनसे अमित की मृत्यु हो गई तथा अभि. सा. 1 को क्षतियां पहुंचीं ।

9. निरीक्षक बी. पी. शर्मा (अभि. सा. 27) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 3 जनवरी, 2007 को पुलिस थाना, गोकुलपुरी से वर्तमान मामले में शकील **उर्फ** कालिया के अंतर्ग्रस्त होने की आशंका और उसकी अंतर्ग्रस्तता के बारे में उसके द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टि सं. 54-बी प्राप्त हुई । वर्तमान मामले में शकील का भी सह-अभियुक्त के रूप में विचारण किया गया था, किंतु विचारण के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 27 ने न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् शकील से परिप्रश्न किए थे और उसे वर्तमान मामले में ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 27/एच द्वारा औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था । शकील ने प्रकटन कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 27/एच-2 किया । अभि. सा. 27 ने एक चालान तैयार किया और वर्तमान अपीलार्थियों अर्थात् अनवर और ताहिर को आरोपपत्र के स्तंभ सं. 2 में रखा गया, चूंकि उनके विरुद्ध उन्हें उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित करने की कार्यवाहियां लंबित थीं । तारीख 9 मई, 2007 को निरीक्षक एस. के. गिरि, विशेष प्रकोष्ठ, लोधी कालोनी से पुलिस थाना, खजूरी खास में रोजनामचा प्रविष्टि सं. 60-बी (पी-27/ए के रूप में चिन्हित) प्राप्त हुई कि अपीलार्थी अनवर को वर्तमान मामले में ज्ञापन प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 27/जे द्वारा

औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है । अनवर का प्रकटन कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 27/जे-1 अभिलिखित किया गया । उसके पश्चात् उसे न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया गया और इस दौरान उसका चेहरा ढककर रखा गया था । शनाख्त परीक्षण परेड कराने के लिए अनुरोध किया गया और शनाख्त परीक्षण परेड कार्यवाहियां तारीख 17 मई, 2007 को संचालित की गईं । हम शनाख्त परीक्षण परेड कार्यवाहियों को अलग से निर्दिष्ट करेंगे । अनवर के मकान सं. 650, गली सं. 1, मोहल्ला चार दिवारी, इस्लामाबाद, पुलिस थाना, लिसारी गेट, मेरठ की ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/ए द्वारा तलाशी ली गई । अभि. सा. 27 ने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि ताहिर के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गईं । तारीख 21 जुलाई, 2007 को विशेष प्रकोष्ठ, लोधी रोड के उप निरीक्षक शिव कुमार द्वारा पुलिस थाना, खजूरी खास में ताहिर की अंतर्ग्रस्तता की आशंका के बारे में रोजनामचा प्रविष्टि सं. 37-ए दर्ज की गई और यह बताया कि उसे तीस हजारी न्यायालय में पेश किया जाएगा । ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा लेने के पश्चात् ताहिर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया । उसने एक प्रकटन कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/बी, किया । ताहिर की शनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने के लिए एक आवेदन दिया गया, किंतु उसने उक्त कार्यवाहियों में भाग लेने से इनकार कर दिया । तारीख 4 अगस्त, 2007 को ताहिर के मकान सं. 195, गली सं. 1, मोहल्ला किदवई नगर, पुलिस थाना, लिसारी गेट, मेरठ की तलाशी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 20/बी द्वारा ली गई, किंतु अपराध में आलिप्त करने वाली कोई चीज बरामद नहीं हुई ।

10. हैड कांस्टेबल विजय सिंह (अभि. सा. 3) ने शकील की तारीख 29 दिसम्बर, 2006 को की गई गिरफ्तारी के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि शकील से एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे । कांस्टेबल राजेन्द्र कुमार (अभि. सा. 18) ने यह कथन किया है कि वह तारीख 22 मई, 2007 को अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 27) और कांस्टेबल जीत पाल के साथ अपीलार्थी अनवर का प्रतिप्रेषण (रिमांड) अभिप्राप्त करने के लिए कड़कड़डुमा न्यायालय गया था और उसे उक्त न्यायालय में पेश किया गया था । रिमांड का अनुरोध मंजूर किया गया था । हैड कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 20) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह तारीख 3 अगस्त, 2007 को कांस्टेबल अब्दुल सत्तार और निरीक्षक बी. पी. शर्मा (अभि. सा. 27) के

साथ मामले के अन्वेषण में सम्मिलित हुआ और वे कड़कड़डुमा न्यायालय गए और अपीलार्थी को दो दिन अर्थात् 5 अगस्त, 2007 तक रिमांड पर लिया गया था । ताहिर के मकान की तलाशी ली गई थी, किंतु अपराध में आलिप्त करने वाली कोई चीज बरामद नहीं हुई । ताहिर ने यह उजागर किया कि उसने आक्रामक आयुध अर्थात् रिवाल्वर को हिंडन नदी में फेंक दिया था, किंतु आयुध बरामद नहीं हुआ । इसी प्रकार का कथन कांस्टेबल हंस राज (अभि. सा. 21) द्वारा किया गया है, जो कि पुलिस दल का सदस्य था और उसने अपीलार्थी अनवर के मकान की तलाशी ली थी । अनवर ने यह कथन किया है कि उसने आक्रामक आयुध को हिंडन नदी में फेंक दिया था, किंतु इसे बरामद नहीं किया जा सका । इस प्रक्रम पर हम केवल यह अभिलिखित करते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को दृष्टिगत करते हुए उक्त साक्षी का अभिसाक्ष्य और आक्रामक आयुध फेंके जाने तथा आक्रामक आयुध को बरामद करने में असफल रहने की बाबत अनवर और ताहिर द्वारा किए गए कथन अग्राह्य हैं और इन पर कोई न्यायिक अवेक्षा नहीं की जा सकती है ।

11. विशेष प्रकोष्ठ, लोधी रोड के उप निरीक्षक शिव कुमार, जो अभि. सा. 26 के रूप में उपसंजात हुआ, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वे तारीख 8 मई, 2007 को मेरठ गए थे क्योंकि अपीलार्थी अनवर इस मामले में वांछित था । अनवर को पूर्वाह्न में 11.00 बजे नाले की पुलिया के निकट इस्टर्न कोर्ट रोड, मेरठ से गिरफ्तार किया गया था । उसने एक प्रकटन कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 26/ए, किया । तारीख 21 जुलाई, 2007 को अन्य अपीलार्थी ताहिर, जिस पर 10,000/- रुपए का इनाम था, को भी गढ़ बस अड्डा, सोराब गेट, मेरठ से गिरफ्तार किया गया था । उसका प्रकटन कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 26/एच द्वारा अभिलिखित किया गया था । पुलिस थाना, विशेष प्रकोष्ठ में पहुंच प्रविष्टि (प्रविष्टि सं. 10, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 26/जे) की गई । अपीलार्थियों को ड्यूटी मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया । उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि वे मेरठ के लिए पूर्वाह्न में 7.30/8.00 बजे चले थे और वहां पूर्वाह्न में 11.00 बजे पहुंचे थे । उन्होंने अपराह्न में 3.30-4.00 बजे तक अपीलार्थी ताहिर की तलाश की थी । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि ताहिर को स्थानीय पुलिस थाने नहीं ले जाया गया था, किंतु इस बात से इनकार किया कि अपीलार्थी के कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए थे । अपीलार्थी को सड़क पर पैदल जाते हुए गिरफ्तार किया गया था और उसने भागने

की कोशिश नहीं की थी ।

12. इस प्रक्रम पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन अनुज्ञात और मंजूर सीमा तक शकील के आचरण की ग्राह्यता को स्पष्ट करना आवश्यक है । **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)** बनाम **नवजोत संधू**[1] वाले मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि :–

> "205. आगे अग्रसर होने से पूर्व हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 का उल्लेख कर सकते हैं । धारा 8, जहां तक यह हमारे प्रयोजन के लिए सुसंगत है, किसी अभियुक्त व्यक्ति के आचरण को तब सुसंगत बनाती है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या से प्रभावित होता है । आचरण या तो पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती हो सकता है । इस धारा के साथ दो स्पष्टीकरण हैं, जो 'आचरण' शब्द की परिधि को स्पष्ट करते हैं । ये स्पष्टीकरण निम्नलिखित हैं –
>
> > 'स्पष्टीकरण 1. – इस धारा में 'आचरण' शब्द के अन्तर्गत कथन नहीं आते, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्य के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
> >
> > स्पष्टीकरण 2. – जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है ।'
>
> आचरण ग्राह्य होने के लिए ऐसा होना चाहिए कि इसका विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के साथ निकट संबंध हो । स्पष्टीकरण-1 यह स्पष्ट करता है कि केवल ऐसे कथन, जो कार्यों से सुभिन्न हैं, तब तक 'आचरण' को गठित नहीं करते हैं, जब तक वे कथन 'उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों ।' कार्यों के साथ जुड़े ऐसे कथन संबंधित कार्य और तथ्य का साक्ष्य होना समझे जाते हैं । धारा 8 से संलग्न दो दृष्टांतों का विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है –

---

[1] (2005) 11 एस. सी. सी. 600.

'(च) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा ।

ये तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात् ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए पुलिस आ रही है और यह कि उसके तुरंत पश्चात् क भाग गया, सुसंगत है ।

* * *

(झ) क किसी अपराध का अभियुक्त है ।

ये तथ्य कि अभिकथित अपराध किए जाने के पश्चात् वह फरार हो गया, या कि उस अपराध से अर्जित सम्पत्ति के आगम उसके कब्जे में थे, या कि उसने उन वस्तुओं को, जिनसे उसने अपराध किया था, या किया जा सकता था, छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत है ।'

206. हमने पहले ही **प्रकाश चंद** [(1979) 3 एस. सी. सी. 90 = (1979) एस. सी. सी. (क्रि.) 656 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 400] वाले मामले में अभियुक्त के आचरण, जो कि धारा 8 के अधीन ग्राह्य है और अन्वेषण के अनुक्रम में किसी पुलिस अधिकारी को किए गए कथन, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के प्रतिकूल है, के बीच की भिन्नता का विशेष रूप से उल्लेख किया है । **प्रकाश चंद** (उपरोक्त) वाले मामले में उल्लिखित अनुसार, किसी परिस्थिति का केवल यह साक्ष्य कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को वह स्थान बताया, जहां चुराई गई वस्तुएं या अपराध करने में प्रयुक्त आयुध छिपाकर रखे गए हैं, इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि अभियुक्त द्वारा किया गया कथन ऐसे आचरण के समकालीन या पश्चात्वर्ती है, धारा 8 के अधीन 'आचरण' के रूप में ग्राह्य होगा और धारा 27 की परिधि के अन्तर्गत आता है । हिमाचल प्रदेश प्रशासन **बनाम** ओम प्रकाश [(1972) 1 एस. सी. सी. 249 = (1972) एस. सी. सी. (क्रि.) 88 = ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 975] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है –

> 'यहां तक कि धारा 27 के अधीन जानकारी की ग्राह्यता के अतिरिक्त, अन्वेषक अधिकारी और पंचों का यह साक्ष्य कि अभियुक्त उन्हें अभि. सा. 11 (जिससे उसने आयुध खरीदा था) के पास ले गया था और उसे बताया था तथा जैसी कि स्वयं अभि. सा. 11 द्वारा भी इसकी संपुष्टि की गई है, अधिनियम की

धारा 8 के अधीन अभियुक्त के आचरण के रूप में ग्राह्य होगा ।'

इस मामले में शकील द्वारा दिए गए सुरागों के आधार पर ही दोनों अपीलार्थियों को दबोचा गया था और वर्तमान मामले में अन्तर्ग्रस्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था । तथापि, यह बात उनके विरुद्ध मामले को साबित या सिद्ध नहीं करती है । इससे पुलिस अन्वेषण को एक कड़ी और निरन्तरता मिली जिसके परिणामस्वरूप दोनों अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया ।

13. रमेश चंद सुंदरीयाल (अभि. सा. 1) वर्तमान मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसके पुत्र की घटना में हत्या हुई थी । उसने घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 21 अगस्त, 2006 को अपराह्न में लगभग 10.45 बजे अपीलार्थी ताहिर, जिसकी उसने न्यायालय में शनाख्त की, ने दुकान में घुसने की कोशिश की । अभि. सा. 1 का पुत्र अमित, जो काउंटर के निकट खड़ा था, ने उसके प्रयत्न का विरोध करने की कोशिश की । यह देखकर अभि. सा. 1 काउंटर के थोड़ा निकट आया । अपीलार्थी ताहिर ने इसी बीच अपनी पैंट से रिवाल्वर निकाल ली । अपीलार्थी ताहिर के किसी अन्य साथी ने गोली चला दी जो अमित के कंधे में लगी । अभि. सा. 1 ने अपीलार्थी ताहिर को काबू में करने की कोशिश की, ताहिर ने उसके दाहिने हाथ में गोली मार दी । उक्त गोली से निकासी घाव बन गया । इसी समय अमित अभि. सा. 1 को बचाने के लिए दौड़ा और ताहिर द्वारा उस पर गोली चला दी गई । अमित नीचे गिर पड़ा । अपीलार्थी ताहिर ने एक और गोली चलाई, जो अभि. सा. 1 के उदर को छूती हुई निकल गई और अधिसम्भाव्यतः उसके पुत्र को जा लगी । कुल पांच गोलियां चलाई गईं, तीन अभि. सा. 1 के पुत्र अमित को और दो क्षतिग्रस्त अभि. सा. 1 को लगीं । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि ताहिर के साथ दो अन्य साथी थे, एक सड़क के पार खड़ा था और एक साथी, जिसकी इस साक्षी ने अपीलार्थी अनवर के रूप में शनाख्त की, सड़क के बीचोंबीच यातायात को रोकने के लिए खड़ा था ताकि कोई बीच-बचाव न कर सके । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि तीसरे अपराधी ने अमित पर एक गोली चलाई थी और वह उसके चेहरे की, यदि उसे दिखाया जाए, शनाख्त कर सकता है । अपीलार्थी दुकान से भाग गए । आसपास के लोग अभि. सा. 1 और उसके पुत्र अमित को मामवी अस्पताल लेकर गए । उनको जी. टी. बी. अस्पताल, शाहदरा पहुंचाने से पूर्व अमित को पहले तो एक पुलिस जिप्सी में और फिर

एक एम्बुलैंस में ले जाया गया था । अस्पताल में अमित को मृत घोषित कर दिया गया । पुलिस में शिकायत पूर्वाह्न में 2.00-2.30 बजे दर्ज की गई और उसका कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए, अभिलिखित किया गया । उसने शव (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) की शनाख्त की । उसके पश्चात् मई, 2007 में इस साक्षी को शकील की शनाख्त करने के लिए केन्द्रीय कारागार ले जाया गया । अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने शकील और अनवर के नाम, उनकी गिरफ्तारी के पश्चात्, समाचार पत्र में पढ़े थे । अपीलार्थी ताहिर को शनाख्त के लिए उसे नहीं दिखाया गया था और उसने (अभि. सा. 1) ने उसे पहली बार न्यायालय में देखा था । विस्तारपूर्वक की गई प्रतिपरीक्षा में यह बात आई है कि जब अपराह्न में 10.45 बजे घटना घटी थी, तब अभि. सा. 1 अपने पुत्र से 6-7 फुट दूर था । अभि. सा. 1 पीसीआर को टेलीफोन किया था और टेलीफोन का रिसीवर चोपड़ा नामक व्यक्ति को सौंपा था, जो गोलियां चलने की आवाज सुनकर वहां आया था । अपीलार्थी ताहिर और अमित के बीच कुछ हाथापाई हुई थी । ताहिर ने अमित को धक्का दिया था और गाली दी थी, जिस पर अमित काउंटर के बाहर आ गया और दुकान के सामने था । अपीलार्थी उस समय 5-6 फुट दूर पीछे हट गया । जब गोली चलाई गई तो अभि. सा. 1 शोर मचाते हुए ताहिर को काबू करने के लिए दौड़ा । उसके पुत्र अमित ने भी शोर मचाया और वहां लोग एकत्रित हो गए । अपीलार्थी अनवर 10-15 फुट दूर सड़क पर खड़ा था और एक अन्य अभियुक्त सड़क के पार 40-45 फुट दूर खड़ा था । ये अपीलार्थी वहां स्थिति का निर्धारण करने के लिए खड़े थे । अपराधियों में से एक सफेद पैंट और टी-शर्ट पहने हुए था, किंतु इस साक्षी को यह स्मरण नहीं आया कि उसने यह तथ्य पुलिस को बताया था या नहीं । उसके रक्तरंजित कपड़े अभिगृहीत नहीं किए गए थे । दुकान के अन्दर रक्त पड़ा हुआ था क्योंकि अभि. सा. 1 दराज से धन लेने के लिए अन्दर गया था । अमित नाले के निकट पड़ा था । उसकी मौजूदगी में कोई अन्य कथन अभिलिखित नहीं किया गया था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि घटना के 4-5 दिन पश्चात् पुलिस द्वारा कड़कड़डुमा न्यायालय में अपीलार्थी ताहिर को दिखाया गया था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि अपीलार्थी अनवर का फोटो उसे दिखाया गया था । अपीलार्थी अनवर की शनाख्त परीक्षण परेड के संबंध में अभि. सा. 1 ने सहमति जताई कि अपीलार्थी अनवर की दाढ़ी थी, किंतु यह कथन किया कि उसने घटना के पश्चात् दाढ़ी उगा ली होगी । इस साक्षी ने यह प्रकथन किया

कि शनाख्त परीक्षण परेड के दौरान पंक्ति में अन्य व्यक्ति भी थे जिनकी दाढ़ी थी या टोपी पहने हुए थे । उसने यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि अपीलार्थियों के नाम समाचार पत्र में नहीं छपे थे, किंतु यह साक्षी स्मरण नहीं कर सका कि उसने यह किस समाचार पत्र में पढ़ा था । समाचार पत्र की रिपोर्ट के अतिरिक्त उसे अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस द्वारा बताया गया था । अपीलार्थी अनवर के बारे में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि यह अपीलार्थी उससे 15 कदम की दूरी पर खड़ा था और उसे क्षति उसकी रिवाल्वर से पहुंची थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि गोलियां एक रिवाल्वर और देशी पिस्तौल से चलाई गई थी, किंतु वह उक्त आयुधों के निर्माण और प्रत्येक पिस्तौल से कितनी-कितनी गोलियां चलाईं गईं थीं, का ब्यौरा नहीं दे सका । घटना के समय अपीलार्थियों ने अपने चेहरे नहीं ढके हुए थे ।

14. **अब्दुल सैय्यद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में क्षतिग्रस्त साक्षियों के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "28. ऐसे साक्षी, जो घटना के दौरान स्वयं क्षतिग्रस्त हुआ है, के साक्ष्य को दिए जाने वाले अधिमान के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है । जहां घटना का कोई साक्षी स्वयं घटना में क्षतिग्रस्त हुआ है, ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य को साधारणतः अति विश्वसनीय होना समझा जाता है क्योंकि वह ऐसा साक्षी है जो घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी की निहित गारंटी के साथ साक्ष्य देने के लिए आता है और किसी अन्य व्यक्ति को मिथ्या फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर (हमलावरों) को बचाना असंभाव्य है । क्षतिग्रस्त साक्षी को अविश्वसनीय ठहराने के लिए विश्वासप्रद साक्ष्य अपेक्षित है ।"

15. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **किशन चंद**[2] वाले मामले में इस प्रकार का मत व्यक्त किया गया है :–

> "10. .....क्षतिग्रस्त साक्षी के परिसाक्ष्य की अपनी ही सुसंगतता और प्रभाव है । यह तथ्य कि साक्षियों को घटना के समय और स्थल पर क्षतियां पहुंची थीं, इससे उनके इस परिसाक्ष्य का समर्थन होता है कि साक्षी घटना के दौरान मौजूद थे ।"

---

[1] (2010) 10 एस. सी. सी. 259.

[2] (2004) 7 एस. सी. सी. 629.

16. केवल इस कारण कि अभि. सा. 1 मृतक का पिता है, उसके साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई आधार नहीं है । यह सुस्थिर विधि है कि यदि साक्षियों, जो नातेदार हैं, का साक्ष्य विश्वसनीय और तर्कपूर्ण है, तो केवल इस कारण कि वे मृतक के नातेदार हैं, उनके परिसाक्ष्य को नकारा नहीं जाएगा । **अर्जुन महतो** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में यह दोहराया गया है कि :–

> "13. केवल इस कारण कि साक्षी पारिवारिक सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वतः त्यक्त नहीं किया जा सकता है । जब हितबद्धता का अभिकथन किया जाता है तो ऐसे अभिकथन को सिद्ध किया जाना चाहिए । मात्र यह कथन कि मृतक के नातेदार होने के कारण उनके द्वारा अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाना संभाव्य है, उनके साक्ष्य को, जो अन्यथा तर्कपूर्ण और विश्वासप्रद है, त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है । हम अभियोजन के वृत्तांत को अग्रसर करने के लिए साक्षियों की हितबद्धता से संबंधित दलील पर भी विचार करेंगे । नातेदारी ऐसा कारक नहीं है जो किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करे । प्रायः कोई नातेदार वास्तविक अपराधी को छिपाकर किसी निर्दोष के विरुद्ध अभिकथन नहीं करेगा । यदि मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया जाता है तो इसका आधार प्रस्तुत किया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में न्यायालय को सतर्कता बरतनी चाहिए और यह पता लगाने के लिए कि क्या अभिकथन तर्कपूर्ण और विश्वसनीय है, साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना चाहिए ।"

17. चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22/क) से यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 1 को अभिकथित घटना में गोली लगने की क्षतियां पहुंची थीं और उसकी मौजूदगी सिद्ध होती है । उसने संपूर्ण घटना का उल्लेख और स्मरण किया है तथा उसके कथन में कोई बड़ी विसंगति नहीं पाई गई है । उसकी प्रतिपरीक्षा में अपीलार्थियों की शनाख्त सहित ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे उसकी विश्वसनीयता और सत्यता पर संदेह पैदा होता हो । इस दृष्टि से, हम घटना और अपराधियों के रूप में अपीलार्थियों की शनाख्त के संबंध में उसके परिसाक्ष्य को स्वीकार करते हैं ।

18. अपीलार्थियों की ओर से काउंसेलों ने यह दलील दी कि अभि. सा. 1 द्वारा की गई अपीलार्थियों की शनाख्त पर विश्वास नहीं किया जाना

---

[1] (2008) 15 एस. सी. सी. 604.

चाहिए । अपीलार्थी अनवर की ओर से काउंसेल ने यह अभिकथन किया कि अभि. सा. 1 ने पहले ही समाचार पत्र में छपी फोटो में उसका चेहरा देख लिया था । इसके अतिरिक्त, शनाख्त परीक्षण परेड घटना के लगभग नौ मास पश्चात् आयोजित की गई थी और इसलिए इस पर संदेह किया जाना चाहिए । हम इस दलील में कोई बल नहीं पाते हैं । अभि. सा. 1 द्वारा तारीख 17 मई, 2007 को आयोजित की गई शनाख्त परीक्षण परेड (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 24/ए) में अपीलार्थी अनवर की शनाख्त की गई थी । उसे चेहरा ढककर लाया गया था और दस अन्य व्यक्तियों के साथ दिखाया गया था । हमारे समक्ष कोई सबूत प्रस्तुत किए बिना यह उपधारणा करना गलत होगा कि समाचार पत्र में छपा फोटो अनढके चेहरे का था । न्यायालय परिसरों में पेश करने के लिए लाए गए गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के फोटो प्रकाशित किए जाते हैं किंतु बहुत-से अवसरों पर उन्हें चेहरा ढके हुए दिखाया जाता है । अभि. सा. 1 ने यह स्वीकार करते हुए सत्य कथन किया है कि उसने एक फोटोग्राफ देखा था । तथापि, उसके समक्ष यह बात नहीं उठाई गई थी कि अनवर का चेहरा दृष्टिगोचर था और उसने फोटोग्राफ देखने के कारण अनवर की शनाख्त की थी । निरीक्षक बी. पी. शर्मा (अभि. सा. 27) ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी अनवर को सारे समय चेहरा ढककर रखा गया था । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह प्रकथन किया कि अपीलार्थी अनवर की शनाख्त परीक्षण परेड के दौरान परेड में अन्य व्यक्ति भी थे और उनकी भी दाढ़ी थी और टोपियां पहने हुए थे । शनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने में हुए विलंब के संबंध में अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अपीलार्थी अनवर को तारीख 9 मई, 2007 को गिरफ्तार किया गया था । दस दिन के भीतर ही अर्थात् तारीख 17 मई, 2007 को शनाख्त परीक्षण परेड का आयोजन किया गया था, किंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि आवेदन तारीख 11 मई, 2007 को दे दिया गया था । ऐसी पृष्ठभूमि में विलंबित शनाख्त परीक्षण परेड के अभिवाक् को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । जहां तक अपीलार्थी ताहिर का संबंध है, उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन में यह अभिकथन किया है कि उसे अभि. सा. 1 को पहले ही दिखा दिया गया था । उसने शनाख्त परीक्षण परेड में यह कहते हुए भाग लेने से इनकार कर दिया था कि पुलिस द्वारा साक्षी को पहले ही उसका चेहरा दिखा दिया गया है । कब, कहां और कैसे उसे अभि. सा. 1 को दिखाया गया था, इस संबंध में ताहिर का कथन भ्रान्तिपूर्ण रहा है । अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से न्यायालय में उसकी शनाख्त की थी । **मलखान**

सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया है :–

> "7. यह सामान्य बात है कि सारभूत साक्ष्य न्यायालय में की गई शनाख्त का साक्ष्य होता है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट उपबंधों के अतिरिक्त विधि की स्थिति इस न्यायालय के अनेक विनिश्चयों द्वारा स्थिर की गई है । साधारण नियम के रूप में, किसी साक्षी का सारभूत साक्ष्य न्यायालय में किया गया कथन है । विचारण के दौरान पहली बार की गई अभियुक्त व्यक्ति की मात्र शनाख्त का साक्ष्य इसकी प्रकृति से ही अन्तर्निहित रूप से एक कमजोर साक्ष्य होता है । इसलिए पूर्विक शनाख्त परीक्षण परेड का प्रयोजन उस साक्ष्य की विश्वसनीय की परख करना इसे मजबूती प्रदान करना है । तद्नुसार, यह प्रज्ञा का एक सुरक्षित नियम समझा जाता है कि साधारणतः न्यायालय में अभियुक्तों, जो साक्षियों के लिए अपरिचित हैं, की शनाख्त के बारे में साक्षियों के शपथपूर्वक परिसाक्ष्य की संपुष्टि की प्रत्याशा पूर्ववर्ती शनाख्त कार्यवाहियों में की जाए । तथापि, प्रज्ञा का यह नियम अपवादों के अध्यधीन है, उदाहरण के लिए, जब न्यायालय किसी ऐसे विशिष्ट साक्षी से प्रभावित हो, जिसके परिसाक्ष्य पर वह ऐसी या संपुष्टि के बिना सुरक्षित रूप से विश्वास कर सकता हो । शनाख्त परेडों का संबंध अन्वेषण के प्रक्रम से है और दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो अन्वेषक अभिकरण को शनाख्त परेड आयोजित करने के लिए बाध्य करता हो, या अभियुक्त को शनाख्त परीक्षण परेड का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदत्त करता हो । इनसे सारभूत साक्ष्य का गठन नहीं होता है और ये परेडें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन शासित होती हैं । शनाख्त परीक्षण परेड आयोजित करने में असफल रहना न्यायालय में की गई शनाख्त के साक्ष्य को अग्राह्य नहीं बनाएगा । ऐसी शनाख्त को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, यह विषय तथ्य के न्यायालयों का होना चाहिए । समुचित मामलों में न्यायालय संपुष्टि की बात पर जोर दिए बिना भी शनाख्त के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है ।"

19. **मुल्लागिरि वजराम** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में यह

---

[1] (2003) 5 एस. सी. सी. 746 = (2003) एस. सी. सी. (क्रि.) 1247.

[2] (1993) सप्ली. (2) एस. सी. सी. 198 = (1993) एस. सी. सी. (क्रि.) 496.

अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि साक्षी द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा में देखा गया था, तो भी शनाख्त परीक्षण परेड में की गई कोई कमी मामले के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगी, चूंकि न्यायालय में दिए गए साक्षियों के अभिसाक्ष्य विश्वसनीय हैं और दोषसिद्धि की जा सकती है । फोटो की शनाख्त और शनाख्त परीक्षण परेड अन्वेषण में केवल सहायक होते हैं और इनसे सारभूत साक्ष्य का गठन नहीं होता है । सारभूत साक्ष्य न्यायालय में शपथ पर दिया गया साक्ष्य है ।

20. इस स्थिति को दृष्टिगत करते हुए, अपीलार्थी अनवर और ताहिर की दोषसिद्धि और दंडादेश कायम रखे जाते हैं । ये अपीलें खारिज की जाती हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.

(2014) 1 दा. नि. प. 276 **दिल्ली**

अशोक कुमार

बनाम

राज्य

तारीख 7 अक्तूबर, 2013

न्यायमूर्ति एस. पी. गर्ग

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498-क/304-ख – विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता और दहेज-मृत्यु – दहेज की मांग और तंग करने का साक्ष्य अभियोजन साक्षियों तथा मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए गए मृतका के मृत्युकालिक कथन से सिद्ध होने और कथन तर्कपूर्ण और विश्वसनीय पाए जाने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है और उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त-अपीलार्थी का विवाह तारीख 29 नवम्बर, 1993 को मृतका सुमन के साथ हुआ था । तारीख 18 जून, 1997 को उसे ससुराल में दाह क्षतियां पहुंचीं और उसे राम मनोहर

लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया । उसकी तारीख 26 जून, 1997 को क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । उसने तारीख 18/19 जून, 1997 की मध्यवर्ती रात्रि में उप मण्डल मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए गए अपने कथन में अपने पति और सास को दहेज की मांग के लिए तंग करने के लिए आलिप्त किया । उप मण्डल मजिस्ट्रेट ने अन्वेषक अधिकारी को सुसंगत अपराधों के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का निदेश दिया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् न्यायालय में अभियुक्त-अपीलार्थी अशोक कुमार और उसकी माता पुष्पा देवी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने और पक्षकारों की विरोधी दलीलों पर विचार करने के पश्चात् आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और धारा 304-ख के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । पुष्पा देवी को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दोषसिद्ध किया गया और राज्य ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन उसकी दोषमुक्ति को चुनौती नहीं दी । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उप मण्डल मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि विपदग्रस्त के साथ उस समय कोई नहीं था जब उसने उसका कथन अभिलिखित किया था । मृत्युकालिक कथन मरणासन्न व्यक्ति पर कोई प्रभाव डाले बिना शीघ्रतम अवसर पर किया गया था । इस पर संदेह करने का कतई कोई कारण नहीं है । इस कथन को एक सुसंगत और सत्य कथन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जो उन परिस्थितियों को प्रकट करता है जिनमें विपदग्रस्त की मृत्यु हुई । विपदग्रस्त और उसके माता-पिता का अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाने का कोई अंतरस्थ हेतु नहीं था । विपदग्रस्त ने सुस्पष्ट ब्यौरे दिए हैं कि उसे कैसे और किन परिस्थितियों में तंग किया गया था और धन की मांग को लेकर क्रूरता की गई थी । अपीलार्थी उसे अपने माता-पिता से नकदी लाने के लिए बाध्य करता रहता था और इस नगदी को लॉटरी में उड़ा देता था । अभि. सा. 6 राजेन्द्र कुमार शर्मा ने विपदग्रस्त के बयान की तात्विक पहलुओं पर संपुष्टि की है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि विवाह के आठ माह के पश्चात् अशोक और उसकी माता ने सुमन से दहेज और नकदी की मांग करनी आरंभ कर दी । अशोक सारी कमाई शराब और लॉटरी में उड़ा देता

था और उसके लिए नकदी नहीं लाने के लिए सुमन की पिटाई करता था । जब कभी सुमन आती थी और इस साक्षी से धन देने के लिए कहती थी तो वह उसे धन दे देता था । उसने अपनी पुत्री सुमन के माध्यम से अशोक को 4,000/- रुपए और 5,000/- रुपए संदत्त किए थे । अशोक ने एक दीवान को छोड़कर दहेज की सभी वस्तुएं बेच दी थीं । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया कि सुमन को दिए गए 4,000/- रुपए और 5,000/-रुपए समय-समय पर विभिन्न त्यौहारों/अवसरों पर दिए जाने वाले प्रथागत संदाय थे । अपीलार्थी की यह दलील सारहीन है कि चूंकि अभि. सा. 6 की वित्तीय सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए उससे दहेज/नकदी की मांग करने की कोई संभावना नहीं थी । दोनों पक्षकार समाज के गरीब वर्ग से हैं । वर्ष 1997 में 4,000/- या 5,000/- रुपए का विपदग्रस्त के गरीब पिता के लिए बहुत अधिक महत्व था । विपदग्रस्त के मृत्युकालिक कथन में उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व अपीलार्थी द्वारा नकदी की मांग करने और नकदी का संदाय नहीं करने के कारण तंग करने की बाबत विनिर्दिष्ट उल्लेख है । यहां तक कि घटना के दिन भी धन की मांग को लेकर झगड़ा हुआ था और विपदग्रस्त को अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कने के लिए मजबूर किया था । विपदग्रस्त के पास अतिवादी कदम उठाने के लिए कोई अन्य बाध्यकारी कारण नहीं था । अपीलार्थी ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि सुमन की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति थी या आत्महत्या करने की धमकी देती रहती थी । विपदग्रस्त को अभिकथित आत्महत्या करने की प्रवृत्ति (यदि कोई थी) को ठीक करने के लिए किसी समय कोई उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया था । यह दलील उसके कथन को अविश्वसनीय ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है । इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपदग्रस्त ने घटना से पूर्व अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दहेज की मांग के कारण तंग करने के लिए प्राधिकारियों के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी । रूढ़िजन्य और प्रथागत भारतीय समाज में कोई रूढ़िवादी स्त्री किसी व्यक्ति के समक्ष, चाहे वह कितना/कितनी ही घनिष्ठ क्यों न हो, पारिवारिक तनातनी को प्रकट नहीं करना चाहेगी । केवल इस कारण कि मृतका ने दहेज की मांग या तंग करने के बारे में घनिष्ठ मित्रों को नहीं बताया था, इस बात से दहेज की मांग का अभाव निश्चित रूप से साबित नहीं होता है । यदि दहेज की मांग से संबंधित साक्ष्य मृत्युकालिक कथन में सिद्ध होता है और कथन तार्किक और विश्वसनीय है, तो केवल इस कारण कि विपदग्रस्त ने तंग या क्रूरता करने के बारे में पूर्व में किसी प्राधिकारी के

समक्ष नहीं बताया था, इस बात का वास्तव में कोई महत्व नहीं होगा । मृत्युकालिक कथन स्वीकार करने योग्य है । यह सत्य और स्वैच्छिक, प्रभाव या विद्वेष रहित है और दोषसिद्धि का आधार गठित कर सकता है । अभि. सा. 6 राजेन्द्र कुमार शर्मा का कथन घटना के अगले दिन श्री एच. पी. एस. सरन, उप मण्डल अधिकारी द्वारा तीस हजारी स्थित अपने कार्यालय में अभिलिखित किया गया था । विस्तृत प्रतिपरीक्षा के बावजूद अपीलार्थी इस बयान को समग्र रूप में अविश्वसनीय ठहराने के लिए कोई तात्विक विसंगति या विरोधाभास सामने नहीं ला सका । उस पर अपीलार्थी को घटना में मिथ्या रूप से फंसाने के लिए कोई अंतरस्थ हेतु नहीं बताया गया । जहां तक मृत्युकालिक कथन का संबंध है, इसमें कोई अस्पष्टता या अनियमितता नहीं है और इसका कथन इस स्पष्ट और सरल भाषा में किया गया है कि विपदग्रस्त के साथ मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की क्रूरता की गई थी । विपदग्रस्त ने यह कथन किया है कि जब उसने गुस्से में अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, तो अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने कोई बीच-बचाव नहीं किया । वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि उसे किसने आग लगाई थी । विपदग्रस्त को सीधे अस्पताल ले जाने के बजाए, उसे उसके माता-पिता के घर ले जाया गया और वहां से उसकी माता उसे अस्पताल लेकर गई । अभि. सा. 6 राजेन्द्र कुमार शर्मा ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दहेज की मांग अक्षुण्ण जारी रही और विपदग्रस्त और आगे क्रूरता या तंगीकरण सहन करने में असमर्थ थी । निरन्तर ताने मारने और चिढ़ाने से उसे ऐसी स्थिति में ला दिया जहां उसने उकता कर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया । अपीलार्थी की सभी सुसंगत दलीलों पर आक्षेपित निर्णय में विचार किया गया है, जो कि साक्ष्य के ऋजु मूल्यांकन पर आधारित है और इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । (पैरा 3, 4 और 5)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2001 की दांडिक अपील सं. 354.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री सुमीत वर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम. एन. डुडेजा, सहायक लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति एस. पी. गर्ग – अशोक कुमार (अपीलार्थी) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 161/97, पुलिस थाना प्रताप नगर से उद्भूत सेशन मामला सं. 233/97

में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के तारीख 9 नवम्बर, 2000 के उस निर्णय को आक्षेपित किया है, जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क/304-ख के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है । उसे तारीख 10 नवम्बर, 2000 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन सात वर्ष का कठोर कारावास भोगने और धारा 498-क के अधीन 500/- रुपए के जुर्माने सहित तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है ।

2. अशोक कुमार का विवाह तारीख 29 नवम्बर, 1993 को सुमन के साथ हुआ था । विवाह के पश्चात् वह मकान सं. 472/27, गली चिस्ती चमन, किशन गंज में रहती थी और उसने दो पुत्रियों को जन्म दिया । तारीख 18 जून, 1997 को उसे ससुराल में दाह क्षतियां पहुंचीं और उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया । उसकी तारीख 26 जून, 1997 को क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । शव की मरणोत्तर परीक्षा की गई । तथ्यों से अवगत साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । उसने तारीख 18/19 जून, 1997 की मध्यवर्ती रात्रि में उप मण्डल मजिस्ट्रेट श्री एच. पी. एस. सरन द्वारा अभिलिखित किए गए अपने कथन में अपने पति और सास को दहेज की मांग के लिए तंग करने के लिए आलिप्त किया । उप मण्डल मजिस्ट्रेट ने अन्वेषक अधिकारी को सुसंगत अपराधों के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का निदेश दिया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् न्यायालय में अशोक कुमार और उसकी माता पुष्पा देवी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पंद्रह साक्षियों की परीक्षा कराई । अशोक कुमार ने धारा 313 के अधीन अपने कथन में, प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना, मिथ्या रूप से फंसाए जाने का अभिकथन किया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने और पक्षकारों की विरोधी दलीलों पर विचार करने के पश्चात् आक्षेपित निर्णय द्वारा अशोक कुमार को पूर्ववर्ती उल्लिखित अपराधों के लिए दोषी ठहराया । पुष्पा देवी को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दोषसिद्ध किया । राज्य ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन उसकी दोषमुक्ति को चुनौती नहीं दी है ।

3. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख की परीक्षा की । यह बात विवादग्रस्त नहीं है कि सुमन की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर ससुराल में उसे पहुंची दाह क्षतियों के कारण हुई

थी । सुमन शर्मा ने अपने कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए) में उप मण्डल मजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से यह उजागर किया कि उसका पति यह कहता रहता था कि वह अपने माता-पिता से धन लेकर आए या फिर अपने माता-पिता के घर रहे । उसने यह भी प्रकट किया कि तारीख 18 जून, 1997 को सायंकाल में उसके पति ने उसके साथ धन की मांग को लेकर झगड़ा किया था और उसने गुस्से में अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया । उसका पति, सास और ससुर, जो वहीं मौजूद थे, ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं रोका और 'घटना' देखते रहे । उसके पति ने उसे 'तु मर जा' कहकर मर जाने के लिए उकसाया । उसने आगे यह भी बताया कि उसका पति और सास उसे तंग करते रहते थे । अपीलार्थी के काउंसेल ने यह दलील दी कि विपदग्रस्त द्वारा दिए गए बयान (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए) पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह कथन करने के लिए ठीक मानसिक दशा में नहीं थी और उसका कथन अभिलिखित करने के लिए डाक्टर से पूर्विक अनुज्ञा की ईप्सा नहीं की गई थी । मैं इस अभिवाक् में कोई सार नहीं पाता हूं । जलने की घटना सायंकाल में घटित हुई थी और उसे तुरंत अपराह्न में 8.10 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था । चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/ए) से यह प्रकट होता है कि वह उस समय होश में और उन्मुख थी तथा 30-35 प्रतिशत तक जली हुई थी । चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-12/ए) में एक पृष्ठांकन (प्रदर्श डीएक्स1) अंतर्विष्ट है जिसके द्वारा उसे तारीख 18 जून, 1997 को 'कथन करने के लिए ठीक' घोषित किया गया था । उसे रात्रि में 11.55 बजे और 12.10 बजे पुनः बिंदु (डीएक्स2) और (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-15/ए) के अनुसार कथन अभिलिखित करने के लिए ठीक प्रमाणित किया गया था । अभि. सा. 10 (एच. पी. एस. सरन, उप मण्डल मजिस्ट्रेट) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने विपदग्रस्त का कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए) डा. रतना कुमार द्वारा उसे कथन करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह उन्मुख घोषित करने के पश्चात् अपने हस्तलेख में, प्रश्न-उत्तर रूप में, अभिलिखित किया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बताया कि उस समय रोगी का कोई नातेदार उसके बिस्तर के आस-पास नहीं था । डा. रतना कुमार ने क्षतिग्रस्त को कथन अभिलिखित करने से पूर्व और पश्चात् प्रदर्श (डीएक्स1) और प्रदर्श (डीएक्स2) पर किए गए पृष्ठांकन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए) द्वारा कथन करने के लिए ठीक घोषित किया था । एक ऐसे स्वतंत्र शासकीय साक्षी के परिसाक्ष्य पर विश्वास न करने के कोई ठोस कारण नहीं हैं, जिसका कथन

गढ़ने के लिए कोई अंतरस्थ हेतु नहीं था । उसके स्वतंत्र साक्षी होने के कारण उच्च स्थिति में होते हुए ऐसा कुछ करने का कोई कारण नहीं था जो उचित नहीं था । मृत्युकालिक कथन की असलियत पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे किसी विलंब के बिना तुरंत अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 6 राजेन्द्र कुमार शर्मा ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि विपदग्रस्त ने उसे यह प्रकट किया था कि अशोक और पुष्पा उससे धन की मांग करते थे और उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया । अभि. सा. 15 (जगबीर सिंह), अभिलेख लिपिक, राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-15/ए) (डीएक्स3), (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए) पर डा. रतना कुमार के हस्ताक्षरों की शनाख्त और पहचान की, जिसके द्वारा विपदग्रस्त को कथन करने के लिए योग्य घोषित किया गया था । कथन करने के लिए विपदग्रस्त की मानसिक स्थिति पर संदेह करने के लिए अपीलार्थी के पास कोई आधार/बुनियाद नहीं है क्योंकि न तो वह और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य विपदग्रस्त के साथ अस्पताल गया था और न ही उसकी मृत्यु होने तक उसके साथ रहा था । अभि. सा. 8 (सहायक उप निरीक्षक अनुपमा), सीएडब्ल्यू विंग ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 20 जून, 1997 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाने पर उसने राजेन्द्र कुमार शर्मा को निदेश दिया था कि वह उसे सुमन के पति और सास-ससुर के पते-ठिकाने के बारे में सूचित करे । जब उसने मकान सं. 472/27, गली चिस्ती चमन, किशन गंज का दौरा किया तो मकान पर ताला लगा हुआ पाया और उसे पड़ोसियों से यह पता चला कि सुमन के ससुराल वाले सुमन के अस्पताल में भर्ती होने के दिन से ही डर के कारण फरार हैं । विपदग्रस्त/अपनी पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल नहीं ले जाने में अपीलार्थी का आचरण अयुक्तियुक्त है और अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति मानी जा सकती है । विपदग्रस्त का यह स्वीकार करना काफी सत्यतापूर्ण है कि उसे दाह क्षतियां पहुंचने के पश्चात् उसके पति ने आग बुझाने के लिए उसके शरीर पर दो-तीन गिलास पानी फेंका था । उसके इस कथन में भी सच्चाई है कि उसे पता नहीं कि उसे किसने आग लगाई थी । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है कि कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए) किसी प्रकार के सिखाने-पढ़ाने, प्रेरित करने या कल्पना के परिणामस्वरूप किया गया था । उप मण्डल मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि विपदग्रस्त के साथ उस समय कोई नहीं था जब उसने उसका कथन अभिलिखित किया था । मृत्युकालिक कथन मरणासन्न व्यक्ति पर कोई प्रभाव डाले बिना शीघ्रतम अवसर पर

किया गया था । इस पर संदेह करने का कतई कोई कारण नहीं है । इस कथन को एक सुसंगत और सत्य कथन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जो उन परिस्थितियों को प्रकट करता है जिनमें विपदग्रस्त की मृत्यु हुई । विपदग्रस्त और उसके माता-पिता का अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाने का कोई अंतरस्थ हेतु नहीं था । विपदग्रस्त ने सुस्पष्ट ब्यौरे दिए हैं कि उसे कैसे और किन परिस्थितियों में तंग किया गया था और धन की मांग को लेकर क्रूरता की गई थी । अपीलार्थी उसे अपने माता-पिता से नकदी लाने के लिए बाध्य करता रहता था और इस नगदी को लॉटरी में उड़ा देता था । अभि. सा. 6 राजेन्द्र कुमार शर्मा ने विपदग्रस्त के बयान की तात्विक पहलुओं पर संपुष्टि की है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि विवाह के आठ माह के पश्चात् अशोक और उसकी माता ने सुमन से दहेज और नकदी की मांग करनी आरंभ कर दी । अशोक सारी कमाई शराब और लॉटरी में उड़ा देता था और उसके लिए नकदी नहीं लाने के लिए सुमन की पिटाई करता था । जब कभी सुमन आती थी और इस साक्षी से धन देने के लिए कहती थी तो वह उसे धन दे देता था । उसने अपनी पुत्री सुमन के माध्यम से अशोक को 4,000/- रुपए और 5,000/- रुपए संदत किए थे । अशोक ने एक दीवान को छोड़कर दहेज की सभी वस्तुएं बेच दी थीं । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया कि सुमन को दिए गए 4,000/- रुपए और 5,000/- रुपए समय-समय पर विभिन्न त्यौहारों/अवसरों पर दिए जाने वाले प्रथागत संदाय थे । अपीलार्थी की यह दलील सारहीन है कि चूंकि अभि. सा. 6 की वित्तीय सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए उससे दहेज/नकदी की मांग करने की कोई संभावना नहीं थी । दोनों पक्षकार समाज के गरीब वर्ग से हैं । वर्ष 1997 में 4,000/- या 5,000/- रुपए का विपदग्रस्त के गरीब पिता के लिए बहुत अधिक महत्व था । विपदग्रस्त के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए) में उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व अपीलार्थी द्वारा नकदी की मांग करने और नकदी का संदाय नहीं करने के कारण तंग करने की बाबत विनिर्दिष्ट उल्लेख है । यहां तक कि घटना के दिन भी धन की मांग को लेकर झगड़ा हुआ था और विपदग्रस्त को अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कने के लिए मजबूर किया था । विपदग्रस्त के पास अतिवादी कदम उठाने के लिए कोई अन्य बाध्यकारी कारण नहीं था । अपीलार्थी ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि सुमन की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति थी या आत्महत्या करने की धमकी देती रहती थी । विपदग्रस्त को अभिकथित आत्महत्या करने की प्रवृत्ति (यदि कोई थी) को ठीक करने के लिए किसी

समय कोई उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया था । यह दलील उसके कथन को अविश्वसनीय ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है । इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपदग्रस्त ने घटना से पूर्व अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दहेज की मांग के कारण तंग करने के लिए प्राधिकारियों के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी । रूढ़िजन्य और प्रथागत भारतीय समाज में कोई रूढ़िवादी स्त्री किसी व्यक्ति के समक्ष, चाहे वह कितना/कितनी ही घनिष्ठ क्यों न हो, पारिवारिक तनातनी को प्रकट नहीं करना चाहेगी । केवल इस कारण कि मृतका ने दहेज की मांग या तंग करने के बारे में घनिष्ठ मित्रों को नहीं बताया था, इस बात से दहेज की मांग का अभाव निश्चित रूप से साबित नहीं होता है । यदि दहेज की मांग से संबंधित साक्ष्य मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-10/ए) में सिद्ध होता है और कथन तार्किक और विश्वसनीय है, तो केवल इस कारण कि विपदग्रस्त ने तंग या क्रूरता करने के बारे में पूर्व में किसी प्राधिकारी के समक्ष नहीं बताया था, इस बात का वास्तव में कोई महत्व नहीं होगा । मृत्युकालिक कथन स्वीकार करने योग्य है । यह सत्य और स्वैच्छिक, प्रभाव या विद्वेष रहित है और दोषसिद्धि का आधार गठित कर सकता है ।

4. अभि. सा. 6 राजेन्द्र कुमार शर्मा का कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/ए) घटना के अगले दिन श्री एच. पी. एस. सरन, उप मण्डल अधिकारी द्वारा तीस हजारी स्थित अपने कार्यालय में अभिलिखित किया गया था । विस्तृत प्रतिपरीक्षा के बावजूद अपीलार्थी इस बयान को समग्र रूप में अविश्वसनीय ठहराने के लिए कोई तात्विक विसंगति या विरोधाभास सामने नहीं ला सका । उस पर अपीलार्थी को घटना में मिथ्या रूप से फंसाने के लिए कोई अंतरस्थ हेतु नहीं बताया गया । जहां तक मृत्युकालिक कथन का संबंध है, इसमें कोई अस्पष्टता या अनियमितता नहीं है और इसका कथन इस स्पष्ट और सरल भाषा में किया गया है कि विपदग्रस्त के साथ मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की क्रूरता की गई थी । विपदग्रस्त ने यह कथन किया है कि जब उसने गुस्से में अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, तो अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने कोई बीच-बचाव नहीं किया । वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि उसे किसने आग लगाई थी । विपदग्रस्त को सीधे अस्पताल ले जाने के बजाए, उसे उसके माता-पिता के घर ले जाया गया और वहां से उसकी माता उसे अस्पताल लेकर गई । अभि. सा. 6 राजेन्द्र कुमार शर्मा ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दहेज की मांग अक्षुण्ण जारी रही और विपदग्रस्त और आगे क्रूरता या तंगीकरण सहन करने में असमर्थ थी । निरन्तर ताने मारने और चिढ़ाने से

उसे ऐसी स्थिति में ला दिया जहां उसने उकता कर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया ।

5. अपीलार्थी की सभी सुसंगत दलीलों पर आक्षेपित निर्णय में विचार किया गया है, जो कि साक्ष्य के ऋजु मूल्यांकन पर आधारित है और हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । यह अपील सारहीन है और खारिज की जाती है । अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश बनाए रखे जाते हैं । अपीलार्थी-अशोक कुमार को शेष दंडादेश भुगतने के लिए तारीख 21 अक्तूबर, 2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाता है । रजिस्ट्री विचारण न्यायालय का अभिलेख निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तुरंत भेजेगी ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

संसद् के अधिनियम

सती (निवारण) अधिनियम, 1987

(1988 का अधिनियम संख्यांक 3)

[3 जनवरी, 1988]

सती कर्म के और उसके गौरवान्वयन के अधिक प्रभावी निवारण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

सती या विधवाओं या स्त्रियों का जीवित दहन या गाड़ा जाना मानव प्रकृति की भावनाओं के विपरीत है और यह भारत के किसी भी धर्म में कहीं भी अनिवार्य कर्तव्य के रूप में आदिष्ट नहीं है ;

और सती कर्म के और उसके गौरवान्वयन के निवारण के लिए अधिक प्रभावी उपाय करना आवश्यक है ;

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

भाग 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सती (निवारण) अधिनियम, 1987 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है ;

(ख) सती कर्म के संबंध में, "गौरवान्वयन" के अंतर्गत चाहे सती

कर्म इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात्, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित है –

(i) सती कर्म के संबंध में कोई अनुष्ठान करना या कोई जुलूस निकालना ; या

(ii) सती प्रथा का किसी भी रीति से समर्थन करना, न्यायोचित ठहराना या प्रचार करना ; या

(iii) उस स्त्री का, जिसने सती कर्म किया है, गुणगान करने के लिए किसी समारोह का आयोजन करना ; या

(iv) उस स्त्री के, जिसने सती कर्म किया है, सम्मान को कायम रखने या स्मृति को बनाए रखने की दृष्टि से किसी न्यास का सृजन करना या निधि का संग्रह करना, या कोई मंदिर या अन्य संरचना सन्निर्मित करना या उसमें किसी भी रूप में उपासना करना या कोई अनुष्ठान करना ;

(ग) "सती कर्म" से अभिप्रेत है, –

(i) किसी विधवा का उसके मृत पति या किसी अन्य नातेदार के शरीर के साथ या पति या ऐसे नातेदार से संबंधित किसी वस्तु, पदार्थ या चीज के साथ जीवित दहन या गाड़ देने का कार्य ; अथवा

(ii) किसी स्त्री का उसके किसी भी नातेदार के शरीर के साथ जीवित दहन या गाड़ देने का कार्य, भले ही यह दावा किया जाए कि ऐसा दहन या गाड़ देना विधवा या स्त्री की ओर से स्वेच्छा से किया गया है या अन्यथा ;

(घ) "विशेष न्यायालय" से धारा 9 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ङ) "मंदिर" के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, स्मृति बनाए रखने के लिए सन्निर्मित या बनाया गया और किसी भी रूप में उपासना करने के लिए या ऐसे सती कर्म के संबंध में कोई अन्य अनुष्ठान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई भवन या कोई संरचना है चाहे उस पर छत है या नहीं ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और भारतीय दंड संहिता या संहिता (1860 का 45) या संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो भारतीय दंड संहिता या संहिता में हैं ।

भाग 2

सती कर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड

3. **सती कर्म करने का प्रयत्न** – भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई सती कर्म करने का प्रयत्न करेगा और सती कर्म करने का कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परंतु इस धारा के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने से पूर्व, अपराध किए जाने की परिस्थितियों, किए गए कार्य, अपराध से आरोपित व्यक्ति की कार्य करने के समय मानसिक दशा और अन्य सभी सुसंगत बातों पर विचार करेगा ।

4. **सती कर्म करने का दुष्प्रेरण** – (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई स्त्री सती कर्म करती है, तो जो कोई सती कर्म करने का, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु से, या आजीवन कारावास से, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) यदि कोई स्त्री सती कर्म करने का प्रयत्न करती है, तो जो कोई ऐसे प्रयत्न का प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कार्यों में से किसी कार्य या तत्समान कार्यों को भी दुष्प्रेरण समझा जाएगा, अर्थात् :–

(क) किसी विधवा या स्त्री को उसके मृत पति या किसी अन्य नातेदार के शरीर के साथ या पति या ऐसे नातेदार से संबंधित किसी वस्तु, पदार्थ या चीज के साथ, स्वयं का जीवित दहन कर लेने या गड़ जाने के लिए उत्प्रेरित करना, चाहे वह ठीक मानसिक दशा में है या मत्तता या संज्ञा शून्यता की हालत में है या ऐसा कोई अन्य कारण है जो उसकी स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग में बाधा डाल रहा है ;

(ख) किसी विधवा या स्त्री को यह विश्वास दिलाना कि सती कर्म के परिणामस्वरूप उसे या उसके मृत पति या नातेदार को कुछ आध्यात्मिक लाभ होगा या कुटुम्ब का पूर्ण कल्याण होगा ;

(ग) किसी विधवा या स्त्री को, सती कर्म करने के उसके संकल्प में दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना और इस प्रकार उसे सती कर्म करने के लिए उकसाना ;

(घ) सती कर्म से संबंधित किसी जुलूस में भाग लेना या विधवा या स्त्री को उसके मृत पति या नातेदार के शरीर के साथ शवदाह या शमशान भूमि तक ले जाकर सती कर्म करने के उसके विनिश्चय में सहायता करना ;

(ङ) उस स्थान पर, जहां सती कर्म किया जा रहा है, सती कर्म करने के कार्य में या उससे संबंधित किसी अनुष्ठान में सक्रिय सहभागी के रूप में उपस्थित रहना ;

(च) विधवा या स्त्री को, जीवित दहन या गाड़े जाने से अपने को बचाने से रोकना या उसमें बाधा पहुंचाना ;

(छ) सती कर्म के निवारण के लिए पुलिस के कोई कदम उठाने के उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या हस्तक्षेप करना ।

5. **सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए दंड** – जो कोई सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

भाग 3

सती कर्म से संबंधित अपराधों के निवारण के लिए कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां

6. **कुछ कार्यों का प्रतिषेध करने की शक्ति** – (1) जहां कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की यह राय है कि सती कर्म किया जा रहा है या उसके किए जाने का दुष्प्रेरण किया जा रहा है या सती कर्म किया जाने वाला है वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी व्यक्ति द्वारा सती कर्म से संबंधित किसी कार्य के किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा ।

(2) कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, आदेश द्वारा, उस आदेश में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति द्वारा सती कर्म के किसी रीति से गौरवान्वयन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(3) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, वह, यदि ऐसा उल्लंघन इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन दंडनीय नहीं है तो कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

7. **कुछ मंदिरों या अन्य संरचनाओं को हटाने की शक्ति** – (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी मंदिर या अन्य संरचना में, जो बीस वर्ष से अन्यून समय से विद्यमान है, किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, सम्मान को कायम रखने या उसकी स्मृति को बनाए रखने की दृष्टि से किसी रूप में उपासना या कोई अनुष्ठान किया जाता है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे मंदिर या संरचना को हटाने का निदेश दे सकेगी ।

(2) यदि कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी मंदिर या अन्य संरचना में, ऐसे व्यक्ति के, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, सम्मान को कायम रखने या उसकी स्मृति को बनाए रखने की दृष्टि से किसी रूप में उपासना या कोई अन्य अनुष्ठान किया जाता है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे मंदिर या संरचना को हटाने का निदेश दे सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, वहां, यथास्थिति, राज्य सरकार या कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, मंदिर या अन्य संरचना को किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, माध्यम से, व्यतिक्रमी के खर्चे पर, हटवाएगा ।

8. **कुछ संपत्तियां अभिग्रहण करने की शक्ति** – (1) जहां कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि सती कर्म के गौरवान्वयन के प्रयोजन के लिए कोई निधि या संपत्ति संगृहीत या अर्जित की गई है या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का संदेह उत्पन्न करती है, वहां वह ऐसी निधि या संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे अपराध का, जिसके संबंध में ऐसी निधि या संपत्ति संगृहीत या अर्जित की गई थी, विचारण करने के लिए गठित विशेष न्यायालय को, यदि कोई है, ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट देगा और उसके व्ययन के बारे में ऐसे विशेष न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करेगा ।

भाग 4

विशेष न्यायालय

9. **इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण** – (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, इस धारा के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होंगे ।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक विशेष न्यायालय गठित करेगी और प्रत्येक विशेष न्यायालय संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग की बाबत, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(3) विशेष न्यायालय में ऐसा न्यायाधीश पीठासीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, नियुक्त किया जाएगा ।

(4) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति में ठीक पूर्व, किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश नहीं हो ।

10. **विशेष लोक अभियोजक** – (1) प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने का तभी पात्र होगा जब उसने सात वर्ष से अन्यून अवधि तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया है, या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून अवधि तक ऐसा कोई पद धारण किया है, जिसमें विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा है ।

(3) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त

प्रत्येक व्यक्ति को संहिता की धारा 2 के खंड (प) के अर्थ में लोक अभियोजक समझा जाएगा और तद्नुसार संहिता के उपबंध प्रभावी होंगे ।

11. **विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां** – (1) विशेष न्यायालय ऐसे तथ्यों के परिवाद के प्राप्त होने पर जिनसे ऐसा अपराध गठित होता है या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, अभियुक्त को विचारण के लिए अपने को सुपुर्द किए जाने के बिना, किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए, सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराधों का विचारण यावत्शक्य, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार वैसे ही करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो ।

12. **विशेष न्यायालयों की अन्य अपराधों की बाबत शक्ति** – (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त पर उसी विचारण में संहिता के अधीन आरोप लगाया जाए यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित है ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी विचारण के दौरान यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है, तो विशेष न्यायालय, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए भी सिद्धदोष ठहरा सकेगा और उसके दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक जांच या विचारण में, कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता के साथ की जाएगी और विशिष्टतया वहां जहां साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ हो गई है, वह दिन प्रति दिन तब तक चलती रहेगी जब तक हाजिर सभी साक्षियों की परीक्षा नहीं हो जाती है, और यदि कोई विशेष न्यायालय उसका पश्चात्वर्ती तारीख से आगे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक समझता है तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारण लेखबद्ध करेगा ।

13. **निधि या संपत्ति का समपहरण** – जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, वहां

ऐसे अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, यह घोषणा कर सकेगा कि धारा 8 के अधीन अभिगृहीत कोई निधि या संपत्ति राज्य को समपहृत हो जाएगी ।

14. **अपील** – (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, तथ्य और विधि, दोनों पर उच्च न्यायालय को साधिकार अपील होगी ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से, जिससे अपील की गई है, तीस दिन के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्च न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था तो, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा ।

भाग 5

प्रकीर्ण

15. **इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण** – इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

16. **सबूत का भार** – जहां किसी व्यक्ति को धारा 4 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है वहां यह साबित करने का भार कि उसने उक्त धारा के अधीन अपराध नहीं किया है, उस पर होगा ।

17. **कुछ व्यक्तियों की इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने के बारे में रिपोर्ट करने की बाध्यता** – (1) सरकार के सभी अधिकारियों से, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने के लिए अपेक्षा की जाती है और उन्हें सशक्त किया जाता है ।

(2) सभी ग्राम अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट किसी क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट करे और ऐसे क्षेत्र के

सभी निवासी, यदि उन्हें यह विश्वास करने का कारण है, या यह ज्ञान है कि उस क्षेत्र में सती कर्म किया जाने वाला है या सती कर्म किया गया है तो, ऐसे तथ्य की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने में तुरंत करेंगे ।

(3) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

18. **धारा 4 के अधीन किसी अपराध के सिद्धदोष व्यक्ति का कुछ संपत्ति विरासत में पाने से निरर्हित होना** – सती कर्म करने के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, संपत्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति की संपत्ति, जिसका वह ऐसे व्यक्ति की, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, मृत्यु पर विरासत में पाने का हकदार होता, विरासत में पाने से निरर्हित हो जाएगा ।

*19. **1951 के अधिनियम 43 का संशोधन** – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में, –

(क) धारा 8 की उपधारा (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

> "परन्तु यह और कि सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए किसी विशेष न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और अपने छोड़े जाने से पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निरर्हित बना रहेगा ।"

(ख) धारा 123 में, खंड (3क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

> '(3ख) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए

---

* 2001 की अधिनियम सं. 30 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा धारा 19 निरसित ।

सती प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सती कर्म" और सती कर्म के संबंध में "गौरवान्वयन" के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 में हैं ।'।

20. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना** – इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश का उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

21. **नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

22. **विद्यमान विधियों का निरसन** – (1) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व उस राज्य में प्रवृत्त सभी विधियां, जो सती कर्म के निवारण या गौरवान्वयन का उपबंध करती हैं, ऐसे प्रारंभ पर, निरसित हो जाएंगी ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन निरसित किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और, विशिष्टतया इस प्रकार निरसित किसी विधि के उपबंधों के अधीन किसी विशेष न्यायालय

द्वारा संज्ञान किए गए और उस राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व उसके समक्ष लंबित किसी मामले पर कार्रवाई ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उस विशेष न्यायालय द्वारा वैसे ही जारी रहेगी, मानो वह विशेष न्यायालय इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित किया गया हो ।

———